राजस्थान विधान सभा

१६ वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक २३ मार्च, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ११ बजकर ८ मिनट पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न। श्री प्रभुदयाल।

(अनुपस्थित यह प्रश्नोत्तर आगे लिया गया है)

श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २०६

जनवरी, १९५५ के पश्चात् सहकारी समितियों को दी जाने वाली सब्सिडी की धनराशि

श्री चांदमल मेहता—क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) १ जनवरी, १९५५, के बाद किस किस सहकारी समिति को कितने कितने रुपये सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिये गये ?

(२) उक्त सहकारी समितियां कब कब स्थापित हुई हैं और उन्होंने अब तक क्या क्या प्रगति की है ?

(३) किन किन सहकारी समितियों की सब्सिडी चाहने की प्रार्थना अस्वीकृत की गई है ?

श्री अमृतलाल यादव—(सहकारी मंत्री) (१), (२) और (३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

Page No 2

श्री अमृतलाल यादव]

(४) इस संबन्ध में असिस्टेन्ट रजिस्टार को लिखा गया है,उनका जवाब आने पर इसका जवाब बाद में दिया जावेगा ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—उन्हें सब्सिडी देने के संबन्ध में क्या कोई नियम बनाये हुए हैं ?

श्री यादव—मैंने पिछली दफा भी आपके प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सब्सिडी के रूल गवर्नमेंट के अन्डरकन्सीडिरेशन में हैं । मैं वह आपको इसी सेशन में बता चुका हूँ । वह करीब २ निकलने वाले ही हैं बाहर ।

श्री चांदमल मेहता—जो आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये थे तो उनको अस्वीकृत करने के वक्त में क्या दृष्टिकोण रखा गया ?

श्री अमृतलाल यादव—इसका भी आपको आपके एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दे दिया गया था कि आम तौर पर जो केटेगरीज़ बनी हुई हैं उनके अन्तर्गत संस्थाओं को सीब्सडी दी जाती है और अगर उस श्रेणी में वह समिति नहीं आती है तो नहीं दी जाती है, चूंकि इस सम्बन्ध में असिस्टेंट रजिस्ट्रार से जांच की रिपोर्ट आने को है वह आजायगी तो मालुम कर सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट । प्रभू दयाल ।

प्रश्न संख्या २१०

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित, यह प्रश्नोत्तर आगे लिया गया है)

श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या २११

फरवरी, १९५६ तक समस्त सहकारी समितियों का संगठन ।

श्री चांदमल मेहता—क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(१) १५ फरवरी, १९५६ तक राजस्थान में कुल कितनी श्रमिक सहकारी समितियों का संगठन किया गया है ?

(२) उक्त सहकारी समितियों में किस किसको कितना कितना कर्जा किस किस बैंक से दिलाया गया है ?

(श्री चांदमल मेहता)

(३) किस किस सहकारी समिति को कितना कितना रुपया सब्सिडी के रुप में दिलाया गया है ?

श्री अमृतलाल यादव—(सहकारी मंत्री)

(१) १५ फरवरी, १९५६ तक ३० श्रमिक सहकारी समितियां बनाई गई हैं।

(२) उक्त समितियों में से निम्न समितियों को ऋण दिया गया है।

१. बांस उद्योग सहकारी समिति लि० अलवर	३०००)
२. हरिजन लकड़ी उत्पादक सहकारी समिति लि० अलवर	४०००)
३. राजस्थान इंडस्ट्रिल कोपरेटिव सोसायटी, रामगंजमंडी	८०००)
४. लेबर कन्टेक्ट कोओपरेटिव सोसायटी लि० गुमानपुरा	१५००)
(कोओपरेटिव बैंक कोटा लि० कोटा से)	
५. रहरिया बहुउद्देश्य सहकारी समिति लि० केलवाड़ा	२०००
६. फतेहपुर बहुधन्धी सहकारी समिति लि० फतेहपुर	७०००)
७. राजसमन्द भवन निर्माण सहकारी समिति लि० राजसमन्द	५,०००)

(भीलवाड़ा सैन्ट्रल से कोओपरेटिव बैंक लि० भीलवाडा (३) हरिजन हड्डी संग्रह सहकारी समिति लि०, भरतपुर का ३००) अनुदान के रुप में दिये गये।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री प्रभुदयाल।

प्रश्न संख्या २१२

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित, यह प्रश्नोत्तर भी आगे लिया गया है)

श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २१३

एकाउन्टस ट्रेनिंग स्कूल का स्टाफ, उस पर व्यय एवं अभ्यार्थियों के चुनाव के आधार

Page No 4

श्री चांदमल मेहता—क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) चालू वित्तीय वर्ष में एकाउन्ट्स ट्रेनिंग स्कूल पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(२) उक्त स्कूल में कब से कब तक कितना कितना स्टाफ रहा ?

(३) क्या स्कूल चालू होने के पूर्व ही कोई स्टाफ रखा गया था ?

(४) यदि हां, तो उस पर स्कूल चालू होने के पूर्व तक का कितना खर्चा हुआ ?

(५) उक्त स्कूल में कितने व्यक्तियों को शिक्षा दी गई ?

(६) एकाउन्ट्स ट्रेनिंग स्कूल में शिक्षा पाने के लिये उम्मीदवारों का सिलेक्शन किस आधार पर किया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—(१) लगभग १५, १३०) रूपये ।

(२) सूची मेज पर रख दी गई है ।

(३) हां ।

(४) १५ अप्रेल, १९५५ के पहले तक का खर्चा लगभग ३२९३) रू० होता है ।

(५) कुल ७५ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

(६) सभी नये भर्ती किये गये, लेखाधिकारी, लेखापाल व सामुदायिक विकास योजना के लिये लेखा लिपकों को, इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख विभागों के लेखा लिपिकों व अनुतीर्ण कोषागार लेखापालों को ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह स्कूल अब तक चला है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी हां चला है लेकिन प्रशिक्षण अधिकारी के रिटायर होवे जाने की वजह से दूसरे का इन्जाम किया जा रहा है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यह स्कूल तो चला है लेकिन शिक्षण देने वाला इसमें नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने निवेदन किया कि उनके जो लेखाधिकारी थे (प्रिन्सिपल) वे रिटायर हो चुके हैं, इसलिए दूसरा रखने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री चांदमल मेहता—अभी कौन पढ़ाते हैं ? या स्कूल बन्द कर दिया गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—थोड़े दिनों के लिए बन्द कर दिया।

श्री चांदमल मेहता—ट्रेनिंग को कितने समय के लिए रखा गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह शायद तीन महीने के लिए रखी गई। स्पेसिफिकली पूछा नहीं है, इसलिए मुझे पूरा नहीं मालूम है।

श्री चांदमल मेहता—क्या टेनिंग के सम्बन्ध में कोई योग्यता निश्चत की गई है और उसके आधार पर आवेदन पत्र मांगे गये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जितने अकाउन्टेन्ट्स सिलेक्शन में आये हैं और जितने अका-उन्टस क्लर्क्स हैं उनको टेनिंग दे रहे हैं। आवेदन पत्र मांगने का सवाल नहीं है। जो अकाउन्ट्स क्लर्क्स अनट्रेन्ड हैं उनको ट्रेनिंगके लिए यह किया है, हम उनको ट्रेन्ड करते हैं। नये रखने का सवाल नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या चालू वर्ष में नये व्यक्तियों को लेने का सवाल है ?

बृजसुन्दर शर्मा—अगर हमारे पास जितने अकाउन्टेन्ट्स है, १२६ के लिए किया था, उसके अलावा कोई आवश्यकता हुई मुकर्रर करने की तो लेंगे वरना जो एग्जिस्टिंग हैं उन्हीं को ट्रेनिंग देंगे।

श्री चांदमल मेहता—क्या जितने व्यक्ति सिलेक्शन में आये उनको ट्रेनिंग में भेज दिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सब को तो एक साथ नहीं भेज सकते हैं, जैसे नम्बर आता जाता है, जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से असफल हुए थे, उनके लिए स्कूल खोला था ?

श्री **बृजसुन्दर मेहता**—वे तो केवल आठ थे जिनके बारे में आप सवाल पहले पूछ चुके हैं।

Page No 6

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २१४

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चित्तोडगढ जिले में बनने वाली सडकें

श्री सुगनचंद जैन—क्या निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चित्तौड़गढ जिले में कौन २ कितने २ माइल की सड़कें ली गई थीं ?

(ख) इन सडकों पर अब तक कितना कार्य हो चुका है और कौन-कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिनका काम अभी तक हुआ ही नहीं है ?

(ग) क्या सिंगोली बोरावास वाया भैंसरोडगढ़ तथा कुआखेड़ा मालासरा व मातासरा से चेचट तक की सडक इस योजना में थी ?

(घ) यदि हां, तो इनमें कितना कार्य हुआ और अब तक समाप्त नहीं होने का क्या कारण है ?

(ङ) अब कब तक ये सड़कें बन जावेंगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(क) सदन की मेज पर रखी गई है।

(ख) सूची में बताया गया है।

(ग) सिगोली बोराबास, भैंसरोडगढ़ सड़क चम्बल योजना में लिये जाने के कारण प्रथम पंचवर्षीय सड़क योजना में से हटा दी गई। बाकी सड़कें थीं।

(घ) नहीं, इन सड़कों का द्रव्य अधिक महत्वपूर्ण कामों पर परिवर्तित कर दिया गया है।

(ङ) इन सड़कों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाने का प्रस्ताव है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री सुगनचंद—प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसको क्यों नहीं लिया गया ?

Page No 7

श्री रामचन्द्र चौधरी—धनाभाव के कारण। दूसरे आवश्यक काम आ जाने से इसको पोस्टपोन कर दिया गया।

श्री सुगनचंद—वे दूसरे काम कौनसे हैं जो सड़क से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं ?

श्री रामचंद्र चौधरी—कई काम हैं।

श्री सुगनचंद—मैं अपने क्षेत्र के इस लिए चीज़ को ज्यादा महत्व देता हूँ।

श्री रामचंद्र चौधरी—यह तो अपनी अपनी राय है।

श्री अध्यक्ष—आपकी राय यहां थोड़ी चलती है, यहां तो उनकी राय का सवाल है।

श्री जगतसिंह झाला—चित्तौड़ जिले में किस-किस जगह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़कें बनाई जाने को हैं ?

श्री रामचंद्र चौधरी—यह अगल सवाल है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २१५

वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के आधीन कर्मचारियों की नियुक्तियें व उनकी पोस्टिंग के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के मातहत कुल कितने कर्मचारियों की नई नियुक्तियां की गई ?

(२) उक्त कर्मचारियों का किस २ ग्रेड में कहां कहां पोस्टिंग किस आधार पर किया गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—(१) वित्त विभाग के मातहत विभागों में (१) बीमा विभाग, (२) एक्जामिनर लोकल फन्ड आडिट आते हैं। इन विभागों में जो नई नियुक्तियां चालू वित्तीय वर्ष मे की गई हैं उनका विवरण संलग्न है। कुल ५५ नई नियुक्तियां की गई हैं।

(२) इसकी सूचना विवरण में दे दी गई है। विवरण मिल गया है।

Page No 8

श्री चांदमल मेहता—नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष—लिस्ट दे दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—छोटा ही है मैं पढ़ देता हूं।

(१)	३२	५	कुल ३७।	
		यू. डी. सी.	एल. डी. सी.	चतुर्थ श्रेणी
(२)	जयपुर	१	२३	
	झुन्झुनू		१	
	चतौड़		१	
	बांसवाड़ा		१	
	भीलवाड़ा		१	
	बीकानेर		१	
	बूंदी		१	
	जोधपुर		१	
	गंगानगर		१	
	उदयपुर		—	१
	कोटा			१

श्री चांदमल मेहता—लिस्ट दे दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—नामों की लिस्ट नहीं मांगी है और यही पूछा है कि उक्त कर्मचारियों का पोस्टिंग कहां कहां पर किया गया है ?

श्री चांदमल मेहता—किस आधार पर किया गया है, यह पूछा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वहां तक संभव हुआ। जो जहां था उसको वही जगह दे दी गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि नई नियुक्तियों के सम्बन्ध में आवेदन पत्र नहीं मांगे गये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सप्लाई में से सरप्लस आते हैं, उनको रख लिया गया, दूसरी जगहों से भी जो सरप्लस कर्मचारी आये उनको रख लिया गया और यदि जरूरत होती है तो आवेदन पत्र मांगे जाते हैं ?

श्री चांदमल मेहता—इसमें आवेदन पत्र मांगे गये हैं या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरा निवेदन है कि आपने यह सवाल नहीं किया है कि आवेदन पत्र मांगे गये हैं या नहीं ?

श्री चांदमल मेहता—मेरा सवाल साफ है कि किस आधार पर नियुक्तियां की गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कहां है आपका यह सवाल ?

श्री चांदमल मेहता—भाग दो को पढ़ लीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उक्त कर्मचारियों का किस २ ग्रेड में कहां कहां पोस्टिंग किस आधार पर किया गया है ? जो व्यक्ति जिस जिले का था उसको उसी जिले में पोस्टिंग किया गया यह मैं निवेदन कर चुका हूं। आपने पोस्टिंग का ही पूछा है और उसका आधार जाना है आपने आवेदन पत्रों के लिये सवाल नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष—श्री सोहन लाल।

प्रश्न संख्या २१६

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जिले व कस्बेवार बिजली लगना

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कौन २ से जिले के कौन कौन से कस्बों में बिजली लगाई जायगी ?

(ख) किन कस्बों में बिजली नदी घाटी योजनाओं से ले जाई जायगी और किन में थर्मल प्लांट्स द्वारा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (निर्माण मंत्री)—(क) सूची संलग्न की जाती है, जिसमें इसका उत्तर दिया गया है।

(ख) सूची में दिए हुए ग्रुप ३ व ४ को मल्टी परपज रिवर वैली डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

Page No 10

श्री सोहनलाल भटनागर—जहां पर बिजली ले जानी है, उन स्थानों का लोड सर्वे कब कराया जायगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—कई जगहों का लोड सर्वे शुरू हो गया है और कई जगह अब शुरू किया जायगा।

श्री संतोषसिंह—इसमें बिलाडा तहसील भी शामिल है क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—जो स्कीम है उसके अन्तर्गत कहीं कहीं हो रहा है।

श्री संतोषसिंह—मैंने प्रश्न किया कि इसमें बिलाडा तहसील भी शामिल है या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह लिस्ट में देख लीजिये।

श्री संतोषसिंह—लिस्ट कहां है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मेज पर।

श्री अध्यक्ष—लिस्ट उनको दी जाती है, जो सवाल पूछते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या लिस्ट में दी हुई सभी जगहों पर लगाई जायगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट एक तरह का कमर्शियल डिपार्टमेंट है। लोड सर्वे के पश्चात यदि यह मालूम होगा कि किसी स्थान पर बिजली लगाने से सारा खर्चा निकल जायगा और नुकसान नहीं रहेगा वहां बिजली लगाई जायगी। नहीं तो नहीं लगाई जायगी।

श्री सोहनलाल भटनागर—हाईड्रो इलेक्ट्रिक नहीं दी जायगी तो गांवों को हर्जा होगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी—जहां खर्चा पूरा हो जायगा वहां सभी जगह दी जायगी।

प्रश्न संख्या २१७

वन पिलवाड़बोदल (सवाई माधोपुर) में एक ठेकेदार को लकडी काटने रायल्टी

Page No 11

श्री भैरूंसिंह—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जंगल पिछवाड़ बोदल तहत रेंज व तहसील सवाई माधोपुर किसी एक ठेकेदार को लकड़ी काटने की रायल्टी पर दिया है ?

(ख) जंगलों को रायल्टी पर देने का क्या कोई नियम है ? यदि हां, तो कृपया नियमों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(ग) उक्त जंगल को रायल्टी पर देते समय इन नियमों का पालन किया गया या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(क) जी हां ! एक ठेकेदार को चार आना फी मन पर गिरी, पड़ी, सूखी लकड़ी निकालने का ठेका अक्टूबर, ५५ में दिया गया है ।

(ख) नियमों की सूची मेज पर रख दी गई है ।

(ग) जी हां ।

(नियम उपलब्ध नहीं हुए)

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि कि रोयल्टी क पुरानी दर से राजस्थान सरकार की ओर से सूचना प्रकाशित हुए बिना ही ठेका दे दिया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जो रायल्टी की दर मुकर्रर होती है उसके ऊपर जो एप्लीकेशन आती है, लोकल शार्टेज को मीट करने के लिए उनको थोड़े से अरसे के लिए ठेका दिया जाता हैं ।

श्री भैरूंसिंह—मेरा सवाल है कि ठेका देने से पहले सूचना प्रकाशित की गई थी या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वहां पर लकड़ी काटी नहीं गई है, इस लिये सूचना प्रकाशित करने की आवश्यता नहीं है । लोकल शोरटेज को मीट करने के लिये टेम्पोरेरी तौर पर इजाजत दी जाती हैं गिरी पड़ी और सूखी लकडी ले जाने के लिये ।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि यदि सूचना दी जाती तो रोयल्टी की रकम ज्यादा मिलती ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—रोयल्टी की निर्ख मुकर्रर है ।

श्री अध्यक्ष—Hypothetical.

श्री भैंरूसिंह—एप्लीकेशन्स क्यों नहीं ली गई ?

श्री अध्यक्ष—कानून ऐसा है ? किसी की एप्लीकेशन आने पर इजाजत दी जा सकती है।

श्री भैंरूसिंह—जिसको ठेका दिया उसमें क्या विशेष बात थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कोई विशेष बात नहीं देखी जाती। कोई दरख्वास्त लेकर आता है, तो इजाजत देते है। सवाई माधोपुर में दूर का जंगल है, वहां लकडियों लेने कम लोग पहुंते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप और किसी दिलाना चाहें तो दिला दें।

श्री भैंरूसिंह—आपके पास कितनी दरख्वातें आई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह देख कर बता सकता हूं।

श्री श्रीदास गोयल—ये लकड़ियां सूखी थीं या गीली ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने "गिरी, पडी, सूखी कहा है।

श्री श्रीदास गोयल—फिर काटने का प्रश्न कैसे आता है ? गीली को ही काटने का प्रश्न आता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—काटने का किसने कहा ? काटने का तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—कितने समय के लिए दिया गया था यह ठेका ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरे ख्याल से एक सीजन के लिए होता है।

श्री भैंरू सिंह—ख्याल का क्या प्रश्न है ? सही बतावें कि कितने समय के लिए दिया गया है ठेका ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—एक सीजन के लिये।

श्री भैंरूसिंह—एक सीजन का क्या मतलब है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अक्टूबर से लेकर जून तक।

Page No 13

प्रश्न संख्या २१८

वन विभाग की भूमि में आग लगजाने से क्षति

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जनवरी, १९५५ के बाद वन विभाग की कितनी भूमि में आग लगजाने की वजह से क्षति हुई है व उसमें कितने रुपयों का नुकसान हुआ ?

(२) आग लगने के प्रमुख कारण क्या हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(१) लगभग ३२६२०० एकड़ अथवा ५०० वर्ग मील। लगभग १२६०० रु० की वन उपज।

(२) (क) बीड़ी पीने वाले राहगीरों की असावधानी से।

(ख) मोम व शहद एकत्रित करने वालों द्वारा आग जलाना और जला कर छोड़ देने से।

(ग) रेल के इंजिन से आग की चिनगारी गिरने से।

(घ) बांसवाड़ा डिविजन में उपद्रवी भीलों द्वारा अप्रसन्नता प्रकट करने के लिए आग लगाने से। अकेले बांसवाड़ा डिविजन में इस प्रकार की आग से २०२२०० एकड़ भूमि पर लगभग २५०० रु० की वन उपज की क्षति हुई।

(ङ) बांसवाड़ा, उदपुर तथा चित्तौड़गढ डिविजनों में अन्ध विश्वास के कारण आदि-वासी लोगों का देवताओं की मान्यता स्वरूप जंगल में आग लगाने से।

(च) शिकारी लोगों द्वारा शिकार को हांकने के लिए आग का इस्तेमाल करने से।

(छ) मध्यभारत के जंगलों से जलती हुई आग के आने से।

श्री चांदमल मेहता—आग लगने की कार्यवाही को रोकने के लिए क्या कोई विशेष कदम इस वर्ष सरकार ने उठाया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आग लगते ही बुझाने का इन्तजाम करते हैं ताकि बढ़ने नहीं पावें।

प्रश्न संख्या २१६

प्रथम पंच वर्षीय योजना में बिजली लगाने में व्यय की गई धनराशि इत्यादि

श्री सोहनलाल—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

प्रथम पंचवर्षीय योजना में बिजली लगाने में किन किन जिलों में किन किन कस्बों व गांवों में बिजली लगाई गई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)— (क) सूची इस प्रकार है—

१—अलवर	४४७६६८ रु०
२—भरतपुर	१०२८८८ ,,
३—बीकानेर	१७५२१३५ ,,
४—चूरू	
५—भीलवाड़ा	२२७२८३ ,,
६—डूंगरपुर	३५२०२ ,,
७—गंगानगर	५२८५६५ ,,
८—जयपुर	३६५३६५५ ,,
९—झालावाड़	१५६६८८ ,,
१०—जोधपुर	१२५५०३६ ,,
११—कोटा	१३१४६६ ,,
१२—सवाई माधोपुर	७०५२० ,,
करोली हिन्डोन—	
१३—टोंक व निवाई	३१५८७३ ,,
१४—डीग	७४०८९ ,,
१५—धोलपुर	१४९८२० ,,
१६—शाहपुरा	४९४३ ,,
१७—सागवाड़ा	६३६१३ ,,
१८—किशनगढ़	१५७९२८ ,,
१९—जैसलमेर	१७५८५ ,,

Page No 15

[श्री रामचंद्र चौधरी]

सीकर झुन्झुनू व नागौर जिलों के लिए फन्ड्स सन् १९५५ के अन्त में प्राप्त हुए, इसलिए उनमें कोई खर्चा नहीं किया जा सका।

मल्टी परपज स्कीम में २००४२८ रु० का खर्चा हुआ है।

निम्नलिखित स्थानों पर एडीशनल केपेसिटी के सेट लगाये गये—

स्थान का नाम	जिला	किलोवाट
१. जोधपुर	जोधपुर	१००० किलोवाट
२. अलवर	अलवर	२०० ,,
३. भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	१०० ,,

इसके अतिरिक्त सागवाड़ा, डीग, हिन्डोन, बारी व भीलवाड़ा कस्बों में बिजली दी गई।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—किसी देहात में भी बिजली दी गई है क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—गांवों में बिजली दी जाने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री गुरुदयलसिंह सन्धु—क्या सरकार गांवों में बिजली नहीं देना चाहती है, ऐसी नीति है क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—देना चाहती है यदि खर्चा पूरा हो जाय और वहां पर बिजली लगाने का इन्तजाम हो।

प्रश्न संख्या २२०

चालू वर्ष में रेन्जर्स को एस. डी. एफ. ओ. बनाये जाना।

श्री चांद मल मेहता—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) चालू वर्ष में कितने २ रेन्जर को प्रोमोशन दिया जा कर एस. डी. एफ. ओ. बनाया गया है ?

(२) उक्त रेन्जर्स के नाम, लेन्थ ओफ सर्विस और योग्यता क्या २ हैं और उनका सीनियोरिटी लिस्ट में कौन २ सा स्थान है ?

Page No 16

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(१) चालू वर्ष में निम्नलिखित रेन्जर्स को प्रमोशन दिया जा कर उनको एस. डी. एफ. ओ. बनाया गया।

१. श्री अकबर अली।

२. श्री मोहन सिंह शक्तावत।

(३) जगदीश नारायण माथुर।

(२) उनका सेवा काल, योग्यता, सीनियोरिटी आदि इस प्रकार है—

नाम	सेवाकाल	योग्यता	प्रोविजनल सीनियोरिटीलिस्ट में स्थान
(१) श्री अकबर अली	४ वर्ष ८ मास २८ दिन	इन्टरमीडिजेट व देहरादून रेंजर्स कोर्स पास	१५
(२) श्री मोहनसिंह शक्तावत	३. ६. १६	,,	२०
(३) श्री जगदीश नारायण	१४. ०. १३	,,	२६

श्री चंदमल मेहता—क्या यह सही है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो अधिक सीनियर थे उनको एस. डी. एफ. ओ. नहीं बनाया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सीनियोरिटी लिस्ट अभी प्रोविजनल बनाई गई है और ओब्जक्शन मांगे गये हैं। जिनके क्लेम्स आये हैं उनमें किशनगढ़ के रेन्जर का क्लेम भी शामिल है। उन्होंने जाहिर किया है कि मैं सीनियर हूँ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि प्रोविज़नल सीनियोरिटी लिस्ट में कुछ आदमी ऐसे भी रह गये हैं जो अधिक सीनियर थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—प्रोविजिनल सीनियोरिटी लिस्ट के बारे में मुझे सदन में यह कहते हुये परेशानी नहीं होगी कि उसमें एक बात रह गई है वह यह कि देहरादून रेन्जर्स कोर्स जिस दिन पास किया उस दिन से सीनियोरिटी मानी जाय या जो लोग पहले सेवा कार्य में थे और बाद में कोर्स पास करने के लिए भेजे गये उनकी सर्विस कौनसी तारीख से शुमार की जाय, यदि पहले से शुमार की जाय तो क्या हो। यह प्रश्न थोड़ा तय होना है। इसके तय होने के बाद लिस्टको फाइनेलाइज किया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—अभी जो प्रोमोशन दिया गया है उसके लिए क्या आधार माना गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उनके लिये प्रोविजनल लिस्ट आधार है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो व्यक्ति प्रोविज़नल लिस्ट में आगे

[श्री चांदमल मेहता]

आता है उसको मौका नहीं दिया गया हैं और दूसरे को जो उसके बाद आते हैं मौका दिया गया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—नहीं आता है।

श्री चांदमल मेहता—जगदीशनारायण का नाम नीचे आता है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरे खयाल से नहीं आता।

श्री चांदमल मेहता—आप देख लीजिये कि लिस्ट में कहां नम्बर आता है।

श्री अध्यक्ष—आपके पास लिस्ट बनने लगी है ?

श्री चांदमल मेहता—आपने ही तो मुझे सप्लाई की है।

श्री प्रभुदयाल—मेरे प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष—पहले तो आप लेट आते हैं फिर कहते हैं मेरे प्रश्न।

श्री प्रभुदयाल—प्रश्न संख्या २०८।

प्रश्न संख्या २०८

कातर से लालगढ़ (डिविजन बीकानेर) के सड़क हेतु स्वीकृत धन राशि एवं टेण्डर

श्री प्रभुदयाल—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) कातर से लालगढ डि० बीकानेर के लिये सड़क की मंजूरी कब और कितनी रकम की हुई थी ?

(ख) क्या टेन्डर प्राप्त हो चुके हैं !

(ग) यदि हां, तो कब ?

(घ) यदि नहीं, तो देरी का कारण क्या है !

(ङ) कार्य कब तक समाप्त हो जावेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह कार्य १९५४-५५ में शुरू होने को था। इसकी स्वीकृति रु० ५०७००) रु० हुई थी।

(ख) एक पोर्शन के टेन्डर्स माह फरवरी, १९५५ में मांगे गये थे और काम दे दिया गया था।

(ग) अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्य को पूरा कराया जायगा।

श्री प्रभुदयाल—जब टेन्डर्स मांग कर काम दे दिया गया तो फिर नहीं होने के क्या कारण है?

श्री रामचन्द्र—पहले ग्रेवल रोड बनाई। इसके लिये ५० हजार की स्वीकृत थी। अब तीन लाख से ज्यादा का एस्टीमेट बना है। वहां पर सामान मिला नहीं। जो मिला वह डाल दिया गया, बाकी सामान दूर से लाना था।

श्री प्रभुदयाल—अब यह काम कब से शुरू होगा और कब तक खत्म होगा?

श्री रामचन्द्र—इस पंचवर्षीय योजना में शुरू करेंगे और खत्म हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २१०

बीकानेर पब्लिक पार्क के पश्चिमी ओर छड़ों की नीची दीवारों को पक्की ऊंची कराने संबंधी

श्री प्रभुदयाल—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि बीकानेर पब्लिक पार्क के पश्चिमी ओर जो छड़ों की दीवार है उसके नीचे व बेतुकी होने से आये दिन पशुओं व बच्चों के चोट लगने की घटना होती रहती है?

(ख) क्या मोहल्ले वालों की ओर से समय समय पर इस बारे में शिकायतें की गई हैं?

(ग) यदि हां, तो अब तक इस ओर क्या कार्यवाही की गई?

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(क) नहीं।

(ख) नवम्बर, सन् १९५२ में इस विभाग में १ पशु की घटना की शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ग) अर्थाभाव के कारण पक्की दीवार नहीं बनाई जा सकी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी कि पिछले साल भी एक पशु किस तरह से मर गया?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह दीवार ४॥ फुट ऊंची है। इससे अभी तक किसी प्रकार की पशु दुर्घटना की कोई बात सरकार के इल्म में नहीं है।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार इसकी जांच कराने को तैयार है।

श्री रामचन्द्र—अगर आप कहेंगे तो जांच की जावेगी।

श्री प्रभुदयाल—यह कब तक जांच कराई जावेगी?

श्री रामचन्द्र—आप इसके लिए कोई शिकायत तो दें।

श्री प्रभुदयाल—क्या इस प्रश्न को शिकायत के रूप में मानने के लिये तैयार है?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २१२

बीकानेर से शिवबाड़ी सड़क का जीर्णोद्धार व तारकोल को बनाने सम्बन्धी योजना

श्री प्रभुदयाल—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार की बीकानेर से शिवबाड़ी रोड को मरम्मत व उसे तारकोल की बनाने की कोई स्कीम है?

(ख) यदि हां, तो कब तक क्रियान्वित की जावेगी?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(क) हां, है।

(ख) इस काम के टेन्डर्स प्राप्त होने पर जल्दी काम शुरू कर दिया जावेगा। टेन्डर्स के प्राप्त होने की तिथि १०. ३. ५६ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस सड़क को बने बहुत समय हुआ जिसकी तारीख मालूम नहीं है। इसकी लंबाई एक मील ३ फर्लांग है। रकम न होने के कारण अब तक इस सड़क पर तारकोल नहीं किया जा सका।

श्री श्री दास गोयल—१०. ३. ५६ को टेन्डर्स आ गये और मन्जूर होकर ठेकेदारों को ठेका दे दिया गया।

श्री रामचन्द्र—यह काम इस वर्ष से पहिले पूरा कर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—The Question honr is over. Shri Amrit Lal Yadav.

राजस्थान कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एग्रीकलचरल इनकम टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकलचरल इनकम टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री अमृतलाल यादव—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Presentation of Reports.

Page No 21

नियोजन लेखा १६५२-५३ पर जनलेखा समिति १६५५-५६ के प्रतिवेतनों की प्रस्तुति

श्री द्वारकादास पुरोहित—अध्यक्ष महोदय, मैं नियोजन लेखा १६५२-५३ (एप्रोप्रियेशन एकाउन्टस १६५२-५३) पर जनलेखा समिति १६५५-५६ का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति १६५५-५६ के (दो विभागों के) प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री गुलबचन्द कासलीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति १६५५-५६ की रिपोट, [१] सार्वजनीक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) और (२) सिंचाई विभाग की अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—We have to pass the Approtriatin raday. Shri Badriparsad gupta

मांग संख्या १५-चिकित्सा

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा के संबन्ध में ३१ मार्च, १६५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित श्रीमान् राजप्रमुख को १, ६५, ३१, ०००रु० तक की राशि प्रदान की जवे ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्री श्री दास गोयल ।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, चिकित्सा के संबन्ध में जो मांग सदन के समक्ष रखी गई है इस सिलसिले में मेरा तो यह निवेदन है कि इसमें अधिक गुंजायश हो तो और ज्यादा रकम इसके लिये देनी चाहिये और खास तौर से इस स्थिति में जब प्रसूतिगृहों की आज राजस्थान को अधिक आवश्यकता है और हम इसकी पूर्ति नहीं कर पाते । हमारें यहां कई जगह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी हैं लेकिन वहां परभी कोई इसके लिये कदम नहीं उठाया गया और नये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाने जा रहे हैं उनकी क्या शक्ल रहेगी, यह अभी नहीं कहा जा सकता इसलिये जो कुछ डिमान्ड रखी गई हैं उसे मैं प्रसति गृह के लिये पूरी नहीं मानता और मेरा निवेदन है कि इसके लिये और गुंजायश रखना जरूरी है । खास तौर से इस कमी के कारण गांवो में मृत्यु की संख्या बढ़ती जा रही है । इसको ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग को चाहिये कि दाइयों को शिक्षा देने के लिये ज्यादा से ज्यादा तादाद में भेजे और ऐसा टेम्पो बनावें कि लोग गांवों से और दूसरी जगह से इस कार्य के लिये आवें और ट्रेनिंग लेकर गांवों में इस धंधे को शुरु करें और उनको सरकार द्वारा मेन्टीनेन्स एलाउन्स मिल सकें । जहां तक नीति का संबन्ध है

[श्री श्रीदास गोयल]

हमें इन दाइयों से पूरा लाभ उठाना चाहिये। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि उनसे संबन्धित जो अधिकारी हैं वे पूरी तरह से इस दुख पूर्ण परिस्थिति को मिटाने के लिये वास्तव में तत्काल और ठोस कदम उठावें। आज हम बहुत आगे बढ़ने की बात करते हैं क्या शिक्षा में क्या खेती में लेकिन जिस चीज का मनुष्य से सीधा संबन्ध है जिससे महिलाओं के जीवन मरण का सीधा संबन्ध है उनकी ओर ध्यान पूरी तरह से नहीं दे पा रहे हैं।

स्वास्थ्य संसार में सब से बड़ी दौलत है। अगर हम महिलाओं को जीवन रक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो यह हमारे लिये शोभाजनक चीज नहीं है। इस संबन्ध में मैं दुबारा निवेदन करूं इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना निहायत आवश्यक है। अगर इनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दिया जायगा तो हम जिस समाजवादी समाज रचना की ओर बढ़ना चाहते है नहीं बढ़ पावेंगे। आज बड़े बड़े अस्पतालों में इस प्रकार की सुविधायें प्राप्त हैं और उनसे राहत मिलती है उन लोगों को जो शहर में रहते हैं। जिस ग्रामीण जनता पर आज सब से ज्यादा टेक्सेशन का भार है उतनी हम राहत नहीं पहुँचा पा रहे हैं। हमारा यह ध्येय होना चाहिये कि हम उनके लिये भी प्रोपोर्शनेट एक्सपन्डिचर तय करें उसमें प्रायोरिटी एक्सपन्डिचर और नेसेसिटी एक्सपन्डिचर की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाते तो हम यह न्याय नहीं कर पाते हैं उन ग्रामीण भाइयों के साथ।

इसके साथ २ मैं यह निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, तो बेजा नहीं होगा कि आज ग्रामीण जनता को जिस प्रकार से दवा दारू से राहत पहुँचाई जाती है वह सन्तोषप्रद नहीं है। राजस्थान सरकार ने जगह २ डिस्पेन्सरीज़ खोल रखी हैं कहीं २ औषधालय भी हैं लेकिन इन औषधालयों की जो बिगड़ी हुई हालत है उसे देखते हुए मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आप मूविंग डिस्पेन्सरी की व्यवस्था करें। जो आसोज और चेत के महिने जब कि मौसम बदलती है उन दिनों में इन इन जगहों पर जायं जहां के लोग इन मौसम में बीमार रहते हैं इससे ही मूविंग डिस्पेन्सरी से ही उनको राहत मिल सकती है। इन मूविंग डिस्पेन्सरीज के जरिये से ही गांव के लोगों इमरजेन्सी केसेज में सहायता मिल सकती है। मौजूदा डिस्पेन्सरीज की कई जगह बहुत अच्छी हालत नहीं हैं। मेरी बात हुई मेरे माननीय मित्र जो कि हैल्थ डिपार्टमेंन्ट में ज्यादा सम्बन्ध रखते हैं और हमारे माननीय मन्त्री जिनको मैंने गतवर्ष निवेदन किया था और उन्होंने यह भी फरमाया था एक डाक्टर ३००, ४०० मरीजों को देखता है इनडोर पेशन्ट भी देखता है तो वह काबिले तारीफ है। केवल इस तरह तारीफ कर देने से सुविधा नहीं मिलने वाली है, हमें इस तरह के डाक्टरों का जो जनता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि जिससे बीमार को तुरन्त डाक्टरी सहायता मिल सके, टाइम पर डाक्टरी एड मिल सके। एक व्यक्ति जिसकी सीमित शक्ति है वह इतना खर्च नहीं कर सकता तो हमें उसके लिए उसके लिए आश्वासन से अधिक करने की आवश्यकता है। मेरी मेडीकल विभाग के अधिकारियों से

[श्री श्रीदास गोयल]

भी बातें हुई उन्होंने मुझ से कहा कि हम जल्दी ही सवाई माधोपुर में एक डाक्टर और कम्पाउण्डर को भेजने की व्यवस्था करने वाले हैं । इस बजट में आप इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे या नहीं यह मैं नहीं कह सकता । मैं माननीय मंत्री महोदय से ऐसी आशा लेकर चलता हूं कि जिस प्रकार इन्होंने थोड़े ही दिन सार्वजनिक निर्माण विभाग में रहकर जो कार्य हमें दिखलाया है वास्तव में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में भी उसी प्रकार का सक्रिय कदम उठायेंगे और जो कमियां हैं उनको दूर करने की व्यवस्था करेंगे और ठोस कार्यवाही करेंगे । मैं इसके साथ साथ एक दुख पूर्ण परिस्थिति की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, बहुत सी जगह डिस्पेन्सरीज के साथ साथ जच्चा खाना तो खोल दिया है किन्तु वहां पर सीट्स का प्रबन्ध नहीं, सरदी के दिनों में भी जच्चायें एक दो दिन के बच्चों को लेकर जमीन पर पड़ी रहती हैं । इनडोर पेशेन्टस के वार्डस की भी यही हालत है गत सेशन में भी मैंने इस तरह का प्रश्न उठाया था उन कठिनाई को महसूस करके भी राहत नही पहुँचाई गई उस समय यह कह गया कि अगर वहां पर ऐसी हालत है तो तत्काल सहयाता पहुँचाई जायगी वह पूरी नहीं हो पाई । आज टेक्सेशन की हालत यह कि ७५ प्रतिशत टेक्स ग्रामीण जनता से वसूल होता है तो ऐसी स्थिति में कम से कम उन की आवश्यक ज़रूरियात को पूरा किया जाना चाहिये । सवाई माधोपुर की जच्चा खाने की यह हालत है कि वहां इनडोर पेशन्टस के लिये भी पूरी सीटें नहीं हैं । मैं साथ ही यह भी निवेदन करूं कि सवाई माधोपुर के बारे में दो शब्द कह देना अपना धर्म समझता हूं हमारा सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का हैड क्वाटर होते हुए भी वहां पर एक डाक्टर ही है उसके साथ असिस्ट करने के लिए लेडी डाक्टर का कतई प्रबन्ध नहीं है, डाक्टर की सहायता के लिए लेडी डाक्टर का होना जरूरी है । इसी डिस्ट्रीक्ट में एक ईसरदा एक जगह है जो चालीस हजार की आबादी का क्षेत्र है किन्तु सिर्फ एक डाक्टर है वह भी ईसरदा में उसके सिवाय कोई मेडीकल एड नहीं । मेडिकल विभाग के जितने भी औषधालय हैं उनमें तीस चालीस इनडोर पेशेन्ट होते हुए भी उनकी हर तरह से इलाज करने की कोशिश की जाती है । मैं इनडोर पेशेन्ट के लिए ठीक व्यवस्था करना बहुत जरूरी मानता हूं । ऐसी हालत है उसको सुधारा जाय । एक डिस्पेन्सरी से अगर किसी का तबादला कर दिया जाता है तो वहां महीनों तक राहत नहीं पहुँचती । आज भी हमारे यहां दूसरी ओर से आर्थिक सहायता मिलना सुलभ है हमें चाहिए कि इस प्रकार जो आर्थिक सहायता इन कामों के लिये देते हैं उनका लाभ उठाते हुए इस प्रकार जनता को राहत पहुँचाई जानी चाहिये ।

अन्त में मैं अध्यक्ष, महोदय यह दुबारा निवेदन करना चाहूंगा कि मेटरनीटी होम्स के लिये हमें ज्यादा से ज्यादा जागरुक रहने की आवश्यकता है । मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री से यह निवेदन करूंगा कि आप गांवों में अस्पतालों की संख्या बढ़ाइये, ग्रामीण जनता को अधिक से अधिक राहत पहुंचाइये । जहां तक बड़े अस्पतालों की हालत है उसमें सुधार हुआ है लेकिन जितना सन्तोषप्रद होना चाहिये पूर्णतया उतना तो नहीं हुआ है । उस स्टेन्डर्ड पर लाने के वास्ते मैं मानता

[श्री श्रीदास गोयल]

हूं हमारे मन्त्री महोदय अवश्य कार्यवाही करेंगे और जो कुछ कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट चाहता हूं। सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विषय पर काफी प्रकाश डाल दिया है; मैं एक विशेष बात की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह है प्रसूति गृह और बालकों की देखरेख के बारे में। मैं बजट में एक बात जो देख पाया हूं वह यह कि हमारी सरकार द्वारा आयुर्वेदिक, तिब्बे यूनानी आदि दवाखानों को सहायता मिलती है लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रसूति गृह अथवा एलोपेथिक डिस्पेन्सरीज जो प्राईवेट चलाई जाती हैं उनको सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती। इसमें क्या सिद्धांत है, यह मैं समझ नहीं पाया। सरकार बहुत सी डिस्पेन्सरीज और बड़े २ अस्पताल बनवाती है क्या यही कारण है इस लिये इन डिस्पेन्सरीज को मदद देना नहीं चाहते या हम आयुर्वेदिक यूनी.तिब्ब औषधालयों को कम चलाना चाहते हैं और प्राइवेट औषधालयों को मदद देना चाहते हैं, क्या सिद्धांत है मैं आशा करता हूं माननीय मन्त्री इस प्रकार अवश्य प्रकाश डालेंगे।

मुझे केवल निवेदन करना है प्रसूतिगृह और बालकों के निरीक्षण केन्द्रों के बारे में, क्या इन पर सरकार अपना पैसा खर्च करना चाहती है या नहीं ?

बहुत सी जगह तो प्रसुति गृह हैं ही नहीं और न बालकों के देखभाल का ही केन्द्र है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक विशेष बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक महान नेता अजमेर से सड़क द्वारा आ रहे थे कार्यवशात् वे सड़क पर रुक गये उन्होंने यह उचित समझा कि पास ही गांव है उसमें जाकर ग्रामीणों से बातचीत करें। इस प्रकार वे एक हरिजन के घर में गये उस घर में एक वृद्धा और एक जवान स्त्री थी उन्होंने उनसे पूछा आखिर हिन्दुस्तान आजाद होगया तुम क्या चाहती हो इतना कहने पर वृद्धा बोली जो उनके दिल के भावों को लिये हुए शब्द कहें वह ध्यान देने लायक हैं, हम कुछ नहीं चाहतीं बस सिर्फ हमें साफ पानी पीने को मिल जाय और हमारे बच्चों की देखभाल हो जाय। प्रसुति के समय हमारी देखभाल ठीक प्रकार नहीं होने से हमारा स्वस्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं बन पाता। हम सिर्फ ये दो बातें चाहती हैं हम मकान बनवा सकती हैं रोजा रोटी पैदा कर सकता है इन दोनों चीजों की व्यवस्था हमारी शक्ति से बाहर है।

माननीय अध्यक्ष, यह जो उसने भावना बताई थी वह कि कितनी सुन्दर तरीके पर व्यक्त की गई और कितनी सच्ची भावना वह थी उस ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चहता हूँ। एक तो विशेष महत्व रखता नहीं, दूसरे पर ध्यान दिलाऊंगा कि अगर प्रसूतिगृह पर जितना सम्भव हो सके उतना पैसा खर्च किया जावेगा तो बच्चों की देखभाल भी साथ ही साथ पहले होजावेगी। उनका

[श्री गुलाबचंद कासलीवाल]

आधा शरीर रोगमुक्त होगा। अगर प्रसूति काल में उनकी ठीक तरह से देखभाल कर ली गई, तो इसका असर बच्चों की तन्दुरुस्ती पर भी ठीक पड़ेगा और जच्चा के स्वास्थ्य को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और वह एक प्रकार से लौंग टर्म इन्वेस्टमेन्ट होगा। सरकार को बाद में इनके बीमार होने पर जो खर्च आज करना पड़ रहा है वह खर्च कम हो जावेगा। उनके स्वास्थ्य की नींव जिस समय पड़ती है उस समय अगर पूरा पूरा ध्यान दे दिया गया तो फिर उसके बिगड़ने का डर कम रहेगा और इस पर फिर जो खर्च सरकार बीमारी की हालत में करती है वह नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा यही कहना है कि इस पर पूरा पूरा ध्यान दिया जावे और इस पर खर्च भी दिल खोलकर किया जावे। इस दृष्टि से एक अस्पताल को खोले जाने के बजाय एक शिशुकेन्द्र और एक प्रसूतिगृह का खोला जाना ज्यादा लाभदायक होगा। तो यह सन्तुलन बिठाना सरकार के लिये आवश्यक है इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे छ: कटोती के प्रस्ताव हैं और संक्षेप में मैं उन पर निवेदन कर देना चाहता हूं। आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने से पूर्व सरकार को एक क्राइटेरिया इसके लिये निश्चित कर देना चाहिये। उनके दिमाग में यह बात साफ रहनी चाहिये कि सारा राजस्थान एक सा अधिकार रखता है और कोई खास क्षेत्रीय भावना नहीं रक्खी जानी चाहिये।

इस वर्ष जो औषधालय खोले गये उनकी सूची अगर देखें तो जयपुर जो कि एक जिला है और आबादी के लिहाज से जो डिविजन के बराबर है, उसमें केवल एक औषधालय खोला गया और बाकी के सारे औषधालय खोले गये दूसरे स्थानों में और वह भी साल के आखिर में। दूसरी जगह भी जो खोले गये वर्ष के आखिर में खोले गये और उससे किसी को लाभ हुआ नहीं।

तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पहली बात यह क्राइटेरिया की है। यह निश्चत किया जाय, दूसरी बात जल्दी से जल्दी खोला जाय।

दूसरा मेरा कटोती का प्रस्ताव है दवाइयां आदि की अस्पतालों में कमी रहती है। कई अस्पताल ऐसे हैं जिनमें डाक्टरों, और मरीजों की संख्या को देखते हुए दवाइयां बहुत कम दी जाती हैं और इस ओर कभी ध्यान दिलाने के लिए सदन में सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है कि इसमें भी कमी की जावेगी। तो मैं तो उम्मीद करता था कि अगर कोई बात ध्यान में लाई जावेगी तो उस पर सरकार गम्भीरता से सोचेगी और उचित कार्यवाही करेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस दृष्टिकोण से सवाल हल नहीं होने वाला है, सवाल तो हल होंगे जब कठिनाईयों को आप दूर करेंगे।

दूसरी बात जो निवेदन करना चाहता हूँ कि वह यह है कि इन अस्पतालों में औजारों की भी कमी है। बड़े बड़े अस्पतालों में तो फिर भी खास तौर से कृपा हो जाती है पर दूसरे स्थानों की

[श्री चांदमल मेहता]

ओर ध्यान नहीं दिया जाता। साथ ही यह भी अजीब सी बात है कि बजट में जो रकम मन्जूर होती है वह खर्च नहीं होती। एक तरफ तो औजार नहीं और दूसरी तरफ पैसा है तो उसे खर्च करने की व्यवस्था नहीं। जैसे मैं अर्ज करूं किशनगढ़ जानना अस्पताल के लिए पांच हजार की रकम रखी गई पर उसमें से एक पैसा औजारों के लिये खर्च नहीं हुआ जब कि इनकी वहां सख्त जरूरत है अब भी। इसी तरह सामान की भी जरूरत है पर वह भी नहीं पहुँचाया जाता। जैसे मैं नमूने के तौर पर कह दूं कि रिफ्रिजरेटर की आवश्यकता वहां महसूस की जा रही थी जिसके बारे में इस हाउस में भी तीन चार वार जवाब दिया जा चुका है पर अभी तक नहीं पहुँचा है।

तीसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। अध्यक्ष महोदय, यह सेवा का विभाग है, इसमें भी भ्रष्टाचार का अजीब बोलबाला है। मैं किशनगढ़ की बात अर्ज करूं। स्टेट के शासन के वक्त वहां ऐसी कोई बात नहीं थी पर आज यह हालत है कि आम तौर पर दवाइयों के लिए डाक्टरी बाजार में खरीदने के लिये लिख देते हैं और वे जहां से खरीदते हैं वहां से एक अच्छा परसेन्टेज इन डाक्टरों को मिल जाता है। वे दुकानदार इन डाक्टरों को कमीशन देते हैं। दूसरी ओर यह भी होता है कि औषधालयों और अस्पतालों में भी दवाइयां कीमतन दी जाती हैं। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब ऐसे मामलों में शिकायतें सरकार के सामने पेश की जाती हैं तो सुबूत मांगा जाता है, एफीडेविट मांगे जाते हैं और ये सब भी दे दिये जाते हैं पर तब भी छः महीनों तक कोई फैसला नहीं किया जाता। सरवाड़ में अच्छा डाक्टर था, पर लोकल उसका तबादला कर दिया गया। कोई बात नहीं कर दिया गया तो। उसकी जगह दूसरा आया जो कि इस बात का आदी था कि दवाइयों के पैसे लिये जाएं। उसने वहां भी खुले आम दवाइयों के पैसे लेना शुरू कर दिया। उसकी शिकायत हुई, शिकायत के बाद मांगने पर सुबूत और एफीडेविड पेश भी कर दिया गया पर फिर भी जांच नहीं हुई इस मामले की। मन्त्रीजी दौरे में गये उस पर भी जांच नहीं हुई। सदन में कहा गया कि जांच अब कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि सरकार अगर इस तरह करती है तो फिर हम किसके पास जावें शिकायत करने और न्याय मांगने। ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में जब सरकार की ओर से मौन रक्खा जाता है तो दुख होता है और वह दुख और बढ़ जाता है जब कि वह भ्रष्टाचार अस्पताल सरीखी सेवा संस्थाओं में हो और उस पर भी ध्यान न दिया जाता हो। तो आशा है सरकार इस पर ध्यान देगी।

चौथा मेरा प्रस्ताव है कि अनावश्यक तौर पर डाक्टरों, कम्पाउन्डरों, नर्सों आदि का जो ट्रान्सफर किया जाता है उस पर। एक बार फैसला सरकार ने कर लिया कि २५० रुपया से कम वालों का हम उनके होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर तबादला नहीं करेंगे। पर यह विभाग तो इस तबादलों के रोगी सा हो गया है। इसकी तो तबादला करने की आदत सी पड़ गई है। तो इस रोग को भी रोकने की माननीय मन्त्री महोदय कोशिश करेंगे, ऐसी आशा है। जब एक निर्णय हम कर लेते हैं कि २५० रुपयों से कम वेतन पाने वालों का तबादला उनके होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं किया जावेगा तो इस विभाग की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसका ईमानदारी से पालन किया जावे।

[श्री चांदमल मेहता]

पांचवां जो मेरा कटोती का प्रस्ताव है वह उन डाक्टरों के लिए है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में सेवाएं की थीं। जिसके बारे में सन् ५० में भारत सरकार ने एक सरक्यूलर जारी किया था, और उस सरक्यूलर में यह कहा गया था कि जिन डाक्टरों ने दूसरे विश्वयुद्ध में सेवाएं की थीं उन सेवाओं को उनकी सरविसेज में जोड़ दिया जाय। लेकिन खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि उस सरक्यूल की बहुत कम तामील हुई है खास तौर से जयपुर जिले के बारे में मैं देख रहा हूं कि इसमें सरकार ने अपनी ओर से उदासीनता बरती है। इस संबंध में दो बार कट मोशन पेश किये गये हैं और ४ बार सवाल भी इस सदन में किये गये हैं और बार बार सरकार की ओर से यह आवश्वासन दिया गया कि वे इस पर विचार करेंगे। मैं मानता हूं कि या तो उनका आश्वासन देना कोई वक्त नहीं रखता है या यह कहें कि उनके अधिकारी मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासनों की कीमत नहीं करते और पालन नहीं करते। मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करता हूँ कि डाक्टरों के सिलेक्शन में उनकी सरविसेज की बात देखी जाती है। जिन डाक्टरों ने दूसरे विश्वयुद्ध में काम किया था उनकी नौकरी काउन्ट नहीं किये जाने के कारण सरजन ग्रेड १ में लिये जाने के बजाय ग्रेड २ में पड़े हुए हैं। इस दृष्टि से उनके पक्ष में अहित हुआ है। जब कि यह सरक्यूलर था कि जिन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध में सेवाएं की थीं उनकी सरविसेज काउन्ट कर ली जांय तो हमारी सरकार को उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए और उन डाक्टरों के साथ न्याय करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना कटोती का प्रस्ताव पेश करता हूँ।

डा० श्री मंगलसिंह—अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा की मांग के सिलसिले में मैंने भी एक कटोती प्रस्ताव रखा है। वह प्रस्ताव मेडिकल विभाग में जो प्रबन्ध है उसकी खामियां दूर करने के बारे में है। चिकित्सा की की जो सहायता है वह ऐसी सहायता है कि जिस वक्त इस सहायता की आवश्यकता होती है उस समय चाहे वह धनवान आदमी हो, चाहे बलवान हो अथवा वह प्रतापवान और प्रतिभावान हो, लेकिन जिस समय वह बीमार पड़ता है तो वह निर्धन से निर्धन और कमजोर से कमजोर हो जाता है, और उस वक्त की सहायता वह सहायता होती है कि जो सहायक उस समय में काम में आता वह जन्म भर के लिए उस मनुष्य पर अहसान कर देता है। चाहे उस चिकित्सा के बदले में चाहे कितना ही द्रव्य क्यों न दिया जाय, चाहे कितनी उस चिकित्सक की सेवा की जाय, लेकिन जिस समय वह सहायता करता है उस समय को रोगी भूल नहीं सकता है अपने जन्म भर। ऐसी सहायता की सब लोगों को बराबर आवश्यकता रहती है चाहे वह साधू संत हो चाहे वह डाकू चोर हो लेकिन जिस वक्त इस प्रकार की सहायता की आवश्कता हो तो चिकित्सक उसमें फर्क नहीं करता है कि डाकू है या यह साधू है और इसका इलाज दूसरी प्रकार से किया जाय और उसका इलाज दूसरी प्रकार से किया जाय। जो अच्छे चिकित्सक हैं वे इस बात का विचार किये बगैर ही इस काम को करते हैं। तो इस सिलसिले में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारे देश में बहुत दिनों से जो चिकित्सा का क्रम चला आ रहा है पिछले हजारों वर्षों से वह कोई योजना के आधार पर नहीं है। जो लोग इस देश में आये उन्होंने अपने अपने प्रबन्ध के लिए राजाओं और बादशाहों ने अपना

[डा० श्री मंगलसिंह]

इन्तजाम किया, और उसके जरिये से अगर कुछ जनता को भी सहायता मिल गई तो अच्छा वर्ना वह प्रबन्ध केवल बादशाहों और राजाओं और उनके नजदीकी रहने वालों के लिए किया जाता था। फौज के लिए इन्तजाम किया जाता था। पुलिस वालों के लिए इन्तजाम किया जाता था। सरकारी कर्मचारियों के लिए इन्तजाम किया जाता था और राजा और राजा के संबंधियों के लिए इन्तजाम होता था। सारी जनता के प्रबन्ध के खयाल से सही विचारा कभी आया नहीं और मुझे खेद है, कि श्रीमान्, उसका विचार छिपे हुए रूप में अभी तक वैसा ही बना हुआ है।

इस सिलसिले में इतना कहूँगा कि आज से १५०० या २००० वर्ष पहले चीन में एक प्रथा थी। सारे चीन की तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जो मेरे पढ़ने में आया है वह यह है कि वह अच्छे खासे हिस्से में थी। और वह प्रथा यह थी कि एक चिकित्सक एक हिस्से के लिए रख दिया जाता था और उसके चार्ज में हजार, पांच सौ या जितनी सीमा उसके लिए थी उतने कुटुम्ब उसके चार्ज में दे दिये जाते थे। वह उन कुटुम्बों का डाक्टर होता था, और वह उन कुटुम्बों के सिवाय दूसरा काम नहीं करता था और जितने भी लोग उन कुटुम्बों में थे उनके लिये डाक्टर वही रहता था। हां यदि कोई बीमारी उस डाक्टर के समझ में नहीं आती थी और आम तौर पर जब कोई विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती थी, जैसे आंखों के इलाज के लिए जिसमें कि वह डाक्टर होशियार नहीं होता था तो वह चिकित्सक ही उसका प्रबन्ध करता था ऐसा क्रम था और दूसरी खूबी यह थी कि वह सारे लोगों के नाम की एक २ किताब के तौर पर रखता था उसमें हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में कि उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका मेजरमेंट क्या है, उसके अन्दर के अवयव कैसे हैं, उसका वजने आदि का लेखा रहता था। इस तरह से हरेक व्यक्ति की जन्मपत्री की तरह वह बना देता था, और जिसके अनुसार उसके गुजारा करने का क्रम, उसके खाने का क्रम, उसके रहन सहन का क्रम उसको बतला देता था। और यदि किसी कुटुम्ब में कोई बीमारी पड़ती और डाक्टर को बुलाया जाता रोगी को देखने के लिए तो कुटुम्ब से जो एलाउन्स उसको मिलता था, राज की ओर से डाक्टर को एलाउन्स तो मिलता था लेकिन वह नाम मात्र का होता था और उन कुटुम्बों से भी थोड़ा २ करके उस डाक्टर को दिया जाता था और वह महावारी होता या और बीमार पड़ता या न पड़ता लेकिन उस कुटुम्ब को वह एलाउन्स हमेशा देना पड़ता था, तो वह डाक्टर जिस रोज मरीज को देखने आता था तो उस कुटुम्ब से जो उसको महावारी एलाउन्स मिलता था तो उसमें से उस दिन का एलाउन्स कट जाता था। जिस दिन वह मरीज को देखने आता था उस दिन का एलाउन्स वह कट जाता था। ऐसा क्रम नहीं था जैसा कि आज है कि डाक्टर आया तो फीस लेता है लेकिन वहां यह था कि जिस दिन डाक्टर मरीज को देखने जाता था उस दिन की उस को तनख्वाह कट जाती थी उसका अर्थ यह था कि डाक्टर का यह काम था कि बीमार न पड़ने दिया जाय और वह बीमार क्यों पड़ा। यह काम नहीं था कि बीमार पड़ने पर इलाज किया जाय। यह डाक्टर का काम नहीं था। वह जैसा कि कहा करते हैं कि prevention is better than cure यह तो अब केवल कहावत रह गई है, लेकिन पुराने जमाने में इस प्रकार का क्रम था और इस प्रकार का इलाज होता था। लेकिन उसके साथ २ यह भी था कि अगर आपकी दावत है और उसमें चाहे जो कुछ खाये और चाहे जितना खा लें और फिर

[डा० श्री मंगल सिंह]

बीमार पड़ें और तनख्वाह कटे डाक्टर की यह थोड़े ही हो सकता था। उस वक्त यह होता था कि जब आपकी दावत हो तो मेनु पहले पास कराये डाक्टर से और वही खाना खाइये और जो डाक्टर ने क्रम बान्ध दिया उसी तरह का बराबर रहन सहन हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके कारण डाक्टर और कुटुम्ब का एक बड़ा खानदान हो जाता था। और खानदान की वजह से वह डाक्टर अपनी सेवाओं के द्वारा उनको स्वस्थ रखता था और बीमार नहीं पड़ने देता था। दूसरी बात यह थी कि डाक्टर को जो पुरुस्कार मिलता था उसमें कमी होने का डर नहीं था। लोगों को यह विश्वास था कि डाक्टर हमेशा उनकी सेवा करने को तैयार रहता था। मैं यह नहीं कहता हूं कि यही प्रथा यहां चालू कर दो जाय लेकिन कोई प्रथा, कोई योजना इस प्रकार की होनी चाहिये यह मेरा आप से निवेदन है।

अब हमारे यहां चिकित्सा के लिये जो धन दिया जाता है वह जितना इस साल दिया जाता है तो अगले साल जरूर इससे ज्यादा होता है। लेकिन जितना इस कार्य के लिये आवश्यक है उसके मुकाबले में यह धन कोई धन नहीं है और भी धन आपको देने की आवश्यकता है। इसमें चाहे जितना ही धन दिया जाय वह काम ही आयेगा। इसमें इस वक्त धन की बहुत आवश्यकता है। आगे चलकर शायद इतनी आवश्यकता न रहे तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, श्रीमन्, कि इसके प्रबन्ध के अन्दर खास तौर से देखभाल करने को जरूरत है। सुप्रबन्ध को अत्यन्त आवश्यकता है

अब हमारे यहां इस वक्त इलाज की गई पद्धतियां और कई तरीके चल रहे हैं। एक है एलोपेथिक, एक है आयुर्वेदिक, एक है यूनानी, एक है होमियोपेथिक। मेरा ऐसा मानना है कि जो शरीर में रोग हैं और जिस औषधि से वह रोग जाये वही औषधि ठीक है। इसके अन्दर इस प्रकार का भेद भाव रखते हैं जो कि हमारे चिकित्सा में भी कभी २ पाया जाता है। कभी २ जो मरीजों का प्रबन्ध करने वाले हैं, वह यह बात कह देते हैं। मेरा यह कहना है कि इन बातों का फर्क छोड़ कर इसका समुचित प्रबन्ध हो।

अब सवाल यह है कि सुविधा किसमें हो। तो मे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश के गांव गांव में अगर चिकित्सा का प्रबन्ध करना है तो आयुर्वेद के ही जरिये से अधिक हो सकता है। इसमें कोई शंका नहीं कि चीर फाड़ की जो चिकित्सा है वह आधुनिक काल में इतनी बढ़ गई है कि वह विशेषज्ञों के द्वारा ही की जा सकती है और जो चिकित्सा प्रणाली इतनी आगे बढ़ गई है उसको पीछे हटाने की आज जरूरत नहीं है, लेकिन औषधियों के लिए आयुर्वेद को ही प्रोत्साहन देना आवश्यक है और इतना सस्ता और अच्छा और इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें दो चार कमियां हैं जिससे उसको ऊंचाई पर नहीं ले जाया जा सका। सबसे बड़ी कमी आयुर्वेद विभाग में नजर आती है वह यह कि दवाइयों का स्तर एकसा नहीं है। एक वैद्य कहता है यह ठीक नहीं है, दूसरा वैद्य कहता है कि यह ठीक है एक वैद्य कहता है कि इसके बनाने में गलती कम है, दूसरा कहता है कि ज्यादा है, पहला दूसरे को और दूसरा पहले को

[डा० श्री मंगलसिंह]

गलत बताता है। कोई हिन्दुस्तान में ऐसा कारखाना नहीं है कि दवाईयों के मामले में उसको सर्व प्रथम प्रतिष्टा दे दी जाय। दवाईयां बनाने का जो तरीका है, जो नुश्खा है उसको देख भाल कर, जिसके लिये कोई केन्द्रीय संस्था बनाई जाय जो हर एक नुश्खे को देखकर अच्छी पेटेन्ट ओषधी बनावे यह ठीक हो सकता है, विश्वसनीय हो सकती है वह औषधी क्योंकि एक एक दवाई के दो दो चार चार नुश्खे हैं। यह केन्द्र द्वारा होना चाहिए था लेकिन केन्द्र में जब नहीं होता है तो हमको ही करना पड़ेगा।

सवाल यह है कि चिकित्सकों की कमी है। औषधालय खोलते हैं लेकिन चिकित्सक नहीं मिलते। इसके लिए आयुर्वेद कालेजों का समुचित प्रबन्ध करें, और मेडीकल कालेजों का प्रबन्ध करें, जो चिकित्सक आवश्यक हो उनके नम्बर, नाम उनकी जानकारी में हों, और इसका प्रबन्ध जल्दी से जल्दी होना चाहिए।

प्रबन्ध के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऊपर के लोग जो प्रबन्ध करने वाले हैं वह यह करते हैं कि यहां अधिक हो जाय। अधिक एक जगह के लिए आप करेंगे तो अधिक करने से कहीं न कहीं तो कमी हो ही जायगी, आप एक जगह अधिक करेंगे तो वह कट कर दूसरी से ही जायगा। शरीर में खून उतना ही है। एक जगह सक (suck) करें तो वहां अधिक खून इकट्ठा हो जाता है वह शरीर के दूसरे भागों से ही आता है क्योंकि खून से बल बढ़ता नहीं वह तो एक अवयव से दूसरे अवयव में पहुँच जाता है। अगर २० लाख रुपया एक जगह आप लगा देते हैं, जयपुर के अस्पताल में आप लगा देना चाहते हैं, जयपुर के अलावा उसकी कहीं न कहीं तो कमी हो ही जायगी, दूसरे स्थानों में कमी हो जायगी। मैं समझता हूं कि गांवों के अन्दर चिकित्सा का विशेष प्रबन्ध होना चाहिए, मैं यह नहीं कहता कि शहरों में नहीं होना चाहिए। शहरों में तो और भी अस्पताल हैं, प्राइवेट हैं, यहां के रोगी दूसरी तरफ से भी मदद ले सकते हैं, लेकिन गांवों में कोई चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं है वहां विशेष रूप से गवर्नमेंट का कर्तव्य हो जाता है कि ज्यादा रुपया लगा करके ज्यादा और अच्छा प्रबन्ध करें। यदि बीस बीस लाख रुपया, चार चार लाख रुपया शहरों के अस्पतालों को दे देना तो मामूली बात है और जहां गांवों में आयुर्वेद की एक छोटी सी डिस्पेन्सरी भी खोलेंगे, एक वैद्य है, एक कम्पांउन्डर है, तो उसके लिए कहा जाता है कि गांव में मकान बनाकर दो अस्पताल के लिए, वैद के रहने की जगह दो, तब वहां औषधालय खोलेंगे। शहरों में बीस लाख, पांच लाख रुपया लग जाय वहां तो किसी को नहीं कहते। लेकिन जहां गांवों में घर नहीं हैं, गरीब आदमी बसते हैं, वहां यह शर्त रखना कि मकान दो, तब खोलेंगे औषधालय, आप गांव वालों की सहायता नहीं कर रहे हैं किन्तु उनके सीधा रहने का, उनकी गरीबी का, उनकी सादगी का अनड्यू एडवान्टेज (फायदा) उठा रहे हैं और वे सीधे हैं, सोचते नहीं हैं, तब तक ही फायदा उठाया जा सकता है, जिस वक्त जागेंगे। ये क्या करेंगे, यह आप ही सोच लीजिये। मैं यही कहना चाहूँगा कि गांवों की चिकित्सा के सम्बन्ध में जागरूक हो कर, गांवों के लिए समुचित प्रबन्ध करना चाहिए। किसान जमीनों का टेक्स देते हैं, दूसरे टेक्स वे देतें हैं उन पर यह और टेक्स न लागू करें।

[डा० श्री मंगलसिंह]

यही प्रार्थना है उनके साथ और उदार नीति बरतनी चाहिए। छोटी २ राजधानियां हैं उनको बड़े २ शहरों के मुकाबिले में नीचा गिराने की बातें होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि धौलपुर में एक सौ बीस बेड्स का अस्पताल था और उस नाते उसको 'ए' कलास का अस्पताल हो जाना चाहिए था और गवर्नमेंट का कानून था कि सौ बेड्स होंगे तो 'ए' क्लास बना देंगे और उसमें वह आ जाता था। दो चार महीने पहले उस अस्पताल के दो टुकड़े कर दिये गये। स्त्रियों के लिए ६०-६५ बेड्स का कर दिया, मेल वार्ड के लिए ७५ का कर दिया और इस प्रकार वह सौ बेड्स में नहीं आया। तो यह तरकीब करके उसको दूसरे क्लास का अस्पताल बना दिया गया। यह नीति बड़े आदमियों की नीति नहीं थी और इस प्रकार से छोटी छोटी बातें जिनके दिमाग में आती हैं वे राज्य करने लायक नहीं हैं, उनका दृष्टिकोण वह होना चाहिए कि जो गरीब है उसको ऊंचा उठायें, निर्बलों की बलवानों से रक्षा करें, निर्धनों की धनवानों से रक्षा करें यह नीति दृष्टिकोण से निकल गई होगी, यह सूचना ऊंचे आदमियों के पास तक नहीं पहुँची होगी, नीचे वालों ने ही स्कीम बनाकर पेश करदी होगी। इसको ठीक करने की जरूरत है। उसके बाद नतीजा क्या निकला ? वहां पहले दो स्पेसिलिस्ट ग्रेड के डाक्टर रखे थे वे वहां न रहे। इस संबंध में शिकायत की, प्रार्थना की, उत्तर मिले कि बात तो ठीक है हम एक स्पेसिलिस्ट ग्रेड का डाक्टर भेज देंगे। प्रश्न उठा कि कौन भेजा जाय ? कहा गया कि किसी डाक्टर को भेज दो। लोगों ने स्वीकार किया। फिर प्रार्थना की गई, दूसरे डाक्टर को राजाज्ञा मिली धौलपुर जाने की। लेकिन वह नहीं आया, आखिर उसको धौलपुर ट्रांसफर कर दिया परन्तु साथ ही साथ उनको दो वर्ष की छुट्टी दे दी विलायत में पढ़ने चले गये। वे विलायत चले गये तनख्वाह धौलपुर के जुम्मे और डाक्टर महोदय विलायत में पढ़ते रहे। वाह रे प्रबन्ध। धौलपुर के साथ घोर अन्याय। इस प्रकार की छोटी छोटी त्रुटियां हैं। यदि छोटे विचार नहीं होते तो कर्मचारी लोगों के विचारों में इस प्रकार की छोटी छोटी बातें क्यों आती, छोटे २ लोगों में ये विचार आ जाना स्वाभाविक है क्योंकि ये छोटे विचार के हैं, राज्य करते हैं। यह छोटे और खोटे विचार लोगों के दिमाग से निकल जाना चाहिये, यह विशेष रूप से प्रार्थना है कि लोगों को विशेषकर गांवों और कस्बों के निवासियों को समुचित रोग निवारण की सहायता मिल सके।

दो शब्द और कह देना चाहता हूं। चरित्र हीनता, रिश्वत खोरी, और भ्रष्टाचार की बातें कभी कभी इस प्रोफेशन के सम्बध में भी सुनने को मिलती हैं। मैं यह समझता हूँ कि अव्वल तो सदचरित्रता की सब जगह आवश्यकता है लेकिन अगर चिकित्सा और शिक्षा संस्थाओं में भी चिकित्सक और शिक्षक के चरित्र के बारे में भ्रम और गलती से भी चरित्र संबंधी दुर्गण हो जाय तो छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के लिए जो भेजते हैं तो उनका भविष्य में कैसा निर्माण होगा, वे आगे जाकर के किस प्रकार के नागरिक बनेंगे। और चिकित्सा के लिए हम अपनी मां, बहिन और बेटी को उनके (चिकित्सकों के) सुपुर्द कर देते हैं, उनके हाथों में दे देते हैं, अगर उनके चरित्र में संदेह भी हो तो एक बहुत बुरी बात है, विश्वास उठ जाता है और जो चिकित्सा का फल होना चाहिये वह नहीं हो पाता। तो मैं समझता हूं कि हमारे चिकित्सकों का विशेष रूप से कर्तव्य है कि वे अपने हृदयों में देखें, अपनी आत्मा में देखें, सोचें कि उन्होंने अपने ऊपर बड़ी जिम्मेदारी का काम

[श्री मंगलसिंह]

लिया है। जिन्होंने कमजोरों की सेवा करने का व्रत लिया है, गरीबों की सेवा करने का व्रत लिया है उनके ऊपर इस प्रकार का संदेह हुआ तो मैं समझता हूं कि बहुत बुरी बात होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटोती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति—श्री संतोषसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भोपालसिंह

(अनुपस्थित)

श्री अवनीकुमार मुकुर्जी

(अनुपस्थित)

श्री जगतसिंह झाला

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह

रावराजा श्री सरदारसिंह—माननीय चेयरमेन, चिकित्सा विभाग के बारे में मेरा एक कटौती प्रस्ताव है। जब भारत स्वतंत्र हुआ और वृहद् राजस्थान बना और ठिकानों का पुर्नगृहण हुआ उस वक्त से अब तक प्रजा को बड़ी २ आशायें थीं कि हम अभी छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे हुए हैं उनको जोड़कर हमको बड़े भाग में मिलाने से जो सुविधा मिलेगी वह छोटे टुकड़ों में बंटे रहने से नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करता हूं कि फोर्मर राजस्थान बना उस समय टोंक भी उसमें आया और वहां का मेडिकल डिपार्टमेंट फोरमर राजस्थान की सरकार के हाथ में आया। उसके बाद १७ जून, ५४को जुरिडिक्शनल ठिकानों का भी पुनर्ग्रहण हुआ और उनका मेडिकल डिपार्टमेंट भी सरकार के अधीन हुआ। उस वक्त में वहां भी डिस्पेन्सरीज़ थीं। जो उणियारा अलीगढ़ में डिस्पेन्सरी थी उस में मिडवाइफरी के लिए एक नर्स रहा करती थी और वह बम्बई से मिडवाइफरी में ट्रेन्ड थी और बल्लू बहन उसका नाम था। वह नर्स न मालूम रुखसत लेकर चली गई तो वापिस नहीं आई या उसको सरकार ने वहां से हटा दिया या उसका क्या हुआ कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही अलीगढ से नेरू को हटा दिया। आज मंत्री जी वहां जाकर देखें तो पता चलेगा कि वहां पर ऐसी अव्यवस्था हो रही है कि कोई संभालनेवाला नहीं है। कांग्रेस के नेता या प्रजा के दूसरे लोग पुकारते हैं तो भी कोई सुननेवाला नहीं है। इसका क्या परिणाम होता है कि बहुत सी गरीब औरतों

[रावराजा श्री सरदारसिंह]

और बच्चों की जान मुफ्त में जाती है और बगैर इलाज के और बगैर मिडवाइफ के। मैंने भी कई मर्तबा आपकी खिदमत में प्रार्थनापत्र पेश किये लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मैं मिसाल के तौर पर कहूंगा कि उणियारा में हरिजन महिला की जान चली गई। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी बड़ा भारी कष्ट उठाना पड़ा, फिर मैंने मोटर द्वारा टोंक से ३० मील से मिडवाइफ का इन्तजाम किया। मैं निवेदन करता हूं कि सर्दी का टाइम था इसलिए इन्तजाम हो भी सका। बरसात का टाइम होता तो यातायात के साधनों की कमी के कारण कोई इन्तजाम नहीं हो सकता था। वहां पर मिडवाइफ नहीं होने की वजह से तो कितना कष्ट उठाना पड़ता है।

दूसरी बात यह है कि तहसील दूणी को ३ वर्ष हुए नई क्रिएट हुए। सरकार का यह ध्यान है कि तहसीलवाइज कम से कम एक एलोपेथिक डिस्पेन्सरी जरूर खोली जाय, लेकिन वहां पर अभी तक कोई डिस्पेन्सरी नहीं खोली गई। उणियारा का यह हाल है कि वहां पर हमने फुल इक्विपमेंट्स से साथ होस्पिटल संभलाया था लेकिन आज वहां की हालत बहुत खराब हो रही है। न कोई सुनने वाला है और न रिप्लेस करनेवाला है, इसलिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वहां की हालत सुधारी जाय। एक योजना मैंने मेडिकल ऑफिसर टोंक द्वारा यहां भेजा था कि १०. १० मील के एरिया में जो बड़े बड़े कस्बे हैं जिनकी आबादी ४००० के करीब है वहां पर एक एक सब डिस्पेन्सरी में मिडवाइफ जरूर रहनी चाहिए। और जहां तीस तीस मील के फासले पर डिस्पेन्सरी हो उसके बजाय जहां दो २ चार २ हजार के कस्बे हैं जिसके नीचे १०,००० की पोपुलेशन शामिल हो जाय वहां एक डिस्पेन्सरी और एक एक मिडवाइफ रखना अति आवश्यक है।

माननीय चेयरमेन, अब यह महत्वपूर्ण बजट ५६-५७ का तैयार हो रहा है, उसमें द्वितीय पंच वर्षीय योजना भी शामिल की गई है। उसमें यह महत्वपूर्ण प्रयोजल जरूर रहना चाहिए यही मेरी प्रार्थना है।

(इसके पश्चात श्री चेयरमेन ने श्री मोतीलाल चौधरी और श्री मोहम्मद इब्राहीम का नाम पुकारा क्योंकि इनके कट मोशन्स थे, पर ये दोनों ही सदस्य अनुपस्थिति थे)

श्री शम्भूसिंह—माननीय चेयरमैन महोदय, मेरा कट मोशन इस प्रकार है। मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३८ में से १ रु० की कटोती कर दी जाय (भीलवाड़ा जिले की तहसीलों के ग्रामों में अस्पताल और औषधालयों की कमी को पूरा करने पर बहस करने के वास्ते)।

माननीय चेयर मैन, यह स्पष्ट है कि राज्य कोष में ज्यादा आमदनी गांवों से होती है लेकिन चिकित्सा में उन्हीं लोगों को सबसे कम सहायता मिलती है। यदि हम नगर की और गांवों की तुलना करें तो नगरों में वेल इक्विप्ड होस्पिटल्स मौजूद हैं और वहां पर वर्तमान समय के अच्छे

[श्री शम्भूसिंह]

चिकित्सक सुलभ हैं लेकिन गांवों में यदि हम जाकर देखें तो इस प्रकार के ऊंचे से ऊंचे चिकित्सा का प्रबन्ध होना तो दूर रहा लेकिन साधारण बीमारियों को राहत देने के लिये भी वहां कोई चिकित्सा संबंधी प्रबन्ध नहीं है, तो गांव वाले शिकायत करें कि हम ज्यादा टैक्स दें, ज्यादा कर दें और राज्य के कोष भरें और उन लोगों की कमाई का पैसा शहर पर खर्च कर दिया जाय यह कहां तक ठीक है ? यदि गांव के लोग प्राथमिक आवश्यकता से भी वंचित रह जायेंगे तो यह कहां तक उचित है। वे लोग भी उतने ही अधिकारी हैं जितने शहर के रहने वाले हैं। मैं आपके सामने भीलवाड़ा जिले के कुछ स्थानों का उदाहरण पेश करूं। भीलवाड़ा जिले में तहसील सहाड़ा रायपुर और मांडल है इन तीनों तहसीलों में औषधालयों की बड़ी कमी है। हां केवल तहसीलों के सदर मुकाम पर एलोपेथिक डिस्पेन्सरीज़ हैं और कहीं एक आध जगह आयुर्वेदिक औषधालय भी है लेकिन वहां स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए बिल्कुल यह बात है कि भीलवाड़ा जिले में बरसात के दिनों में जब आम तौर मलेरिया की मौसम आती है तो घर-घर में किसान इस भयंकर बीमारी के कारण बीमार पड़े रहते हैं और उनकी चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध नहीं हो सकता। इन लोगों के बीमार पड़े रहने से काम का बहुत बड़ा हर्जा होता है। इसके अलावा जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने मंत्रीजी से कहा कि गांवों में मेटरनिटी सेन्टर्स, जन प्रसूति गृह का कतई प्रबन्ध नहीं है। औरतों और बालकों की चिकित्सा या बालकों के स्वास्थ्य की देख भाल का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है, इसकी वजह से गांवों में बीमारियों का जोर अधिक है। तो यह तो एक प्राथमिक आवश्यकता है। गांवों में प्रसुतिगृह समुचित रूप से काफी तादाद में होने चाहिये मगर जहां पर औषधालय हैं या डिस्पेन्सरीज है उनके साथ भी प्रसूतिगृह या मेटरनिटी का संतोषप्रद इन्तजाम नहीं है। इसलिये होस्पिटल और डिस्पेन्सरीज़ के साथ प्रसूतिगृह अवश्य होना चाहिये और इसके बाद दूसरी जगह भी बड़े बड़े गांवों में इस प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिये। गत वर्ष मैंने खास तौर से सरकार का ध्यान देवरिया जो एक बहुत बड़ा गांव है उसकी आवश्यकता की ओर दिलाया था कि वहां पर औषधालय की कितनी आवश्यकता है और हमारे भूतपूर्व चिकित्सा मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक देवरिया गांव में आयुर्वेदिक होस्पिटल तक नही खोला गया है। मैं समझता हूँ कि विभागों के इस प्रकार स्थानान्तर होने से प्रबन्ध में या होस्पिटल आदि के खोलने में किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नही होनी चाहिये। यह तो एक मंत्री के लिये और दूसरे मंत्री महोदय के लिये बराबर समझा जा सकता है। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि जानगढ़ में आयुर्वेदिक औषधालय का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि मांडल में तहसील है, जहां एलोपेथिक और आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी है। यदि कोई चिकित्सा का लाभ उठाना चाहता है तो उसको ३५ मील जाना पड़ता है। यह उसके लिये बहुत मुश्किल है और खास कर इस समय में जब कि यातायात के साधनों की हमारे यहां बहुत कमी है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जानगढ़ में आयुर्वेदिक औषधालय का प्रबन्ध होना चाहिये। पहले भी इसके लिये रिपोर्ट की गई और फिर भी मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ कि वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। इसी प्रकार करेड़ा में डिस्पेन्सरी बन रही है, वहां पर भी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि Building के लिए पैसा इकट्ठा करो। यह हो सकता है कि जनता कुछ पैसा इकट्ठा करे लेकिन यह सारी जिम्मेदारी

[श्री शम्भूसिंह]

उनकी नहीं है यह तो कल्याण कारी राज्य को चाहिये कि वह होस्पिटल के लिये मकान का इन्तजाम करे और जो जनता सहायता दे उसको भी स्वीकार करले लेकिन मकान के इन्तजाम के लिये उन पर जोर नहीं दे। इसलिये मैं यह कहूँगा कि जो रकम दान के रूप में प्राप्त की जाती है उसके अतिरिक्त सरकार को शेष सब रकम व्यय करनी चाहिये, वरना गांव में इस प्रकार की धारना फैलती है कि जिस कल्याणकारी राज्य की हम आशा करते थे उससे तो पुराने राजाओं का राज्य ही अच्छा था जो बिना पैसा मांगे हमारे यहां औषधालय के लिये मकान बनाया करते थे और अपने वैद्य भेजा करते थे। परन्तु यह कैसा कल्याणकारी राज्य, जो नित नये कर लगा जाता है और चिकित्सा के लिये भी हमसे मकान बनवाने के लिये पैसे की मांग करता है। मैं निवेदन करूंगा कि करेड़ा में इसके लिये मकान जल्दी बनादें और मांडल, रायपुर आदि तहसीलों के बड़े बड़े गांवों में होस्पिटल की बड़ी भारी आवश्यकता है इसलिये इस कमी को शीघ्रतिशीघ्र पूरा करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटोती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति—श्री त्रिवेणी श्याम।

(अनुपस्थित)

श्री घासीराम।

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज।

(अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेयरमेन महोदय, इस मांग पर वैसे तो मेरे कटोती के प्रस्ताव काफी हैं लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं इन सब प्रस्तावों को मूव तो कर देता हूँ परन्तु चन्द पर ही बातें कहूँगा।

सबसे पहला मेरा कटोती का प्रस्ताव जिसका उल्लेख मैं आवश्यक मानता हूं, चेयरमेन महोदय, कम्पाउन्डरों को फर्स्ट ग्रेड में लेने के लिये जो बातें रखी गई हैं और जो रुख अपनाया गया है और जिसके कारण एक बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो गई है उसकी ओर मैं आपके जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन उस कार्य के लिये आवश्यक गिनी जाती है, वह क्या है? अगर आपको किसी को अहलकार मुकर्रर करना है तो आप उसके लिए एज्युकेशन क्वालिफिकेशन तय कर सकते हैं कि वह मेट्रिक होना चाहिये या इन्टर या बी. ए. होना चाहिये। अथवा आपको प्रोफेसर लेना हो तो आप यह कह सकते हैं कि वह बी. एस. सी होना चाहिये

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

या फर्स्ट क्लास एम. ए. होना चाहिये या उसके बाद कोई टेक्निकल जगह तो उसके लिये टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है। कोई डॉक्टर तय करना है तो आप यह कह सकते हैं कि एम. बी. बी. एस हो जो आई. ए. एस. या एफ. आर. सी, एस. हो इसी तरह से कोई इंजीनियर हो सकता है जिसके लिये आप कह सकते हैं कि वह ग्रेजुएट हो या किसी का डिप्लोमा होल्डर हो। मगर जहां एक मेडिकल डिपार्टमेन्ट में कम्पाउन्डर का ताल्लुक आता है न मालूम किस दिमाग की सूझ बूझ है कि उसकी एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन भी हो और वह पंजाब एक रीजनल कौन्सिल नाम की जो संस्था है उसके द्वारा जो परीक्षा ली जाती है उत्तीर्ण होने पर उसे नर्सिंग का डिप्लोमा प्राप्त हो। उसकी तरफ जरूर ध्यान दिया जावेगा इसके साथ साथ यह भी जरूर होना चाहिये कि वह मेट्रिक भी हो। चेअरमेन महोदय, पंजाब नै० रि० को० ने जब अपना कार्य शुरू किया और जो एक रजिस्टर्ड धा संस्था है उन्होंने भी अपने नियमों में यह नियम बनाया था कि कोई भी मिडिल पास हो तो परीक्षा में बैठ सकता है और वह यदि ठीक प्रकार से पर्चे करदे तो उत्तीर्ण कहा जाता है। तो जो टेक्निकल इन्स्टीट्यूट है वह खुद तो कहता है कि मिडिल पास इसके लिये एन्टाइटल्ड है और राजस्थान की सरकार कहती है कि हमको तो ऐसा चाहिये कि नर्सिंग के डिप्लोमा के साथ साथ वह व्यक्ति मेट्रिक भी हो।

कल तो यह भी संभव है कि राजस्थान सरकार का एक नियम निकले कि हमारे अस्पतालों डॉक्टर्स जो मुकर्रर करेंगे एम. बी. बी. एस. तो हैं लेकिन उनको इकोनोमिक्स का बी. ए. भी होना चाहिए। कल यह भी तय करेंगे कि इन्जीनियर्स है रुडकी से ट्रेनिंग पास करके भले ही आये लेकिन अंबर चर्खे का ज्ञान भी होना चाहिए। (हंसी) कोई बात हुई, तरीका हुआ, ढंग हुआ। वकील कोइशायद राजस्थान सरकार की निगाह में आये तो हाईकोर्ट से रजिस्टर्ड भले ही हों लेकिन उसके पास सेन्ट जोन्स एम्बुलेन्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका कोई जवाब नहीं। जो टेक्निकल इन्स्टीट्यूट्स, हैं जिनका धन्धा ही यही है, जो भारत के अन्दर मानी हुई इन्सटीटूयुट है उनहोंने खुद अपनी ओर से मिडिल स्कूल का स्टेन्डर्ड कायम करके परीक्षा ली, डिप्लोमा दिया उसके बाद राजस्थान की सरकार यह कहे कि हम तो मेट्रिकुलेशन का बार आवश्यक समझते है तो मैं समझता हूं कि यह किसी खुराफात दिमाग की सूझ हो सकती है। न्याय को बिना पर तो यह बात उपयुक्त नहीं लगती। इसी सिलसिले में एक छोटी सी चीज और अर्ज कर दूं चैयरमेन महोदय, बाकी की जितनी सर्विसेज़ हैं उनमें ऐसे नियम नहीं बने हैं। जहां तक पुरानी मुलाजमत का सवाल है, कई डाक्टर ऐसे थे जो एल. एम. पी हो थे और उनको क्लास १ में प्रोमोट कर दिया, यह नहीं पूछा कि एम. बी. बी. एस क्यों नहीं है। बडे बडे सरकार के अफसर हैं, कलेक्टर हैं और कमिश्नर हैं, जिनका नाम लेना यहां आवश्यक नहीं है, कई ऐसे हैं जो मैट्रिक भी नहीं है, उनके लिए मेट्रिकुलेशन का बार अडा नहीं। पुरानी सर्विस किये हुए लोग हैं, तजुर्बा किये हुए लोग हैं, कलेक्टर बन सकते है चाहे मेट्रिक भी भले न हो, लेकिन वे क्लास १ के कम्पाउन्डर्स नहीं बन सकते है, महज इस बिना पर उनके पास मेट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है। यह कहाँ का न्याय है, यह कौनसा स्टेन्डर्ड है, कोनसा तरीका है, कम से कम मैं यह कह सकता हूँ कि इस प्रकार का बिना किसी आधार का जो निर्णय अब तक चला

Page No 37

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रखा है यह इस विभाग में सबसे बड़ी और जल्द दुरूस्त करने की चीज है। पहली जिस चीज पर विशेष जरूरत देनी थी वह मैंने प्रस्तुत करदी और आवश्यक हुआ चैयरमेन महोदय, तो उत्तर में कह दूं और माननीय मंत्री कमसे कम इस मामले में तो मेरे उत्तर को आवश्कता नहीं समझेंगे और इसको तुरंत स्वीकार कर लिया जायगा और बाकी के प्रश्नों का समयाभाव के कारण छोड़ने के बाद आयुर्वेद विभाग द्वारा राजस्थान में आयुर्वेद की जो हालत है उस पर भी दो शब्द कहना चाहूंगा।

कई बार इस सिलसिले में सदन में चर्चा हो चुकी है और कई माननीय मित्रों ने बताया था। जहां जहां अस्पताल खोले हैं वहां दवाईयों के बारे में क्या हालत है अस्पताल खोलने के बारे में, रिसर्च करने के बारे में वनस्पतियां है उनसे नई नई औषधियां तैयार करके वितरण करने के बारे में कोई स्कीम नहीं है। आयुर्वेद की रिसर्च तो मेरा ख्याल है नहीं के बराबर है। लेकिन कोई तफ-सील में चीन का जिक्र करने के पहले मैं बताऊं कि इस महकमे के प्रति कितनी सजगता है राजस्थान सरकार की और कितना ध्यान आयुर्वेद के बारे में दिया जा रहा है इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा। १८-१०-५४ को राजस्थान राजपत्र प्रकाशित होता है और यदि मंत्री महोदय चाहें तो उस को अभी मंगवा कर देख लें। १८-१०-५४ को राजपत्र में रूल्स छपते हैं। वे किस ने छापे और किसने मंजूर किये उस सिल सिले में नोटिफिकेशन में किसी के दस्तखत भी मौजूद नहीं हैं। आयां राजस्थान सरकार के मेडिकल सेक्रेटरी ने राजस्थान सरकार की मंजूरी लेकर के और एक्ट की धारा ५४ के अनुसार रूल्स बनाये या सरकार द्वारा मनोनीत जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड है कि जिसको आपने कार्य प्रणाली के सिलसिले में रूल्स बनाने के अधिकार दे रखे हैं उन्होंने अपने रूल्स बनाकर छापे हैं यह चीज साफ नहीं है क्योंकि किसी के उस नोटिफिकेशन पर दस्तखत नहीं हैं। सरकार के द्वारा बनाये या बोर्ड की सिफारिशें हैं इसका कोई उल्लेख नहीं है और गजट में छाप दिये। लोगों ने पूछा कि यह क्या है तो सरकार के जिम्मेदार अधिकारी आयुर्वेद विभाग के डायरेक्टर महोदय, जो इस बोर्ड के चेयरमेन महोदय भी हैं, उन्होंने उत्तर दिया कि जो आपकी समझ में आवे वह मान ले, सरकार का चाहे तो सरकार का मान ले और हमारा चाहे तो हमारा। मेरी यह जान कारकारी है चेयरमेन महोदय, कि उस समय आयुर्वेदिक विभाग के डायरेक्टर थे ही नहीं, वह स्थान रिक्त था, मेडिकल सेक्रेटरी ही डाइरेक्टर का काम कर रहे थे, चुंकि रूल्स बनाने का काम आयुर्वेद वालों का है, आयु-र्वेद का मामला है इसलिए उन्होंने बोर्ड वालों को बुलाकर कहा कि आप बना दे आधे सरकार के और आधे बोर्ड वालों के बने रूल्स को मिला कर छाप दिया, उन पर आज तक दस्तखत मौजूद नहीं है अगर मंगवाकर माननीय मंत्रीजी मुलाहिजा करे तो ठीक है नहीं तो प्रस्तुत कर दूं। दस्तखत नहीं हैं।

जो इन्डियन मेडीकल एक्ट इस सदन ने पास किया उस एक्ट के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में जो नियम बनाये हैं उन नियमों में, शिड्यूल 'ए' में यह रखा है कि जो ऐसे वैद्य हों कि जो अनुभवी हों और जिनको १५ साल का एक्सपीरियन्स हो अनुभवी हो, प्रेक्टिस करते हों तो उन्हें भी 'अ' श्रेणी में शुमार किया जा सकता है अभी जो रूल्स अथवा रेगुलेशन बने हैं,

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उनके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता यह तो मंत्री महोदय ही बतावेंगे, लेकिन मेरी समझ से तो दोनों की खिचड़ी हो गई है। रूल्स रेगुलेशन्स को खिचड़ी बन गई। यह बने हैं कि तजुर्बा और प्रेक्टिस १५ साल होनी चाहिए और उम्र ४०। उसमें उम्र कहां से आगई। यह न एक्ट में है और न शिड्यूल में है और न अधिकार दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन वालों को। किसी को लेना था मैं नहीं कह सकता, यह ४० साल की उम्र घुस पड़ी और जिस राजस्थान सरकार को यह अधिकार है कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड अवैध चीज़ करे तो तुरन्त उनको खारिज कर सकती है। वह राजस्थान सरकार के सामने यह बात पहुंची या नहीं, उनके कार्य से प्रतीत होता है कि वह नींद ले रही है।

इतना ही नहीं चेयरमेन महोदय, पहले रजिस्ट्रेशन बोर्ड मुकर्रर हुआ और जिसके लिए यह तय किया था कि उसमें ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनका कमसे कम दस साल का स्टेन्डिंग हो। अभी रजिस्ट्रेशन बोर्ड के जो सदस्य हैं उनके नाम मैंने देखें हैं एक सज्जन ऐसे हैं जो दस साल पहले बनारस में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अगर उनका स्टेन्डिंग स्कूल में आयुर्वेद शिक्षा प्राप्त करने के जमाने से गिना जाय, पढ़ रहें हैं तब से गिना जाय तब तो दूसरी बात है लेकिन जब उनको डिप्लोमा मिला तब से उस हिसाब से सात साल ही होते हैं। तीन साल कैसे उड़ा दिये। यह तो कोई डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी की चीज़ नहीं। यही कहेंगे कि जांच करेंगे, जांच की जरूरत है। डिप्लोमा को तो सात साल से दस साल कर नहीं सकते। १० साल की अवधि में रजिस्टर हो गये। एप्लीकेशन्स मंगाई तो कहा कि पांच पांच आने के टिकिट भेजो और सैंकड़ों लोगों ने भेजे लेकिन वे विभाग में कहीं दर्ज नहीं हैं और न उनको उत्तर ही मिला है।

लोगों ने फीस के रुपये भेजे, पोस्टल आर्डर भेजे, हुक्म शाया किये गये एक वक्त पर शाया नहीं किये, पोस्टल आर्डर पोस्ट आफिस में पड़े रहे। नतीजा यह हुआ कि लोगोंको सर्टिफिकेट नहीं मिले। यह भी कहा जाता है कि जो भी फीस आई उसका भी पता नहीं। इतना ही नहीं अभी अभी आपने एक्ट में देखा होगा चेयरमेन महोदय, पोस्टकार्ड से रजिस्टर्ड बोर्ड द्वारा शाया किये गये। लोगों की एप्लीकेशन के सिलसिले में आप कागजात अमुक अमुक तारीख तक लिखने की कृपा करें लेकिन दस्तखत नीचे नदारद हैं। ऐसे पोस्टकार्ड तो मैंने अपनी आखों से देखे हैं यदि माननीय मंत्री महोदय भी देखना चाहें तो मैं उनकी सेवा में भी दो चार प्रस्तुत कर सकता हूँ। विभाग की ओर से उत्तर लिखा हुआ है, तारीख लिखी हुई है लेकिन नीचे किसी के दस्तखत नहीं। एक में गलती हो जाय तो कोई बात नहीं केवल जोधपुर शहर में तीन चार घंटे के अन्दर ऐसे १३ पोस्ट-कार्ड मेरे पास पहुँच गये। न मालूम सारे राजस्थान में कितने गये होंगे करीब ६०० ७०० तो दिये होंगे जिन पर दस्तखत नहीं। नीचे भवदीय तो लिखा है लेकिन उसके नीचे जगह खाली है। मैं यह अर्ज कर रहा हूँ चेयरमेन महोदय, और माननीय मंत्री महोदय की सेवा में भी प्रस्तुत करने के लिये तैयार हूं अगर वे मुलाहिजा करना चाहें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का काम और आगे बढ़ा यह तय हुआ कि अलग अलग जगह आदमियों को हुक्म मिला। पहले वैद्यों की जहां संस्थायें मौजूद हैं कहीं कहीं तो सभापति और कहीं कहीं मंत्री वे अगर सर्टिफाइ करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन मान लिया जायगा।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां के लोगों ने कहा कि हमारे यहां के सभापति अच्छे व्यक्ति नहीं है तो वहां के मंत्री को ही मान लिया जाय। और जहां के दोनों अच्छे व्यक्ति हों तो वहां के लिये एक के लिये सभापति और दूसरे के लिये सभापति और तीसरे के लिये मंत्री यदि सर्टिफाइ कर देते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जायगा। कोई स्टेंडर्ड नहीं रखा गया यहां बैठे हुए बड़े २ लोगों के जो जच गई अपनी मरजीके अनुसार उन जगहों के लिये सेक्रेटरी के सर्टिफाइ होने पर रजिस्ट्रेशन हो जायगा। इस तरह से जब गंगानगर में पहुँचे वैसे ही पहले से वह गड़बड़ का इलाका है वहां पर दो संस्थायें है और दोनो ही मन्जूरशुदा तो वहां यह तय कर दिया गया कि हम यहां से एक ही संस्था का सर्टिफिकेट मानेंगे दूसरे का नही। मैं यह कहता हूँ कि जिन्होंने रूपया दिया और उनके खर्चे से यहां लाकर उनको प्रस्तुत करना सैकड़ों की तादाद में सरटिफिकेट देने के लिये लोगों का २०. २५. ५० रूपये आदि लेकर अपने घर बैठे सर्टिफिकेट दिये गये। सैकड़ों की तादाद में ईमानदारी किस्म के लोग लटके रहे शिकायतें आई चिट्ठियां आई तार आये और उन्होंने कानूनी आधार पर एतराज किया तो यहां से बोर्ड से उत्तर जाता है कि इतनी कानूनी बारीकियों में जाने की हमारी कोई इच्छा नहीं। जो लोग कानून को बलाये ताक में रखकर इस प्रकार जो जवाब दिया जाता है उसके विषय में कुछ न कुछ करना चाहिये तो एक संस्था थी जो संस्था बोर्ड के प्रस्ताव के मुताबिक।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं कह रहा हूँ आयुर्वेद के लिये आपने कट मोशन रखा है। बोर्ड जो काम कर रहा है वह तो इन्डियन मेडिसिन एक्ट की तहत काम कर रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मंत्री महोदय ने जो यह बात कही है उसके लिये मैं उनका ध्यान अपने यहां जो पास किया है इन्डियन मेडिसिन एक्ट की धारा ५६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जिसके अन्दर सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि अगर बोर्ड की ओर से इस प्रकार की कोई कार्यवाही की जाय तो सरकार उसमें हस्तोक्षप कर सकती है। मेरा यह कहना है कि आपके सामने इस प्रकार की शिकायतें आई फिर भी हस्तक्षेप नहीं हो रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं तो यह कह रहा हूँ कि आपका कट मोशन इस प्रकार का नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा कट मोशन इस बारे में है कि आयुर्वेद विभाग में कमी है उसको दूर करने के लिये कट मोशन रखा है। उस पर भी इस प्रकार से आंखें मूंदकर बैठ जाना कहां तक ठीक है इसी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये मैं यह निवेदन कर रहा हूँ।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—वैसे आयुर्वेद का रजिस्ट्रेशन ऑफ बोर्ड से सम्बन्ध है....

श्री हरिकृष्ण व्यास—डाइरेक्टर की तौर पर वह महकमा राजस्थान सरकार के अधीन है। अगर उस विभाग में किसी प्रकार बदइन्तजामी है तो उसका उत्तरदायी डाइरेक्टर आफ मेडिकल एन्ड हल्थ के जिम्मे है और इस तरह से जो जिम्मेदारी उन पर है वह अदा की जावे....

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

What is the Government except the Government in terms of the Medical & Health Department ? What is the Government except in terms of the Medical Secretary? What is that Government which is supposed to enquire under Section 59 except the cabinet and the Medical Secretary ? You are answerable to the House and I say you are not discharging your duties in respect of matters relating to Ayurveda.

तो चेयरमेन महोदय, मैं इतना ही अर्ज करूं क्यों कि माननीय मंत्री बहुत उतावले हो रहे हैं। उनका कहना, वैसे तो वे साफ नहीं कहते हैं आयुर्वेद के बोर्ड से ताल्लुक नहीं और मेरा कट मोशन भी नहीं लेकिन मैं इतना उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेडिकल विभाग जो आपका है और आप ही मेडिकल विभाग के मंत्री महोदय भी हैं और कोई दूसरा होवे तो बात समझ में आवे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं मैं यह कह रहा था कि मैंने इस विषय में कट मोशन दिये हैं वैसे मैं एक कट मोशन ऐसा भी दे देता हूँ जिसमें जितनी भी अनियमिततायें हैं उन पर प्रकाश डाल सकूं। मैंने अनियमितता के कट मोशन के साथ यह सब बातें कही हैं।

श्री सभापति—आप जवाब सवाल रहने दीजिये। आप अपने विषय पर आइये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेयरमेन महोदय, मैं अपने सब कट मोशन्स को मिश्रित करके उन सब को एक साथ लेकर कह रहा हूं सरकार की जुम्मेवारी इस प्रश्न पर है और मुझे सरकार की जिम्मेदारी ही इस प्रश्न पर मनोनीत करती है अगर सरकार इन बातों का ध्यान नहीं रखती है या जिन व्यक्तियों को सरकार ने मनोनीत किया है वे नहीं रखते हैं तो मेरा यह कहना है कि उसके लिए सरकार जिम्मेदार है सरकार का मेडिकल एन्ड हेल्थ विभाग जिम्मेदार है राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री जिम्मेदार हैं इतनी देर तक जो मेरी विचारधारा को डाइवर्ट करने के लिये कोशिश की गई अब मैं मूल विषय पर आने का प्रयत्न करूंगा। जिसका संबन्ध है इस विभाग, का जब से यह बोर्ड बना है जब से इसके नियम बने हैं वे नियम गजट में छपे हैं लेकिन इतनी भी खबरदारी नहीं बरती गई कि सेक्रेटरी के दस्तखत हैं या नहीं। यह मैं मानता हूं कि एक्ट के नियमों का खास तौर से उल्लंघन है इन सब बातों को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि इस सारे के सारे विभाग का इसके प्रति इतना दुर्लक्ष्यपूर्ण लक्ष्य क्यों है कैसे है वह इन सब घटनाओं से प्रतीत होता है मैंने आयुर्वेद के प्रति जो सरकार की दुर्लक्ष्यपूर्ण नीति है उसकी ओर मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः वाली कहावत चरितार्थ होगई अर्थात् रूल्स पहले पहले बने उसमें बिन दस्तखतों के ही वे गजट में शाया होगये।

जहां तक अस्पतालों और औषधालयों का प्रश्न है उनकी हालात के बारे में मैं दो एक मिनिट में ही अर्ज करदूं यह सारी दुनिया को मालूम है। आज जितने भी औषधालय बने हैं उनमें ज्यादातर ऐसे हैं उनमें समय पर मन्जूरी नहीं जाती, मन्जूरी जाती है तो कभी कभी ऐसी स्थति होती है

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जैसे जोधपुर के अन्दर बहुत बडा अस्पताल है सरकार द्वारा छः महिने बाद मन्जूरी गई थोड़ी सी दवाइयों की लेकिन बिजली के चार्जेज की मन्जूरी नहीं गई, तो नतीजा उसका यह हुआ कि वह दवाइयां आई तब तक अस्पताल की बिजली बंद हो गई और फिर बिजली के बारे में लिखापढ़ी करके कमिश्नर से कहा गया और वह कमिश्नर से कह सुनकर काम पूरा करवाया कि इस में ही साल का अन्त आ गया। अब आगे के लिये अगले वर्ष के बजट में रक्खा जावेगा। तो ऐसे एक नहीं अनेकों द्रष्टान्त हैं और उनके कारण भी हमारे सामने साफ हैं। पिछले दो सालों से यह स्थिति रही। इस साल स्थिति थोड़ी सुधरी है। पिछले दो सालों से नये अस्पताल खोले जाने के बारे में इक्विपमेन्ट के लिए प्रोवीजन था, असिस्टेन्ट के बारे में प्रोवीजन था और कई प्रोवीजन थे पर सब के सब प्रोवीजन साल के अन्त में सरेन्डर करने की नोबत आई और सेविंग के रूप में उस पैसे को आडिट रिपोर्ट में दर्ज कराया गया। आज जैसी स्थिति है उसमें सामान्य आदमियों के लिये ऊंचे पैसे की दवाइयां खरीदना सम्भव नहीं है और अगर वे देशी दवाइयां खरीदते हैं तो यह निश्चित तौर से मैं नहीं कहता कि पूरे तौर से यह आयुर्वेद पद्धति डवलप हो चुकी है पर अब भी बहुत कुछ रिसर्च की इस में गुन्जाइश है और इसे पूरा प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है।

प्रोत्साहन देने की बात दूर रही। इसके बजाय जहां तक राजस्थान सरकार के कार्यों के तरीके का प्रश्न है वह इसका एक स्टाप शील्ड के तौर पर गिनती है।

वैसे तो मेडिकल डिपार्टमेन्ट भी स्टाप शील्ड के तौर पर गिनता है और बड़े बड़े अस्पतालों में मरीज जमीन पर सोते हैं और वह भी एक दिन नहीं दो दिन नहीं लगातार साल भर तक सोते हैं। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में साल के ३६५ दिनों में २०० दिन से ज्यादा दिन ऐसे होते हैं जब कि उसमें सर्जीकल और मेडिकल दोनों वार्डों में मरीजों को जमीन पर लिटाते हैं। तो वहां पर भी इक्विपमेंट की हालत सुधरी नहीं हैं। यही हाल करीब करीब वहां और दूसरी जगह भी है।

पर इसके मुकाबले में भी आयुर्वेद का प्रश्न जहां तक है उसके साथ सरकार का ऐसा व्यवहार है कि मजबूरी से मानो इसको रखना पड़ रहा है बजट के खानों में। वह इस के प्रति न तो कभी जिम्मेदारी से सोचती है न कोई इसको अच्छी तरह से प्रोत्साहन देने के लिये कोई स्कीम बनाती है। सिवाय इसके कि कुछ अस्पताल नये खोल दिये गये और इसके बारे में भी साल के अन्त के नजदीक आने पर निश्चय ले लिया। इसके अलावा और कोई कार्य सम्पन्न हुआ हो ऐसा नजर नहीं आता।

तो मैंने दूसरे दूसरे विषयों की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित किया और भी प्रश्न हैं पर मैं नहीं चाहता कि सदन का अधिक समय लूं। और अध्यक्ष महोदय, आपकी भी इच्छा इस तरह की नजर आ रही है कि जो कुछ मुझे कहना है उसे मैं जल्दी समाप्त कर दूं। तो मैं महज फिर से इस बात को दोहराते हुए कि कट मोशन सारे मैंने प्रस्तुत किये हैं इसलिये उत्तर की अपेक्षा सब विषय पर है,

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उन उत्तरों पर फिर से जवाब देने की नौबत आवेगी तो I reserve the right of reply on any of the cut motions at a proper stage बाकी कट मोशन सिर्फ मूव करके इस आशा से कि और दूसरे माननीय मित्र भी इन पर प्रकाश डालेंगे, मैं अपने कटोती के प्रस्ताव सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष:—श्री सोहनलाल।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री कुम्भाराम आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री गौरीशंकर आचार्य।

श्री गौरीशंकर आचार्य:—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा विभाग में एक मामूली सी कटोती का प्रस्ताव प्रस्तुत करके अपनी सरकार का और आपके जरिये विधान सभा के सदस्यों का ध्यान एक बहुत जरूरी बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने यह बात जाहिर की है कि सब से अधिक पक्षपात शिक्षा विभाग में है, पर नहीं है यह मंत्रीजी ने आंकड़े देकर कहा था। आज मैं बताऊं कि इस विभाग में भी कितना पक्षपात है? पर इसके पहले कि मैं वह बात प्रस्तुत करूं मैं सदन को इसकी पृष्ट भूमि बता देना चाहता हूं।

सन् १८३४ में लार्ड मैकाले..............................

श्री अध्यक्ष:—ज्यादा समय न लें पृष्टभूमि में।

श्री गौरीशंकर आचार्य:—मैं सिर्फ चार ही मिनिट में समाप्त कर दूंगा। लोर्ड मैकाले ने दो बड़े काम किये। एक तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति यहां जारी कर के और दूसरा भारतीय चिकित्स पद्धति को नेश्त नाबूद करके और इसके स्थान पर उसने ऐसी चिकित्सा पद्धति चलाई जिसकी वेष भूषा रहन सहन और चिकित्सा साधन सब बाहर के थे।

मुझे सिर्फ यह बताना है कि आज यूनानी चिकित्सा पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति इन तीनों की स्थिति उन पुरानी औरतों की तरह से हो गई है जिनकी उस घर में किसी नई औरत के आ जाने के बाद जो हालत हो जाती है।

आज नई औरत के रूप में हमारे यहां ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति आ गई है। आज उस नई औरत की पूछ है उसी का बोलबाला है। उन पुरानी औरतों की कोई कदर नहीं रह गई है। इस

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

नई चिकित्सा पद्धति के आने के बाद हम उन तीनों पद्धतियों के डाइरेक्टरों को पांच सौ का वेतन देते हैं जब कि आप ऐलोपैथी के डाइरेक्टर को दो हजार मासिक वेतन के आस पास देते हैं । यह क्या न्याय है ? इन्साफ है ? इसका कोई औचित्य है ?

जिस देश की मिट्टी पानी में हम पले हैं, उस देश की मिट्टी पानी में पैदा हुई दवाइयों और साधनों से की जाने वाली चिकित्सा पद्धति के पोषकों को पांच सौ रुपया वेतन और जो केवल एक तरह से एजेन्टी का काम करते हैं, बाहर की मिट्टी पानी में पली पोसी दवाइयों और साधनों के बल पर पलने वाली विदेशी चिकित्सा पद्धति के पोषकों को दो हजार का वेतन ? और आज देश के आजाद हो जाने के बाद ? यह हमारे दुर्भाग्य का स्पष्ट चिन्ह है ।

मैं मानता हूं आज विज्ञान ने तरक्की की है । पर जब कहा जाता है कि इन भारतीय चिकित्सा पद्धतियां को भी सहायता देनी चाहिये, इन का रिसर्च बलात् मैकाले द्वारा रोक दिया गया था, इसका विकास कुंटित कर दिया गया था हमारी दासता की वेला में, पर आज ? आज हम उस दासता के अंधकार युग से निकल चुके हैं, उस वेला में भी उस चिकित्सा पद्धति को भी जिसके पीछे राष्ट्रीयता का विज्ञान है, जिसकी इस देश में शत प्रतिशत उपयोगिता है, हम प्रोत्साहन न दें यह उचित नहीं है । आज इतना भेद भाव नहीं होना चाहिये ।

मैं यह नहीं कहता कि दो हजार आप जिन को देते हैं वह कम कर दो । पर इन्साफ का यह तकाजा है कि दो व्यक्ति जब एक ही विभाग के डाइरेक्टर हैं तब आज के समय में भी उन में इस भेद का रहना कतई उचित नहीं है । अगर अंग्रेजों की हुकुमत होती तो इसे उचित कहा जा सकता था । पर जब आज अंग्रेजों के स्थान पर खादी टोपी पहनने वाले हुकुमत में जा सकते हैं और उसे चला सकते हैं और उन के वेतनों में भेद भाव नहीं है तो उस स्थिति में यह क्यों हो रहा है । यह समझ में नहीं आ रहा है ।

(राज श्री हिम्मतसिंह, सभापति, पदासीन)

एक बात और कह रहा हूं । कम्पाउन्डरों और नर्सों का वेतन है ८०से१५० और वैद्यों का ६० से १३० । ऐसा भेदभाव तो और कहीं नजर नहीं आया । बड़ा अजीब भेदभाव है । वैद्यों के वेतन से भी कम्पाउन्डरों आदि का वेतन अधिक है । यह तो हमारी अजीब मनोवृत्ति का परिचायक है । आप और मुकबला करिये । एक ओर मेडिकल कालेज की शानदार बिल्डिंग देखिये और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ मानसिंह अस्पताल को देखिये कितना साफ सुथरा और शानदार । एक तरफ तो यह हाल और दूसरी तरफ आयुर्वेद अस्पताल देखिये, छोटा मोटा और उसमें भी सफाई का नाम निशान नहीं, मक्खियां भनक रही हैं । फिर भी आप कहते हैं कि हमने देश को उन्नत कर लिया, राष्ट्र को उन्नत कर लिया और राष्ट्र का बहुमुखी उत्थान कर लिया । मुझे किसी काम के सिलसिले में उदयपुर जाना पड़ा । वहां प्राकृतिक चिकित्सालय देखा । मुझे उम्मीद थी कि सरकार को प्राकृतिक चिकित्सा से प्रेम है । पर देखा तो कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं और पानी

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

पीने का साधन भी कुछ नहीं। तो इस से आप प्राकृतिक चिकित्सा का कोई भला सोचते हैं। तो मैं अपनी सरकार से कहता हूं कि वह इस बात का हमें विश्वास दिलावे कि सचमुच वह इन चिकित्सा पद्धतियों का भी उत्कर्ष देखने की इच्छुक है और किसी में कोई भेदभाव नहीं बरतना चाहती है। मैं इस सम्बन्ध में एक बात और आपको सुना दूं। कलकत्ता के संस्कृत कालेज के एक अंग्रेज प्रिन्सिपल थे। मैकाले ने जब यह तय किया कि इन देशी चिकित्सा पद्धतियों को समाप्त करके एलोपैथी पद्धति को यहां लागू किया जाय तो उन प्रिन्सिपल साहब ने मैकाले को कहा कि मैकाले तुम बड़ी सख्त गलती कर रहे हो, इस आयुर्वेद की प्रणाली को निरुत्साहित करके। इस आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली में, गंभीर विज्ञान भरा है। गहरा अनुसंधान किया है इन लोगों ने इस चिकित्सा प्रणाली में, यहां के जलवायू में यहां की जड़ी बूटियां से बनी आयुर्वेद दवाइयों को प्रयोग में लाया जता रहा तो बड़ी से बड़ी बीमारी इससे टीक हो सकती है। इस लिये इस चिकित्सा पद्धति को ही प्रोत्साहन दो और इसे तरक्की करने दो। पर लार्ड मैकाले ने उस अंग्रेज प्रिन्सिपल का सुझाव भी नहीं माना। पर आज हमारा देश स्वतन्त्र है। हम स्वतन्त्र हैं, हमारी दासता का वह अन्धयुग बीत गया। अगर मिनिस्टर लोग आज इस को मान लेंगे जो उस वक्त प्रिन्सिपल ने कहा था तो समय का तकाजा है मान लेना चाहिये। नहीं तो मैकाले तो इसे मिटाने के लिये ही बैठा था। मैं नहीं कहता कि आज की इतनी आगे बढ़ी हुई इस एलोपैथी पद्धति को बन्द कर दो। आप इसे भी रहने दे सकते हैं पर आयुर्वेद और हमारी प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा के प्रति जो भेद भाव बरता जा रहा है वह आज के वक्त में उचित नहीं कहा जा सकता। एक बात और कही थी, जाने दीजिए, मैं चिकित्सा पद्धति के ढंग में नहीं पड़ना चाहता। इलाज हमें चाहिए। अस्पताल में गरीब और अमीर में जो पक्षपात है वह नहीं होना चाहिये। अमीर को दवा अच्छी, अमीर के साथ व्यवहार अच्छा और गरीब बाहर से ही रंगा हुआ पानी लेकर जाता है, उसके साथ व्यवहार भी बुरा हमने देखा है शहर में हमारी तरफ १-२, अस्पताल हैं तो देहात में जो बीमार पड़ते हैं उनके लिए इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। एक बहुत सख्त इतना बिमार पड़ा कि वह मृत्यु शैया के नजदीक पहुँच रहा था। मैंने अस्पताल वालों से कहा कि क्या उसे लेजाने का कोई साधन नहीं है कि उसे रतनगढ़ अस्पताल में पहुंचाया जाय तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां गाड़ी नहीं है कि वह बीमारों को ला सके। कम से कम हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर एक कोई न कोई एम्बुलेन्स कार होनी चाहिए ताकि गरीबों को गांव से चूंकि अस्पताल शहरों में बने हैं वहां कार में लेजा सकें। मैं अपनी सरकार और अपने माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि पक्षपात की श्रृंखला को निरर्थक बढ़ावा न दें। अमीर और गरीब, देहाती और शहरी का जो भेद भाव है उसे दूर करना यदि हम चाहते हैं तो कम से कम चिकित्सा के क्षेत्र में पक्षपात को दूर हटा कर समानता का व्यवहार लावें, क्योंकि गरीब और अमीर के शरीर में, शहरी और देहाती के शरीर में समानता होती है। देशी चिकित्सा पद्धति का वह दिन जाने कब आयगा, लेकिन वह समय न भी आय तो कम से कम समानता का व्यवहार तो करना चाहिये। यदि समानता नहीं करना चाहते तो जो वैषम्य बहुत अधिक बढ़ रहा है वह कम करना चाहिये।

Page No 45

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

जहां तक आयुर्वेदिक पद्धति का प्रश्न है उसके बारे में और कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत अधिक कहने की जरूरत नहीं है।

एक बात की ओर ध्यान दिलाऊंगा और वह यह है कि आप डाक्टरों के पंजीयन का कार्य कर रहे हैं और पंजीयन का कानून बन गया है तो जो चिकित्सक अनियमित रूप से कार्यवाही कर रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन में लाने का प्रयत्न किया जायगा। यह एक सराहनीय कार्य है।

श्री सभापति:—श्री मुक्तिलाल मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री कस्तूर चन्द।

श्री कस्तूर चन्द—माननीय चेयरमेन महोदय, मेरा भी इस विषय में एक कटोती का प्रस्ताव है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। वह इस प्रकार है—

"मांग संख्या १५ विषय ३८ चिकित्सा में १) रु० की कटोती कर दी जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की व्यवस्था संतोषजनक न होने पर विचार करने के लिये)।"

माननीय चेयरमेन महोदय, जब दवाइयों के लिये देखते हैं तो शहरों में बड़े अस्पताल खुलते हैं उससे शहरी लोगों को फायदा मिलता है लेकिन मैं देखता हूं कि देहाती लोगों के लिए तो उनको अपने पेट दुखने की दवाई भी नहीं मिलती है, अर्थात, चेयरमेन महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि देहातों में जो ५ हजार की पापुलेशन के कस्बे हों वहां एक औषधालय तो होना ही चाहिए। इसके अलावा, चेयरमेन महोदय, मैं फिर बताता हूँ कि देहातों के लिए सरकार की तरफ से इतनी उपेक्षा है कि यदि आप देखें तो टी. बी. के लिये जो बी. सी. जी. के केम्प लगे हैं वे भी शहरों में लगते हैं, मगर देहातों के लिये ये केम्प नहीं हैं। चेयरमेन महोदय, मैं बताऊंगा कि देहातों की उपेक्षा की बात है। मैं चाहता हूँ कि जिले वाइज जो हैं बी सी. जी. के टीके लगाने के लिये केम्प लगने चाहिए।

इसके बाद चेयरमेन महोदय, मैं फिर बताना चाहूंगा कि सरजिकल केम्प जो हैं वे डिस्ट्रिक्ट वाइज होने चाहिए जैसा कि अभी हमारे मंत्री जी के आते ही उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया। उन्होंने अभी भीलवाड़े में एक केम्प लगवाया था जिसके लिए वहां की जनता बहुत आभारी है और मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने वहां के सैकड़ों आदमियों का फायदा करवाया हमारे यहां के डाइरेक्टर साहब बड़े अनुभवी हैं, ऊंचे विचार के हैं और लायक आदमी हैं। उसके लिये मैं बताऊंगा कि जैसे आपने डाइरेक्टर के रूप में उन्हें हमें दिया है वैसे ही अनुभवी, योग्य

[श्री कस्तूरचन्द]

महापुरुषों को ऐसे कैम्पों में हर डिस्ट्रिक्ट में भी भेजकर लोगों के सुख की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा।

इसके बाद मैं फिर बताऊंगा कि देहातों के लिये अगर ५ हजार की पापुलेशन पर एक औषधालय नहीं बने तो चलते फिरते औषधालयों की व्यवस्था होनी चाहिये। अगर उस तरह की व्यवस्था आज के स्वतंत्रता के युग के अंदर नहीं होती है तो मैं यह समझूंगा कि देहातों के लिये दवाइयों के लिये कोई इंतजाम नहीं है। आज देहातों में जहां कि बेमौत लोग मरते हैं उनके लिये कोई दवाइयों के साधन नहीं है। उनको कोई दवा नहीं मिलती है। अस्पतालों में जाते हैं ? शहरों में अपने इलाज के लिये तो वहां डाक्टर लोग गरीब लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं। जो कुछ ठीक ढंग का आदमी दिखता है उसकी सुनवाई हो सकती है, मगर गरीबों की सुनवाई नहीं हो सकती है और वह वापिस घर आता है और उसको बेमौत मरना पड़ता है। इसलिये माननीय मंत्री जी का मैं आपके जरिये ध्यान दिलाऊंगा कि देहातों के लिये इस तरह की व्यवस्था दवाइयों के लिये होनी चाहिये।

मैं फिर एक बात बताऊंगा कि जिला भीलवाड़े का अस्पताल एक बहुत बड़ा अस्पताल है, अच्छा अस्पताल हैं, मगर वहां पर मरीजों की तादाद को देखते हुए बेड्स की पूरी व्यवस्था नहीं है। वहां पर मैंने देखा है अभी मुझे काम पड़ा था खाना जो देते हैं वह खराब खाना देते हैं और फ्रूट्स नहीं मिलते हैं। इन्जेक्शन भी बाजार से कीमत देकर लाने पड़ते हैं इस तरह की हालत है। माननीय चेयरमेन, मैं बताऊंगा कि जिला भीलवाड़े का एक ऐसा एरिया है कि वहां पर इन्डस्ट्रीज वगैरह होने की वजह से वहां पर मजदूरों वगैरह में हर तरह के झगड़े बीमारी व एक्सीडेन्ट वगैरह होते रहते हैं। इसलिये मैं मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि भीलवाड़े के अस्पताल में समुचित व्यवस्था करने की कृपा करेंगे जैसा कि मैंने बताया है।

इसके बाद मैं एक बात बताना चाहूंगा शाहपुरा में जनाने अस्पताल के लिये प्रबन्ध अच्छा होना चाहिये। अभी डाइरेक्टर साहब ने कृपा कर दी है कि उन्होंने वहां नर्सेज भेजदी हैं मगर वहां मिडवाइफ नहीं है वहां मिडवाइफ भी होनी चाहिये। वहां दवाइयों का प्रबंध पूरा नहीं होने से जच्चा खाने में औरतों को तकलीफ देखनी पड़ती है। इसलिये वहां पर समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी तरह कोटड़ी तहसील में एक अस्पताल है वहां के अस्पताल के अन्दर डाक्टर तक नहीं पहुंचता है। वहां पर कम्पाउन्डर की व्यवस्था नहीं है। दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। कोटड़ी तहसील के अस्पताल की हालत इतनी दयनीय है कि जैसे वहां कोई शासन नहीं हो। कोटड़ी तहसील के लिये राजस्थान सरकार का हर डिपार्टमेंट एक सौतेला व्यवहार रखता है। इसलिये मैं मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि कोटड़ी तहसील के लिये वहां की जनता की तकलीफें देखते हुए समुचित व्यवस्था करनी चाहिये।

[श्री कस्तूरचन्द]

इसी तरह मैं बनेड़ा हास्पिटल के लिये ध्यान दिलाना चाहूंगा। बनेड़ा अस्पताल के अन्दर हमारे एक डाक्टर साहब ६ साल से काम कर रहे हैं। उसी जगह वे काम कर रहे हैं। कहीं तो हम देखते हैं कि तीन तीन महीने के अन्दर तबादले कर रहे हैं लेकिन वहां पर ६ साल से एक ही डाक्टर साहब बिराजे हुये हैं। ठीक है अच्छी बात है कि वे रहें लेकिन यह ध्यान होना चाहिए कि वे काम करें। हमारे वहां अभी एक मोटर एक्सीडेन्ट हो गया था। ७ बजे एक्सीडेन्ट हुआ था और तीन बजे तक पट्टी नहीं बांधने से उसका पैर सूज गया था और पैर बड़ा हो गया था फिर पट्टी बांधने से उसकी बहुत खराब हालत हुई। तो वहां पर मिडवाइफ नहीं होने से जनाने जो बीमार आते हैं उनको तकलीफ होती है। जहां २ अस्पतालों के अन्दर मिडवाइफ नहीं हैं वहां प्रबंध होना चाहिए। देहातों में दवाओं का समुचित प्रबंध होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया उससे ज्यादा होना चाहिए।

इतना कहकर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव सदन में रखता हूं उस पर मंत्रीजी आश्वासन देने की कृपा करेंगे।

श्री सभापति (राजा श्री हिम्मतसिंह)—श्री भैंरूसिंह।

श्री मुक्तीलाल मोदी—ऐसा है, आपने मेरे कटौती प्रस्ताव ·······

श्री सभापति—ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप महरबानी करके बैठ जाइये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—बोलने तो दीजिये।

श्री सभापति—Order please!

श्री मुक्तिलाल मोदी—पीछे तो बोलने देंगे साहब।

श्री सभापति—यह मैं आपको आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री भैंरू सिंह (१६)—माननीय चेयरमेन, मेडीकल विभाग के सम्बन्ध में इस विभाग की अव्यवस्था पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। सभापति महोदय, आज से कुछ दिनों पूर्व जोधपुर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने इस विभाग द्वारा एम्बुलेन्स गाड़ियां खरीदी जाने के सम्बन्ध में कुछ अनियमितताओं का उल्लेख किया था। उस वक्त न मालूम क्यों इस विभाग के माननीय मंत्री जी ने बड़े ही जोश में, आवेश में उस सारी बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए बताया कि इन गाड़ियों की खरीद के लिये जिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेन्क्शन की आवश्यकता थी वह सेन्क्शन दे दी गई। उनके इस आवेशपूर्ण भाषण से मेरी भी यह इच्छा हुई कि इन गाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करूँ और संयोग से राजकीय प्रवास की ओर जाते हुए कमल एण्ड कम्पनी के पास उनके दर्शन हो गये। उनको नजदीक जाकर, जब उन गाड़ियों

[श्री भैरूं सिंह]

को देखा और उस कम्पनी के पास कुछ कार्यकर्ताओं से उन गाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि सारा उनका रंग सफेद होता है, रैडक्रास का निशान है, उनका नाम और काम एम्बुलेन्स कर रही हैं और उसी प्रकार का उनका काम होता है। लेकिन वे गाडियां किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकेंगी मुझे उसी समय शंका पैदा हुई। उनकी लम्बाई चौड़ाई को मैंने देखा तो मुझे शंका पैदा हुई कि यदि गाड़ियां देहातों में गई बीकानेर, सीकर झुंझुनू के रेत में गई तो ये वहीं पड़ी रह जावेंगी। और भी मोटरों के जानकारों से पूछा तो पता लगा कि चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सेन्क्शन माननीय मंत्रीजी ने दे दी हो लेकिन खरीदने के बारे में जिस प्रकार के नियम बरते जाने चाहिये थे वे नियम नहीं बरते गये हैं। विशेष जानकारी प्राप्त करने पर मालूम हुआ कि भारत सरकार से इन गाड़ियों के बारे में, एक्सरे के १॥ लाख के और इक्वीमेपन्टस खरीदने के बारे में स्वीकृति प्रदान हुई है। इस वक्त जल्दी में तो नहीं कहना चाहता लेकिन आतुरता कहूं तो ज्यादा उपयुक्त होगा, इस विभाग के उच्चाधिकारियों ने टेलीफोन पर जितनी मोटर कंपनियां उनकी निगाह में थीं उनसे बात चीत की; यह हो सकता है कि उनकी निगाह में उस वक्त दो ही मोटर गाडियों के विक्रेताओं से बातचीत उचित हो। कमल एन्ड कम्पनी और युनाइटेड मोटर्स से बातचीत की और उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियों के बारे में जानकारी दी। कमल एन्ड कंम्पनी ने बताया कि ११२ इंच व्हील स्पेस की वे दे सकेंगे, चार व्हील ड्राइव होगा और उसकी कीमत १५ हजार ६ सो होगी। युनाइटेड मोटर्स ने भी बताया कि १८८ इंच व्हील स्पेस होगी, चार व्हील ड्राइव होगी और उसकी कीमत १६ हजार रुपया होगी। इन दोनों बातों की जानकारी जब मुझे उसी स्थान पर लगी तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि छोटी स्पेस वाली गाडियां खरीदी गई हैं जिनमें केवल अंतर ४००)रु का है ४००)रु ज्यादा खर्चा किये जाने पर, वे चार व्हील की मोटी स्पेस वाली गाडियां रेत में नहीं रुक पातीं तो सरकार को कौनसा नुकसान होता था? बारह गाडियां खरीदने में अगर ४००)रु अधिक खर्चा किया जाय तो ४८०० रुपयों का अधिक खर्चा आवेगा। मैं विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन गाडियों को माननीय मंत्री जी स्वयम जाकर देखें, निरीक्षण करें, रेत में जाने वाले देहातों में जाने वाले ड्राइवरों से ये पूछें कि कितने दिन रेत में काम देगी, उनका क्या हाल होगा और जो मरीजों को होस्पिटल पहुँचाने के लिए इनके द्वारा जो व्यवस्था की गई है उनका क्या हाल होगा, वे बीच में ही रह जावेंगे, मुझे विश्वास है कि कोई भी यह राय नहीं देगा कि गाडियां मौजूद हैं। तो इन गाडियों के खरीद के सम्बन्ध में, जिस आवेश से खरीद फरोख्त के कागजात सदन की मेज पर रखने के लिये जोर दिया, वे कागजात तो शायद सदन की मेज पर नहीं आये हैं और शायद उन्होंने प्रस्तुत भी नही किये हैं, और अगर प्रस्तुत किये है तो माननीय मंत्रीजी जवाब देते वक्त विस्तार से कहेंगे।

इसी प्रकार एक्सरे इक्वीपमेन्ट की भी बात हुई। १॥ लाख की भारत सरकार से स्वीकृति प्रदान हुई। उसके लिये मुझे शिकायत है। एक कमेटी है राजस्थान में। भार्गव उस कमेटी के मेम्बर हैं, रेडियोलोजिस्ट हैं, उनकी राय एक्सपर्ट की ओपिनियन है ऐसा हमारी सरकार मानती है। ऐसा सामान जो खरीदे जाते हैं उनके विषय में राजस्थान जितने एक्सपर्ट हैं उनकी राय ली जानी

[श्री भैरू सिंह]

चाहिये लेकिन बदकिस्मती से इन एक्सपर्ट में से किसी की राय नहीं ली गई। बम्बई में जाकर साइमस नाम की कम्पनी है उसको सामान खरीदने का आर्डर दिया, यहां से बम्बई से पर्याप्त जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। टेन्डर कोटेशन्स और दूसरों से सामान खरीदने का जो नियम है, साधारण नियम है, नियम बने हुये न हों तो साधारण नियम हैं सामान खरीदने के लिये बन सकते हैं, उनका पालन करते तो अच्छा होता। इस खरीद फरोख्त में कोई नियम का पालन हुआ हो तो वह मेरी जानकारी में नहीं है, इस पर तो माननीय मंत्रीजी ही प्रकाश डालेंगे। लेकिन इतना ही नहीं इस विभाग में छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए, होस्पिटल के लिये सामान खरीदने में कितनी कितनी गड़बड़ी हुई है, सारी लिस्ट है यदि माननीय मंत्री जी को सदन में पढ़कर सुनाना चाहूँ तो सुना सकता हूं, गत वर्ष में सामान खरीदने में इस विभाग द्वारा बनाये गये नियमों का कितना उल्लंघन किया गया है और माननीय मंत्री जी चाहें तो लिस्ट लेकर उस सामान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें कि इस विभाग द्वारा सामान खरीदने में किस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया है। मैं समझता हूँ कि सब में ही नियमों उल्लंघन किया गया है। कहीं टेन्डर्स इन्वाइट नहीं किये गये, यदि कहीं टेन्डर्स इन्वाकाट किये गये तो पूरा नोटिस नहीं दिया, स्पेसिफिकेशन नहीं दिये, यदि स्पेसिफिकेशन कहीं दिये हैं तो सामान की क्या आवश्यकता थी उनका उसमें कतई उल्लेख नहीं हैं। अगर वे चाहें तो मेरे पास लिस्ट है, उनके सामने मैं प्रस्तुत कर दूं।

यही नहीं कई दफा स्टोर्स के बारे में चर्चा आयी कि फिजिकल वेरीफिकेशन नहीं हुआ है। कहीं कहीं फिजिकल वेरीफिकेशन किया है। लेकिन वह फिजिकल वेरीफिकेशन नहीं हुआ क्योंकि फिजिकल वेरीफिकेशन तो वह होता है कि किस प्रकार का सामान था, किस समय खरीदा गया था, उसका पूरा विवरण क्या है, किस के नाम इश्यू हुआ, कौनसा सामान रिजेक्ट हुआ। कहते हैं कि वेरीफिकेशन कर लिया? लेकिन हुआ कैसे मैं बताऊं। पांच थे पांच मौजूद हैं लेकिन यह विवरण नहीं है कि किस कंपनी का है, किस टाइप का है। किसी कंपनी का ४०) का पंखा हो सकता है, दूसरी का वही पंखा ६०) का हो सकता है। केवल पंखा लिख देना और कहना कि फिजिकल वेरीफिकेशन होगया, सामान मौजूद है। इस प्रकार के फिजीकल वेरीफिकेशन को कोई वेरीफिकेशन नहीं कह सकता। चैकिंग हुआ है या नहीं, चैकिंग हुआ है तो किस बिल से, किस कंपनी से और कब वह सामान खरीदा गया था और उसका केश मेमो है तो कब पेमेन्ट हुआ था तब पता लग सकता है कि वाकई फिजिकल वेरीफिकेशन हुआ है और जो सामान खरीदा था और जिस कंपनी से खरीदा था वह आज हमारे मेडीकल डिपार्टमेन्ट में है या नहीं, तो फिर पता लग सकता है कि कौन कौन ले गया और किन किन के नाम सामान बाकी है, यह तो होगा फिजिकल वेरीफिकेशन।

इन चीजों के अलावा माननीय चेयरमेन, मैं निवेदन करूंगा कि आये दिन ये शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि किसी अस्पताल में डाक्टर नहीं है, सवाई माधोपुर में नहीं है या फलां जगह

[श्री भैरूंसिंह]

नहीं है, डाक्टरों के ट्रान्सफर्स के कारण अनिश्चितता का वातावरण बन रहा है। वे हमेशा इस बातको देखते रहते हैं कि हमारे ऊपर किसी उच्चाधिकारी की नाराजगी न हो जाय। आज कहीं एक महीने से बैठे हैं पब्लिक की कोई शिकायत नहीं है और ट्रान्सफर हो जाता है। मैंने सदन में प्रश्न पूछा था कि, सदन में जानकारी चाही थी कि, एक वर्ष में डाक्टरों के कितनी बार ट्रान्सफर हुये ? १३ डाक्टरों के एक से अधिक बार ट्रान्सफर किये गये और कारण बताया शिकायतों का। मैं कहता हूँ कि यदि शिकायतों के आधार पर ही डाक्टरों का ट्रान्सफर करते हैं तो पहले शिकायतों की जांच करानी पड़ेगी, उसमें कितनी सच्चाई है और सच्चाई नहीं है। केवल यह बात देखकर कि अमुक नेता ने किसी डाक्टर की शिकयत कर दी, चुंकि नेता का असर मंत्री महोदय पर है और नेता का असर उचाधिकारियों पर, और इसीसे ट्रान्सफर कर देते है तो डाक्टरों में अनिश्चितता का वातावरण होता हैं। ट्रान्सफर कोई सजा नहीं है। ट्रान्सफर को सजा के रूप में मानना एडमिनिस्ट्रेटिव पोइन्ट ऑफ व्यू से भयंकर भूल होगी। यदि ट्रान्सफर करना है तो ट्रान्सफर के पहले जांच कराये और शिकायतें सही हों तो सजा दें। सजा ट्रान्सफर से अधिक हो सकती है लेकिन जांच नही की, प्रिलिमिनरी इन्क्वारी नहीं को, चार्ज सीट नहीं दी, और किसी नेता के कहने से ट्रान्सफर कर दें यह एक प्रकार से अन्याय है। जहां से डाक्टरों के प्रति शिकायसें आती हों उनकी जांच की जाय, जांच से शिकायतें सही हों तो सजा दी जाय, मैं यह नहीं कहता कि सजा न दी जाय, जांच करावे नहीं और इस प्रकार ट्रान्सफर कर देना यह उनके करेक्टर के बारे में इस प्रकार जो स्टेप लेते हैं वह अनुचित है। मंत्री महोदय ट्रान्सफर्स के मामलों में सख्ती से अमल करें ताकि जो अनिश्चितता का वातावरण बन रहा है वह दूर हो जाय।

कुछ दिनों पूर्व मुझे उदयपुर जाने का मौका मिला। उदयपुर के कुछ व्यक्तियों ने मुझे बताया कि उदयपुर के हास्पिटल में सर्जन नहीं है। मैं नहीं समझता कि मैं कहां तक सही हूँ, लेकिन जिन लोगों ने जानकारी दी उन लोगों ने बताया कि हमारे इस विभाग के जो उच्चअधिकारी हैं, अध्यक्ष कहना चाहिये वे हैं, उनका उदयपुर में हर महीने दो तीन बार दौरा होता हैं और जितने आपरेशन्स के काम होते हैं, उदयपुर के लोगों का सौभाग्य है कि वे ओपरेशन्स वर्तमान अध्यक्ष द्वारा किये जाते हैं। मैं मानता हूं कि सर्जीकल साइड में वे एक्सपर्ट और एक्सपीरियन्स्ड हैं, मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान में और कोई नहीं है लेकिन वे काफी निपुण और एक्सपीरियन्स्ड हैं। तो एक सर्जन का वहां प्रबन्ध अवश्य करना पड़ेगा। वहां पर ओपरेशन करने के लिए उनकी प्रतिक्षा में बैठे रहें तो वह अच्छी बात नही है और सर्जन न हो यह भयंकर बात है। उसकी भयंकरता तो इस बात से ही सिद्ध हो जाती है कि १५ जनवरी को ६ आदमियों की ओपरेशन से मृत्यु हुई। सात आदमियों की तो टेबल पर ही मृत्यु हो गई और २ की वार्ड में आते ही। वहां कोई एक्सपर्ट सर्जन नहीं है। जिनका ओपरेशन हुआ है वे अगर सर्जन वहां होता तो शायद वे मौत नहीं होतीं। मैं मानता हूं कि ओपरेशन करने वाले करते हैं, ओपरेशन में क्वालीफिकेशन होती है, एक्सपीरियन्स होता है, जिम्मेदारी की जगह है। तो वहां पर बिना देरी के एक सर्जन की आवश्यकता है। जल्दी ही नियुक्ति होगी तो अच्छा है।

[श्री भैरूंसिंह]

नये नये औषधालय, नये नये होस्पिटल्स खोलने के बारे में कुछ नियम बना रखे हैं। कल मुख्य मंत्रीजी ने एक बात कही कि जहां लोग कुछ आर्थिक सहायता देते हों, या मकान देते हों तो वहां स्कूल खोलने की ज्यादा सुविधा प्रदान करेंगे और उसी प्रकार का अनुकरण इन नियमों में भी किया गया है। आप हमें बार बार कहते हैं, इस सदन में भी चर्चा होती है,बाहर गांव वालों को कहते हैं कि होस्पिटल खुलवाने के लिए, डाक्टरों और कम्पाउन्डर के रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी लेकिन इस प्रकार की पाबन्दी आप शहरों में नहीं करते हैं। असमानता का जो वातावरण आज विद्यमान है उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह खतरनाक है। जो धनवान हो, मकान दे सकते हों उस जगह तो आप होस्पिटल्स औषधालय बनावें लेकिन बाहर के गांव वाले जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, मकान दे नहीं सकते हैं, डाक्टर और कम्पाउन्डर के रहने का स्थान नहीं दे सकते, मकान नहीं दे सकते, वहां न होस्पिटल्स बनेगा और न ही औषधालय बनेगा, उन गरीबों पर जो इस प्रकार के कुठाराघात करने के नियम हैं तो चेयरमेन महोदय, मैं कहूंगा कि जिन गरीबों के पैसे से शहरों में बड़े बड़े होस्पिटल बना रहे हैं, खर्चा करते हैं और गरीबों को कहें कि वे इस इन्तजार में रहें कि जब उनके यहां डाक्टर और कम्पाउन्डर के रहने की व्यवस्था हो जायगी तब ही होस्पिटल या औषधालय खोला जा सकेगा तो वहां खोला जाना मुझे तो संभव नहीं लगता है। बड़े बड़े शहरों में तो इस प्रकार गरीबों से आये हुए पैसे को खर्च करें और जो पैसा दे सकते हैं शहरों में उनके ऊपर गाँव वालो से लिया-हुआ खर्चा करें और गांव वालों को कहें कि इन्तजार करो, तो इस प्रकार से पैसा देने वाले और न देने वाले में जो असमानता का वातावरण है वह दूर किया जाना चाहिए।

कुछ दिनों पहले सीकर में आंखों के ओपरेशन के लिए कैम्प खोला गया। आज तक जितने सर्किल कैम्पस खोले हैं ओपरेशन के नाम पर, आपरेशन्स जो डाइरेक्टर महोदय ने किये हैं, मैं उनको तारीफ करता हूं कि आंखों के ओपरेशन के बारे में वे बहुत प्रसिद्ध हैं और लोगों का तो यहां तक कहना है कि उनके हाथ लगा देने से ही आंखें ठीक हो जाती हैं। मुझे शिकायत है ऐसे मकान में ओपरेशन होता है जिस मकान में ओपरेशन होने के कारण दूसरी ही कल्पना होती है। उनको यह कल्पना नहीं होती है कि राजस्थान के डाइरेक्टर ओफ मेडीकल ने या राजस्थान सरकार ने यह व्यवस्था की है। उनको यह कल्पना होती है कि कांग्रेस के लोगों ने पैसा इकटठा करके चन्दा किया है और पैसा दे करके डाक्टर सहाब को बुलाया है और फिर ओपरेशन कराया है मुझे इसमें शंका नहीं कि जितने भी ओपरेशन के लिए रोगी आते हैं उन सबको पूछें तो यह कहेंगे कि सरकार ने यह व्यवस्था नहीं की है किन्तु कहेंगे कि कांग्रेस के नेताओं ने यह किया है। अगर सीकर के अन्दर कोई मकान नहीं है, सीकर के अन्दर अगर कैम्प लगाने के लिए कोई मकान नहीं है, तो चाहे कोई सेठों का लें, कम्युनिस्टों का लें, चाहे किसी पार्टी का लें सीकर के अन्दर जो होस्पिटल की बिल्डिंग है वही कैम्प के लिए काफी है लेकिन अगर सीकर होस्पिटल में नहीं करते हैं तो उसके लिए यह भावना होती है लोगों में कि इस होस्पिटल में ओपरेशन नहीं होता आंखों के लिए अच्छे अच्छे डाक्टर नहीं आते हैं, राजस्थान सरकार की व्यवस्था नहीं है अच्छे अच्छे

[श्री भैरूंसिंह]

डाक्टर आते हैं जमनालाल बजाज भवन में। यदि डाइरेक्टर मेडिकल सर्विसेज के प्रति, सरकारी इमारत है, सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकार का जो विभाग है उसके प्रति असंतोष की भावना बना कर अगर किसी राजनैतिक पार्टी की भावना को प्रश्रय दिया जाय वह मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं होगा और बेकार होगा। सर्जिकल में पैसा खर्च करें उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वह सारा का सारा पैसा जो है उसके लिए होस्पिटल्स के अन्तर्गत ओपरेशन करने में, सर्जिकल कैम्पस के सुपरविजन में खर्च करें मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं, लेकिन अगर वह इस प्रकार नहीं होता है तो मैं यह समझूंगा कि सेवा भावना के साथ साथ भी राजनैतिक प्रसार का षडयंत्र किया जा रहा है। इसके अलावा एक बात अन्त में और कहूंगा। इस सदन में भी कई बार चर्चा हुई है कि डाक्टरों की फीस ज्यादा है। डाक्टरों की फीस के बारे में इस सदन में कई बार सदस्यों ने विचार व्यक्त किये थे कि फीस ज्यादा है, कम की जाय, रेगुलेराइज किया जाय सदन में बडा क्रिटिसिज्म हुआ कि राजस्थान सरकार, डाक्टरों की क्या फीस होनी चाहिए इसके नियम बनावें। लेकिन जिस तरह कल इस सदन में चर्चा हो रही थी कि राजस्थान में लोगों की पर केपिटा आमदनी की ओर ध्यान देकर कोई निर्णय लिया जाय तो अच्छा होगा। डाक्टरों की फीस देखिये और लोगों की आर्थिक स्थिति देखिये। जिनके पास खाने पीने का और पहनने का साधन नहीं है बाहर गांव में, जिस प्रकार की डाक्टरों की फीस प्रेस्क्राइब्ड है, उन डाक्टर्स से क्या वे लोग मदद ले सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, यह संभव नहीं है। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी को यहाँ पूरी चीजों की जानकारी नहीं हो तो वे आज इसका उत्तर नहीं दें और कल परसों तक राजस्थान के लोगों की आर्थिक स्थिति को और डाक्टरों की फीस की ज्यादती को देखकर दोनों की तुलना करके निर्णय करें कि उनकी जो फीस प्रेस्क्राइब की गई है वह कम होनी चाहिए या ज्यादा। मैं समझता हूं कि उनके जैसे उदार आदमी यह नहीं चाहते होंगे कि फीस ज्यादा बढ़े। मैं आशा करता हूं कि इस में ५० फी सदी कमी करेंगे मैं आशा करता हूं कि वे आज फीस के बारे में फैसला नहीं सुनावेंगे बल्कि विभाग में जाकर, लोगों से मिल कर सारी बातों की जानकारी करके कमी करना अच्छा होगा।

इसी विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेदिक विभाग भी आता है। मैं इस बारे में सिर्फ दो मिनिट और बोलूंगा। इस में पैसे भी कम हैं और समय भी कम है। दो ही मिनिट में समाप्त करता हूं। हाल ही में यहां पर इन्डियन मेडीकल एसोशियेशन की कान्फ्रेंस हुई थी। खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान में यह निर्णय लिया गया कि आयुर्वेद जैसी चीज पुरानी चीज है उसको प्रोत्साहन देने के लिए अब किसी प्रकार का सरकारी सहयोग दिया जाय यह उचित नहीं। मुझे खेद इस बात का है कि इस एसोशियेशन में हमारे इस विभाग के वर्तमान मंत्री जी शायद बोले नहीं थे लेकिन उन्होंने उद्घाटन तो किया था। शायद उन्होंने भाषण देकर ऐसा नहीं कहा होगा कि आयुर्वेद की आवश्यकता नहीं है लेकिन जब कि उनके हाथ में यह विभाग है, इस प्रकार का निर्णय उक्त कान्फ्रेंस में लेना उनके लिये और राजस्थान के लिये अच्छा नहीं है। यह विभाग बिल्कुल अभागा रहा है। पहले के डाइरेक्टर श्री नंदकिशोर जी के स्वर्गवास के बाद से लेकर अभी जो नये डाइरेक्टर आये हैं उनके आने तक इस विभाग की व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई रही। इसको

[श्री भैंरूंसिंह]

कोई संभालने वाला नहीं था । किसी कागज पर दस्तखत लेने होते या राय लेनी होती तो सेक्रेटेरियट में इस विभाग के सेक्रेटरी महोदय के पास जाना पड़ता क्योंकि वे इसका चार्ज संभाले हुए थे उनको फुरसत मिलती तो कागजों पर दस्तखत हो जाते वरना कागज झूलते हुये रहते । हमारी सरकार को इस विषय में दो बातें करनी चाहिये । पहली तो यह कि ज्यादा से ज्यादा गांवों में और छोटे छोटे गांवों में आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज खोली जांय और जो रुकावट आती हो पैसे के बारे तो समझता हूं थोड़ी धन राशि गांव के लोग इकट्ठा कर सकते हैं । उनसे सहायता लेकर आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज खोली जांय और इस विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाय कि लोगों को आयुर्वेद की जानकारी दें । इसमें छोटी छोटी बातों का उल्लेख करवा कर मामूली पुस्तक में लिखवा कर और छपवा कर लोगों में वितरण कराने की व्यवस्था करवाई जाय और और लोगों को ज्ञान दें कि अमुक चीज आपके गांव में सुलभ है इससे यह बीमारी दूर हो सकती है । यह काम आयुर्वेद विभाग का काम है । मैं समझता हूं इस विभाग के मंत्रीजी और विभाग के अध्यक्ष दोनों ही इस ओर ध्यान देकर कार्यवाही करेंगे ।

आयुर्वेद में रिसर्च की कोई व्यवस्था नहीं है । जो लोग आयुर्वेद में श्रद्धा रखते हैं वे कहते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के ऊपर यदि किसी का प्रभाव हो सकता है तो यह आयुर्वेद का है । लेकिन आयुर्वेद की बातें करते करते उसको प्रोत्साहन दें ऐसा नहीं है । आयुर्वेद औषधालयों में रिसर्च का बहुत अभाव है । रिसर्च के नाम से संस्था बना कर रिसर्च करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिये ग्रान्ट इन एड देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । यदि हम स्वयं रिसर्च का कार्य आरम्भ करें तब तो अच्छा है ही नहीं तो रिसर्च करने वालों को एड जरूर देनी चाहिये । रिसर्च करके मुफ्त में लोगों को दवाइयां वितरण करने की व्यवस्था कर सकें तब तो अति उत्तम है ही, नहीं तो पैसा लेकर भी वितरण गांवों में दवाइयों का हो सके तो भी जनता को इससे काफी लाभ हो सकता है । ये सारी बातें कह कर मैं सदन का ध्यान इस विभाग की ओर आकर्षित करता हुआ अपना कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं ।

श्री प्रभुदयाल—चेयरमेन महोदय, मेरा भी एक छोटा सा कटौती प्रस्ताव है कि इस मांग में १ रु० की कटौती कर दी जावे, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस विभाग में असावधानी बढ़ती जा रही है ।

चेयरमेन महोदय, मैंने पहले भी सदन में प्रश्न पूछा था और जैसा मुझे उसका जवाब मिला उससे मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । मैं तारानगर अस्पताल के बारे में कहना चाहता था । तारानगर ऐसा पिछड़ा हुआ बीकानेर डिविजन का इलाका है कि यहां पर बदकिस्मती से छोटा सा एक अस्पताल है । मैंने प्रश्न पूछा था इसलिये कि उसमें जो कमियें हैं वे नजर आ जांय । इतनी बड़ी तहसील में एक ही अस्पताल है जिसमें एक कमरे में चार बेड्स हैं और कमरे के दूसरी ओर डाक्टर साहब बैठते हैं । न तो वहां पर अलग ड्रेसिंग रूम है और न कंसल्टिंग रूम और न कोई दूसरे तरह की व्यवस्था है । जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसकी ओर विशेष ध्यान देना

[श्री प्रभुदयाल]

चाहिये। वहां किस प्रकार का इन्तजाम है यह यदि आप एक बार वहां पधारेंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पिछड़े हुए इलाकों की ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात बीकानेर के टी. बी. अस्पताल के बारे में मुझे कहनी है। जिस वक्त राजस्थान बना था उस वक्त भी राजस्थान में सबसे बड़ा टी. बी. अस्पताल यही था। लेकिन राजस्थान बनने के बाद इस अस्पताल की जो हालत हो रही है वह बड़े दुःख की बात है। इस टी. बी. अस्पताल में ६६ मरदाने और २६ जनाने बेड्स हैं। सेकन्ड फाइव ईयर प्लान में ४०० नये बेड्स सरकार अस्पतालों में बढ़ाने वाली है। यह सुनकर मुझे कुछ विश्वास हुआ। मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि हमारे इस अस्पताल की ओर विशेष ध्यान देंगे तो बड़ी कृपा होगी क्योंकि जिस समय रामकिशोरजी व्यास इस विभाग के मंत्री थे उस समय उन्होंने भी मौका देखा था चार पांच साल हो गये वहां का इन्तजाम ठीक नहीं है। जब से डाक्टर मेहता बीकानेर में आये हैं, तब से राजाओं के वक्त में भी ऐसा इन्तजाम नहीं था, वैसा इन्तजाम आज वे कर रहे हैं। मैं उनकी तारीफ करूंगा कि कहां कहां से दवाईयें मगांकर वे पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन जहां पैसे का सवाल है, कमरे बढ़ाने का सवाल है, बेड्स बढ़ाने का सवाल है, यह उनके वश की बात नहीं है मैं प्रार्थना करूंगा कि इस ओर सरकार पूरा ध्यान दे। हिन्दुस्थान में टी. बी. नामक बीमारी बहुत बड़ी तादाद में फैली हुई है। राजस्थान भी काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। विशेषकर यह बेकारों व गरीबों में बीमारी फैलती है क्योंकि उनको खाने को पूरा नहीं मिलता और उनको पूरी महनत करनी पड़ती है, पूरी खुराक टाइम पर न मिलने से उनके शरीर में ताकत नहीं रहती है इसलिये इस ओर विशेष तौर से गौर फरमाना चाहिये। यहां पर दवाईयों की भी बहुत कमी है। बड़े बड़े बजट बनते हैं लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि दवाईयों का बजट नहीं बढ़ाया गया है। दवाईयों की जो कमी है यह विशेष तौर से गरीबों पर असर करती है। धनवान तो मंहगी दवाई बाजार से ला सकते हैं। सोशलिस्टिक पेटर्न में सबसे ज्यादा ध्यान गरीबों की ओर देना चाहिये। डाक्टरों की फीस के बारे में भी कुछ मैं कहना चाहता हूं। डाक्टरों की फीसें हैं, यह एक तरह से खुली रिश्वत है। यह एक प्रेक्टिस सी हो गई है कोई भी व्यक्ति डा० को दिखाने के लिये होस्पिटल में जाता है तो डा० उसको कहता है कि यहां तो इलाज होगा जैसा ही होगा आपको घर पर कराना चाहिये। इस बहाने से लोगों को घर पर बुला लेते हैं। यह एक नहीं सेन्ट परसेन्ट केसेज़ में होता है। अगर आप इसकी खुले रूप से जांच कराना चाहें तो करा सकते हैं और आपको मालूम होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वह बात बिल्कुल सही है या नहीं। कुंभारामजी हैल्थ मिनिस्टर थे तब भी मैंने यह कहा था और अब भी मौजूदा मिनिस्टर साहब से भी कहता हूं कि इस रिश्वत खोरी को, जो खुलेआम हो रही है, को शीघ्रातिशीघ्र बन्द किया जावे। आज कल आप देखेंगे की ट्रान्सफर के मामलों में यह कहा जाता है जगह अच्छी नहीं है इसका मतलब यह होता है कि वहां उनकी आमदनी का जरिया अच्छा नहीं है। इसलिये वे लोग यह कहते हैं कि बच्चों के लिये पढ़ाई का इन्तजाम नहीं है उनकी ट्रान्सफर वापिस दूसरी जगह कर दी जावे। इसलिये मैं

[श्री प्रभुदयाल]

यह कहूँगा कि यह एक खुली रिश्वत का बाजार है इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये और ट्रान्सफरों को रोकना चाहिये, अब मैं डूंगरगढ़ जिला चूरू के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। तारानगर के बारे में बजट में पैसा नहीं बढ़ाया। डूंगरगढ़ में लोग ५० - ६० हजार रुपया लगाकर होस्पिटल बिल्डिंग बनाना चाहते थे। १२.४.५५. को लिखा गया। डी. एम. एच. ओ. ने तो एक साल हो गया उसको आगे भेजा है और कई रिमाइन्डर भी दिये बताते हैं मगर कागजों का पता नहीं कि वे कौन से सेक्रेट्री के पास हैं। यह कौनसा तरीका है कि जब पब्लिक की तरफ से पैसा लगाया जाता है तो फिर उनको पैसा लगाने के लिये तंग किया जा रहा है। मैं इस संबन्ध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे इस संबन्ध में जल्दी से जल्दी पैसा लोगों से निकलवालें तो ठीक है वरना सेठ लोग पैसा देने से कहीं इन्कार न हो जावें, क्योंकि उनको नाहक तंग किया जाता है।

दूसरी बात में मैं मिलावट के बारे में कहना चाहता हूँ। आप जिधर देखो तमाम चीजों में मिलावट ही मिलावट नजर आती है घी में देखो मिलावट होती है। आप देखेंगे कि हमको घी के नाम से प्योर वेजीटेबल घी गवर्नमेंट होस्टल में मिलता है अगर आप चाहें तो उसको चैक करा सकते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और आप देखेंगे कि ६० प्रतिशत एम. एल. ए. को बीमार होना पड़ता है। कभी किसी का सिर दुखता है तो कभी किसी को खाँसी हो जाती है कभी किसी का पेट दुखता है। इसके लिये इस तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिये और मिलावट को शीघ्रातिशीघ्र रोका जाना चाहिए।

साखू तहसील राजगढ़ में आयुर्वेद का अस्पताल खुला है, मगर आज तीन साल हो गये वहां पर वैद्य नहीं पहुंचा है। या तो आप वहां पर औषधालय खोलते नहीं और खोला है तो वहां पर तीन साल में वैद्य पहुँचना चाहिये था। यह बात भी सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ।

चलते फिरते होस्पिटल। आपने यह क्राइटेरिया बनाना है कि बड़े बड़े होस्पिटल्स तो शहरों में खोलें जांय मगर ग्रामीण जनता के चीर फाड़ के इलाज के लिए उन लोगों को शहर में पहुँचाया जाता है। इसलिये इस प्रकार का क्राईटेरिया बनावें कि साल में १२ जगह चलते फिरते होस्पिटल या कैम्प लगाये जांय जो ग्रामीण जनता की सेवा कर सकें।

आप शहरों की ओर ध्यान देवें तो आपको मालूम होना चाहिये कि ८० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। आप जो सोशलिस्ट पैटर्न की बात करते हैं और सोशियल पेटर्न की ओर जाना चाहते हैं तो आपको गांवों की पब्लिक की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। जब तक गांवों के लोगों की तरफ विशेष ध्यान नहीं देंगे तब तक सोशियल पेटर्न नहीं हो सकता। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री महोदय इन बातों का ध्यानपूर्वक जवाब देंगे और मैंने सिर्फ आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिये ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री सभापति—श्री सुगनचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री कालाबादल ।

श्री भैरवलाल कालाबादल—सभापति महोदय, मेरा चिकित्सा के बारे में कटौती का प्रस्ताव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की व्यवस्था संतोषजनक नहीं होने के कारण मैंने अपना यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया है । इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आज सरकार के खजाने को भरनेवाले अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं लेकिन चिकित्सा के मामले में उन लोगों के लिये कोई संतोषजनक प्रबन्ध नहीं है और इस कारण से बेचारे सैकड़ों नवजवान हर साल मरते रहते हैं । कितनी महिलाएं जापे के समय बिना नर्सों और होशियार दाइयों के न होने से हर साल मरती रहती हैं । उनके मरने के बाद बच्चे मां के न रहने से बिलख बिलख कर परेशान रहते हैं ।

दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ८० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं जो सरकार के खजाने को भरनेवाले हैं सरकार के द्वारा जितने भी टेक्स लगाये जाते हैं वह गांव से ही आते हैं । मगर किसानों के लिये स्वास्थ्य का कोई प्रबन्ध नहीं है । शहरों में रहने वाले बड़े बड़े आदमियों में से किसी को कोई एक मक्खी भी काट जाए तो डाक्टरों कि भरमार हो जाती है । चेअरमेन महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और यह बता देना चाहता हूं कि जिस समय पहला बजट अधिवेशन था मैं एसेम्बली का सदस्य था और जब मैं एसेम्बली का सदस्य था तो मेरे एक गांठ हो गई थी । मेरी बीमारी का हाल सुन कर डाक्टरों ने विशेष ध्यान रखते हुए शांत तरीके से मेरा ओप्रेशन कर दिया । मुझे कोई पता नहीं लगा । लेकिन जब मैं असेम्बली का सदस्य नहीं रहा और सेवा के क्षेत्र में रहा तो भूदान के सिलसिले में गांव में निकल पड़ा । लगातार गांवों में दौरा करने से मेरा जुखाम बिगड़ गया । जुखाम बिगड जाने से मेरे सिर में दर्द होने लगा, कान में पीड़ा होने लगी, आंखों में जलन होने लगी । इस तरह की कई बीमारियें एक जुखाम बिगड़ जाने से हो गईं । मैं हर शफाखाने में गया और डाक्टरों को बताया । एक डाक्टर कहने लगा सिर दर्द का इलाज उधर होगा । मैंने कहा जुखाम बिगड़ा है । उसने कहा कान का दर्द का इलाज उधर होगा । मैंने कहा आंख भी जलती है तो कहा गया कि आंख का सम्बन्ध है उस डाक्टर से उधर जावो । दूसरे दर्द के लिये उधर चले जाओ । जुखाम बिगड़ जाने से और मुझे एक बीमारी का इलाज कराने के लिये १० डाक्टरों के पास १० टिकट कराने पड़े और दस जगह ही टी. बी. के टिकट के पैसे देने पड़े जब मेरे जैसे आदमी के लिये इलाज नहीं होता तो भोले भाले ग्रामीण जनता के लिये क्या उम्मीद की जा सकती है कि कोई उनका इलाज हो सकता है । हम कहते हैं कि हम किसानों के लिये बहुत कुछ करते हैं और सब किसानों के लिये ही करते हैं लेकिन उनका इलाज तक नही होता । मैं यह कहूँगा कि अगर यही परिस्थिति रही तो अगले चुनावों में क्या होगा ? आप किसानों की हालत को ठीक नहीं कर सकते, उनका इलाज नहीं करा सकते । उनके पास कपडा नहीं, उनके पास खाने को धान नहीं, जो लोग खजानों

[श्री भैरवलाल कालाबादल]

को भरने के लिये बरसात और कड़ाके की धूप की परवाह न करते हुए रात और दिन में और सर्दी गरमी में महनत करते हैं उनके व बच्चों को दूध का इन्तजाम नहीं सो नहीं मगर उनके लिये दवा का भी इन्तजाम नहीं ?

उनके बच्चों के लिए दवा का इन्तजाम नहीं, शहरों में घर बैठे डाक्टर मिल जाते हैं। आज यदि किसान किसी बड़े अस्पताल में पहुँच जाता है तो यह हालत है कि कई घन्टे तक उसकी ओर डाक्टरों से देखा भी नहीं जाता। बहुत देर ठहरने के बाद मरीज को कहा जाता है क्या बीमारी है ? कोटा शफाखाने के बाहर बड़ के पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं। बाटी दाल सेक कर अपना काम चलाते हैं, मरीजों के ठहरने का कोई प्रबन्ध नहीं है। खानपुर जिस एरिया से मैं चुन कर आया हूं, पाटन झालावाड जिले भर में सब से बडी तहसील खानपुर आबादी और क्षेत्रफल की ओर अनाज की दृष्टि से बड़ी तहसील है जिसका अनाज मैं समझता हूँ जयपुर शहर को भी मिलता है। वहां के अस्पताल में पहले दो मरीजों के ठहरने का इन्तजाम था अब बड़ी मुश्किल से चार मरीजों के ठहरने का इन्तजाम किया गया है। सिर्फ चार मरीज ही वहां ठहर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, रियासत के समय में भोलेभाले किसानों के दिमाग में यह बातें पैदा कर दी गई थी कि तुम क्या इलाज करवाते हो। तकदीर में तुम्हारे यह कहां कि तुम डाक्टरों से इलाज करवाओ। तुम तकदीर के भरोसे बैठे रहो। तकदीर तो शहर वालों के हैं जो उनकी सेवा में हमेशा डाक्टर मौजूद रहते हैं। मैं गांव से चुन कर आया हूँ इस लिए इस असेम्बली में आने से मेरे तकदीर बढ़ गयी उन ग्रामीणों की बजाय मेरे भाग्य बढ गये। मैं तो यह मानता हूँ और इस लिए कह देना चाहता हूँ चेयरमेन महोदय, आज हमारी सरकार को ज्यादा आमदनी गांवों से है अगर आपने ग्रामीणों के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं दिया तो यह बता देना चाहता हूं गांव के जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं चमचमाती बिजली की रोशनी में रहते हैं कि लेकिन यह आपको यह नहीं भूलना चाहिये आपको ग्रामीण जनता का हमदर्द होना चाहिये, जिन्होंने आपको चुन कर भेजा है। आज उन गांव वालों को हर जगह ठोकरें खानी पड़ती हैं हम लोग एम. एल. ए. बन गये तो क्या ? आज वह जनता जिन्होंने हमें चुनकर भेजा है उनके स्वास्थ्य की ओर मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा, वे गांवों की जनता के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दें। उसके सिवाय माननीय मन्त्रीजी मैं यह भी निवेदन करूंगा कि गांवों में चलते फिरते अस्पताल चालू करें ताकि महिने दो महिने में जाकर उन लोगों की साल संभाल ली जा सके। इन शब्दों के साथ मैं चेयरमेन महोदय, अपने कटौती के प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—चेयरमेन महोदय, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ।

श्री सभापति—आपका कोई कटमोशन तो है नहीं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—चेयरमेन महोदय, जब दूसरे लोगों का भाषण आप सुनते हैं तो मुझे आप बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री सभापति—आपका भषाण तो रोज ही सुनते हैं, आप बैठ जाइये।

(पुनः खड़े होने पर)

Order please.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता-(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)—चेयरमेन महोदय, मेडिकल और हैल्थ डिपार्टमेंट के बारे में बहुत से कटौती के प्रस्ताव रखे गये। सबसे पहले मैं एक चीज का जवाब देना चाहता हूँ मगर मुझे अफसोस है कि वे तीनों माननीय सदस्य जिन्होंने उस बात का जिक्र किया इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने शिकायत की पर्चेजेज के बारे में बहुत अनियमितता हुई। दस लाख रुपये का सामान ऐसे ही खरीदा जा रहा है। विरोधी दल के नेता ने यह कहा कि वह सामान मनमानी तौर पर और बहुत खराब और बहुत ज्यादा कीमत का खरीदा जा रहा है। उसके बाद जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने दुबारा इसी बात को दोहराया और यह कहा कि १० लाख रुपये का जो सामान खरीदा जा रहा है उसकी सेंक्शन तक नहीं है। इस प्रकार से बहुत अव्यवस्था बरती जा रही है। और इस बात पर उन्होंने चेलेन्ज किया कि यह बात गलत हो तो आप बता सकते हैं, उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद भी उन्हीं के एक साथी ने फिर इन्हीं बातों को रिपीट किया। मैंने उस रोज ही कह दिया था कि गवर्नमेन्ट की सेंक्शन मौजूद है और मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये उस कागज को हाउस की टेबल पर रखता हूँ। इस प्रकार से माननीय दोनों सदस्यों ने जो एलीगेशन्स लगाये थे कि सेंक्शन नहीं वे दोनों सदस्य इसे देखलें। १५ फरवरी की विज्ञप्ति जारी की हुई है जिसमें १० लाख ४७ हजार के सामान की खरीद का उल्लेख है और उस सम्बन्ध में १५ फरवरी की आज्ञा है।

इसके साथ साथ यह भी बात कही गई थी और मैंने इस बात की जिम्मेदारी ली थी और मैंने निजी रूप से जांचा है वह सामान जो खरीदा गया उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ियां नहीं हुईं। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे जो कुछ भी बातें कहें वे बातें ठीक होनी चाहिये। उन्होंने यह भी चार्ज लगाया कि कमल एन्ड कम्पनी से जो चेसेज लिये गये हैं वे ११२ इन्ची हैं उससे भी अच्छी चेसेज कम कीमत पर मिल सकती हैं। इस बात की मुझे जानकारी है मैंने इसका रेकर्ड देखा है, मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ कि वे चेसेज ११२ इन्ची वे १२२ इन्ची हैं। उसके प्राइज जो गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के डाइरेक्टर आफ डिसपोजल्स ने मुकर्रर किये हैं वे ही दिये गये। हैं उसी कीमत में हमने खरीदा है।

तीसरी बात मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इसके लिए हमारे पास जो इसकी ओथोरिटी है उस एक्सपर्ट की ओपीनियन है। उनका यह कहना है कि यह एम्बुलेन्स के काम के लिये बहुत फिट हैं। अगर उनको विश्वास नहीं हो तो ओरीजनल रिकमन्डेशन मैं साथ लाया हूं वे खुद इसे देख सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहता हूं कि गैर जिम्मेदारी की बातें यहां कहकर सदन के समय का दुरुपयोग करना माननीय सदस्यों के लिये शोभा नहीं देता। आप जिम्मेदार आदमी

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

हैं, इलेक्टेड हैं, आपको जनता ने विश्वास के साथ भेजा है बिना जानकारी प्राप्त गैरजिम्मेदारी से कुछ कहना न सदन के समय का ही उपयोग है और न माननीय सदस्यों के लिये शोभा की बात है। मैं उम्मीद करूंगा कि आयन्दा जो भी कहें माननीय सदस्य जानकारी प्राप्त करके कहें। उन्होंने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में कागजातों को देखा होगा किन्तु उनको किसी तरह की गड़बड़ी मिली तो मेरे कहने पर तो विश्वास करना चाहिये।

इस सम्बन्ध में एक और बात कही गई कि मि० भार्गव जो एक एक्सपर्ट हैं जो इस कमेटी के सदस्य भी हैं, सामान खरीदते वक्त उनको नहीं बुलाया गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मि० भार्गव इस कमेटी के सदस्य नहीं हैं। उन्हें एक्सरे के सामान के लिये बुलाया गया था मगर सदस्य नहीं हैं सैंक्शन करते वक्त बुलाने की जरूरत नहीं, कन्सीडरेशन के लिए उनको बुलाया गया था। पर्चेज़ेज जो हुईं वे रूल्स के मुताबिक हुईं और उसी के मुताबिक ठीक कार्यवाही हम कर रहे हैं, इसके साथ ही उन्हीं माननीय सदस्य ने एक बात और कही। सर्जीकल कैम्प सीकर में किया गया और वह बजाज भवन में किया गया इसके संबन्ध में उन्होंने ऐतराज किया। मेरी समझ में नहीं आता कि ये बातें किस तरह से कही जाती हैं। कैम्प बजाज भवन में उस जमाने से लगते आ रहे हैं जब कि सीकर ठीकाने का वक्त था। शफाखाने की बात कही जाती है कि वहां क्यों नहीं किया गया। पर शफाखाने में रोज का काम रहता है, वहां इतनी जगह नहीं कि उन सैंकड़ों मरीजों को वहां रक्खा जावे, जब कैम्प होता है तो बहुत मरीज़ इक्ट्ठे होते हैं तो उन सबके लिये अस्पताल में जगह नहीं हो सकती। पर फिर भी ऐतराज किया जाता हैं कि कांग्रेस वाले यहां रहते हैं और एक पार्टी का बोलबाला है, उन को कोई फायदा दिलाने की गरज से यह सब सरकारी खर्च पर किया जाता है आदि आदि। बजाज जी राजस्थान के माने हुए सेवाभाव व्यक्ति थे और वे कांग्रेसी थे, राजस्थान के ही नहीं माने हुए सारे हिन्दुस्तान के कांग्रेसी थे और महात्मा गांधीजी के भी बड़े विश्वास के आदमी थे। उन बजाज जी के बनाये हुए इस सार्वजनिक हित के स्थान के बारे में यह कहा जाए कि यह अपनी पार्टी के लिये काम में लाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं यह निर्णय उन्हीं पर छोड़ देता हूँ। तो यह पार्टी पोलिटिक्स के प्रोपेगण्डा के लिये कुछ नहीं किया गया महज बीमारों के इलाज के लिये किया गया।

इसके साथ ही ग्रामीण जनता को उचित राहत पहूंचाने के लिए बहुत सी बातें कहीं गईं और इस सम्बन्ध में आयुर्वेद और एलौपेथी का जिक्र किया गया। मैं मानता हूँ कि ग्रामीण लोगों को जितनी सुविधा होनी चाहिये उतनी सुविधा नहीं है। मैं यह भी मानता हूँ कि आयुर्वेद औषधी विज्ञान की और उसके विभाग की जितनी कद्र और कीमत होनी चाहिये थी, उतनी इस समय नहीं है और ये दोनों बातें मेरे दिमाग में हैं और मेरे ध्यान में हैं। मैंने इसके बारे में आयुर्वेद

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

विभाग के अधिकारियों से और वैद्यों से कई बार जिक्र किया। लेकिन समस्या का जिस प्रकार से हल करना चाहते हैं कि गांवों को सबसे ज्यादा सहूलियत मिले, जल्दी मिले और आयुर्वेद को जल्दी से और उपयुक्त प्रोत्साहन मिले, यह नकशा अभी साफ नहीं हुआ। अभी हाल में यहां एक कान्फ्रेन्स हुई थी जयपुर में इसमें भी आयुर्वेद के काफी वैद्य इकट्ठे हुए थे उसमें भी इस समस्या के बारे में बहस हुई, विचार भी हुआ। मैंने उनके सामने भी वही कहा कि उनको सबसे पहले जनता का विश्वास प्राप्त करना है और वह विश्वास उनको प्राप्त करना चाहिये, आज जनता का विश्वास स्वतः ऐलोपेथी की तरफ जा रहा है, उधर से मुड़कर आयुर्वेद में फिर से उनका विश्वास नहीं कायम किया जावेगा, तब तक आयुर्वेद की कदर नहीं होने वाली है। उनके पास अपना विज्ञान है, अपने प्रयोग और अपनी औषधियां हैं, उनको वे काम में लावें और यह साबित करें कि आयुर्वेद विज्ञान में जो औषधियां हैं वे आज भी वास्तव में जनता को सहूलियतें और आराम पहुँचाने के काम में आ सकती हैं। मैंने डाक्टरों से भी बातें कीं और उनको भी कहा कि आपको भी आयुर्वेद की जो औषधियां हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिये और मुझे खुशी है कि हमारे विभाग के डाइरेक्टर ने और अन्य डाक्टरों ने भी कहा कि यदि आयुर्वेद के कोई भी वैद्य अपनी दवाइयों का प्रयोग किसी स्थान पर करना चाहते हों तो वहां हम उनको बैड देने को तैयार हैं लेकिन वे इस बात को साबित तो करें कि उनकी दवाइयां इस प्रकार से उपयोगी हैं। अगर वे दवाइयां उपयोगी साबित हो गईं तो हम काम में लेंगे और बीमारों का भी विश्वास उनमें बनेगा। क्यों कि यह बात जरूर है कि हमारे देश में आज जो एलोपेथिक दवाइयाँ काम में लाई जाती हैं वे बाहर के मुल्कों से आती हैं और पेटेन्ट दवाइयों के लिये ही आज हिन्दुस्तान को करीब साढ़े चार करोड़ रुपया बाहर भेजना पड़ रहा है। और भी अन्य बहुत सी दवाइयां हैं जिनके लिये और अलग से करोड़ों रुपया हिन्दुस्तान से बाहर जाता है और हमें मजबूरन वे दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। अगर उनका स्थान ये आयुर्वेद की औषधियां ले लेती हैं तो इस से बढ कर और खुशी की क्या बात हो सकती है। पर जब तक इन पर जनता का विश्वास न प्राप्त हो और मरीज स्वयं न कहें तब तक एलोपेथी को खत्म करके बड़े बड़े शफाखानों को बन्द करके आयुर्वेद को जबर्दस्ती से स्थान देना हमारे लिए सम्भव नहीं है। यह जबर्दस्ती करने में सरकार असमर्थ रहेगी। तब भी मैं कहूँ कि गांवों को ज्यादा सहूलियतें देने के लिए पिछले साल ७० औषधालय गांवों में सरकार ने खोले हैं।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

इसके साथ ही हमारी एक योजना और है। वह यह है कि तीन हजार की आबादी तक के कस्बे जो हैं उन सब में हम एक डिस्पेन्सरी खोलने की योजना रखते हैं। तहसील के हैड क्वार्टर में भी कहीं कहीं डिस्पेन्सरी नहीं है यह जानकर मुझे वास्तव में ताज्जुब हुआ। अगली पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत तहसील हैड क्वार्टर के अन्दर डिस्पेन्सरी खोलने की हम व्यवस्था रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि तहसील हैड क्वार्टर में एक एक डिस्पेन्सरी जल्दी ही खोली जावेगी। उन को सबसे पहले प्रिफेरेन्स दिया जावेगा।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

अब कुछ शिकायतें इस प्रकार की भी आई कि बहुत सी डिस्पेन्सरियों में या अस्पतालों में जो मौजूद हैं, दवाइयों की कमी है। औजारों की भी कमी है और सामान की भी कमी है, और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि डाक्टरों, नर्सों और कम्पाउन्डरों की भी कमी है। इसे मैं स्वयं भी महसूस करता हूँ। पर मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि हमारे मैडिकल विभाग में स्टाफ की कमी है। नये डाक्टर नहीं मिलते। तनखा भी डाक्टरों की बहुत कम है। अभी तक हम डाक्टरों को नई स्टार्टिंग १५० से देते थे पर अब हमने उनको २०० का स्टार्ट देने का निश्चय कर लिया है। इससे हमें थोड़े डाक्टर मिलने में सहूलियत होगी। इसी प्रकार कम्पाउन्डर, नरसेज, मिडवाइफ आदि की भी कमी है। और इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार की सहायता से हमने यहां अपने कुछ ट्रेनिंग सेन्टर खोले हैं। अगली साल तक ये सेन्टर १२ हो जावेंगे। इसमें इस स्टाफ के लिए आवश्यक ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। आशा है इसके बाद हमारी समस्या काफी हद तक हल हो जावेगी। साथ ही गांवों में दाइयों की ट्रेनिंग के लिये भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। एक ट्रेनिंग सेन्टर भी चालू है और ट्रेनिंग के साथ साथ तीस रुपया मासिक दाइयों को देने की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं ताकि ट्रेनिंग के समय भी उन को कुछ मिलता रहे और उनके गांव में नहीं रहने से उस पीरियड में जो आर्थिक नुकसान उनको रहता, वह भी पूरा हो जाय और उनका आकर्षण भी ट्रेनिंग हासिल करने की तरफ बढ़े। और भी इस तरह के सेन्टर खोलने की हम कोशिश में हैं और उम्मीद है कि अगले पांच सालों में हम काफी प्रगति इस दिशा में कर जावेंगे।

हमारे यहां डाक्टरों की कमी है इसको महसूस करते हुए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि हमारे यहां एक मैडिकल कालेज और स्टार्ट करने की मंजूरी दी जाय और मुझे यह जाहिर करते प्रसन्नता है कि भारत सरकार के मुतालिक महोदय से मेरी पर्सनल बात हुई है और उन्होंने यह आश्वासन दिलाया है कि एक मेडिकल कालेज यहां राजस्थान में और खोलने की मन्जूरी देदी जावेगी।

(करतल-ध्वनि)

इसी प्रकार से हमारे यहां जो स्टाफ है, कम्पाउन्डर नर्सेज आदि का उनकी कमी को दूर करने की व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है और अभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसे शामिल कर लिया गया है और इसे जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जावेगा। और इसी प्रकार से ट्रेन्ड स्टाफ की कमी की शिकायत है मिडवाइफ, नरसों आदि की शिकायत है, वह भी दूर होने की आशा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों को पहुँचने में जो असुविधायें हैं उनके लिए भी सरकार प्रबन्ध कर रही है। यह हैल्थ कांफ्रेंस में भी प्रश्न आया था कि गांवों में जाने वाले डाक्टरों को वहां पहुँचने में सहूलियत पहुंचाने की दृष्टि से उनको रुरल अलाउन्स के नाम से कोई विशेष

[श्री बद्री प्रसाद गुप्ता]

अलाउन्स की सुविधा दी जावे। इस पर भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों सोच रही हैं। हम इस सुझाव पर काफी गम्भीरता से सोच रहे हैं। इससे डाक्टरों को प्रोत्साहन मिलेगा देहाती इलाकों में जाने के लिये और तब गांवों में जाने की असुविधा उनकों नहीं रह जावेगी।

इसी प्रकार प्रसूति गृह और बच्चों की देख रेख के केन्द्रों के सुझाव पर भी हमने विचार किया है और इन प्रसूती गृहों के लिए ट्रेन्ड दाईयों की व्यवस्था के लिये अगली पंचवर्षीय योजना में खास तौर से ख्याल रखा जावेगा।

बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात की शिकायत की है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर बेड्स की व्यवस्था जो है, वह ठीक नहीं है। अगले बजट में हमारी यह योजना है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो वहां कम से कम ५० बेड्स हरेक अस्पताल में जरूर होंगे, इस बात की व्यवस्था हो। इसमें शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही हो जायगी।

किशनगढ़ से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा था कि उनके यहां अस्पताल में दवाईयों की धनराशि कम करने का हमारा खयाल है। ऐसा खयाल नहीं है। मैंने यह कहा था कि रेशनेलाइजेशन अगर किया जाय तो मुमकिन हो कि कम हो जांय। क्योंकि जितने फंड्स होते हैं उनके मुताबिक सब जगह दवाईयां देने की व्यवस्था करते हैं।

इसी प्रकार औजारों के बारे में कहा। वह औजार खरीदे जा रहे हैं और १० लाख की स्कीम अभी सदन की मेज पर रखी गई है। उनकी खरीद चल रही है। जो कमी है उसे जल्दी से जल्दी पूरी करने को तैयार हैं।

सरवाड़ के डाक्टर के बारे में एक बार पहले भी सदन में कह चुका हूं कि उसके बारे में जानकारी करने में देर लगी है। फिर मै आपको विश्वास दिलाता हूं कि १५ दिन के अन्दर अन्दर जानकारी होकर, इन्क्वायरी होकर, बहुत जल्दी ही इन्तजाम ठीक हो जायगा।

ट्रान्सफर्स के बारे में कुछ शिकायतें जरुर हैं। ट्रान्सफर्स करने पड़ते हैं। दिक्कतें ऐसी आती हैं कि जैसे कि कुछ कम्पाउन्डर्स हैं वे थर्ड ग्रेड से सेकन्ड ग्रेड में या फोर्थ ग्रेड वाले थर्ड ग्रेड में आ जाते हैं और उस ग्रेड की पोस्ट उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो उनका ट्रान्सफर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कर दिया जाता है। लेकिन मैंने ऐसी हिदायत करदी है कि २५० रु० तक की तनख्वाह पाने वाले हैं उनको उसी डिस्ट्रिक्ट में रखा जायगा। इसके अलावा माननीय सदस्य कोई शिकायत ध्यान में लायेंगे तो जरूर दूर करेंगे।

कुछ अस्पतालों के डाक्टर जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में गये थे उनकी सेवाओं को जोडने के लिए कहा गया तो उनकी जानकारी के लिए यह निवेदन करूंगा कि मैंने फाइल मंगा कर देखी है। उसमें एक डाक्टर ने दरख्वास्त दी थी उस सम्बन्ध में एक बात यह भी है कि एक डाक्टर के

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

बारे में भारत सरकार से आज्ञा प्राप्त नहीं हुई है। आप हमारे पास लायें यह इजाजत भारत सरकार की। इसके अलावा और डाक्टर्स भी हैं जिनके देखने से पता चलता है कि उनकी रिकार्ड में कोई दरख्वास्त नहीं थी। इसलिये उन डाक्टर्स के बारे में पता नहीं है। कहीं माननीय सदस्यों की जानकारी में हों तो उन डाक्टरों को भेजने की कोशिश करें। डाक्टर जानकारी करके अगर चाहेंगे तो कार्यवाही करेंगे।

धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चीन का हवाला दिया कि वहां क्या सिस्टम है। उससे मालूम होता है कि माननीय सदस्य को कुछ कम्युनिस्टों का ज्ञान ज्यादा प्राप्त हुआ है। उन्होंने जो उपाय बताया वह मैं नहीं समझ सका हूं कि बीमार तो पड़े कोई और डाक्टर को क्यों सजा दी जाय। यह कम्युनिस्ट पेटर्न वहीं काम में आ सकता है हिन्दुस्तान में नहीं।

डा० श्री मंगलसिंह—वह १५०० वर्ष पहले की बात है जब कि कम्युनिस्ट नहीं थे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उन्होंने धौलपुर में आयुर्वेदिक औषधालयों की व्यवस्था के बारे में बहुत सी बातें कहीं। मैं आयुर्वेद के बारे में कह चुका हूं।

धौलपुर में वेड्स के बारे में अभी हाल में जिक्र किया था। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा और कोई गलती होगी तो ठीक करने की कार्यवाही करूंगा।

इसी प्रकार सायला और अन्य स्थानों के इन्तजाम के बारे में कहा गया है। जहां पर डिसपेंसरीज़ नहीं हैं, उनके लिए आयन्दा के लिए ३ हजार वाले जो कस्बे हैं उनमें हम डिस्पेंसरी एड कर रहे हैं और जहां व्यवस्था की कमी है, ट्रेन्ड स्टाफ की कमी है, वह इसमें, दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा करेंगे।

श्री सरदार सिंह—नर्सेज वहां नहीं है उसके बारे में फरमाइये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नर्सेज के लिए, प्रोवाइड किया गया है। आयन्दा पंचवर्षीय योजना में करीब १२०० नर्सेज ट्रेन्ड हो जायगीं। इसी प्रकार से भीलवाड़ा तहसील के बारे में कहा है और गांवों के बारे में इस प्रकार की शिकायतें हैं वह दूर हो जायगीं।

यह बात जो जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही वह रजिस्ट्रेशन के बारे में है। कम्पाउन्डर्स की क्वालीफिकेशन्स के बारे में है, कम्पाउण्डर्स की क्वालीफिकेशन बारे में कहा गया कि वह मेट्रीकुलेट होना चाहिए इस प्रकार की हिदायत थी। वह प्रश्न अब सरकार के विचाराधीन है और मैं समझता हूं हि उस पर शीघ्रतिशीघ्र विचार किया जायगा और इस प्रकार की आयन्दा शिकायत नहीं रहेगी।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

इसी प्रकार रजिस्ट्रेशन के बारे में कहा गया कि यहां पर ठीक प्रकार से काम नहीं हो रहा है। रूल्स गलत फ्रेम हुए हैं। मैं इस बात की जानकारी प्राप्त करके निवेदन करूंगा। क्योंकि इसका कट मोशन नहीं था और नहीं होने की वजह से पूर्ण जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

इसी प्रकार से एक माननीय सदस्य ने पक्षपात के सम्बन्ध में कहा है कि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सालय के प्रति सौतेला बर्ताव होता है, पक्षपात का बर्ताव हो रहा है। डाक्टर जो होते हैं उनके सम्बन्ध में उनके साथ रियायत की जाती है। मैंने इस सम्बन्ध में निवेदन किया है कि गवर्नमेन्ट की इस सम्बन्ध में मान्यता है कि आयुर्वेद को प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद को प्रोत्साहन केवल गवर्नमेन्ट के करने से ही नहीं मिलेगा जब तक कि आयुर्वेद विभाग या आयुर्वेद के मानने वाली जनता में इस बात का विश्वास प्राप्त नहीं करायेंगे, तब तक वह बात नहीं होने वाली है। एक माननीय सदस्य ने मुझ से कहा कि हमारे यहां डिस्पेन्सरी होनी चाहिए। मैंने कहा कि आयुर्वेदिक औषधालय खोल दें। तो उन्होंने कहा कि डिस्पेन्सरी में सब को विश्वास है, इसलिए डिस्पेन्सरी खोलें। आयुर्वेदिक औषधालय तो मजबूरी से खुलवाने को तैयार होते हैं। इसलिए आयुर्वेद वालों से और माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट किसी के लिए पक्षपात का व्यवहार करने को राजी नहीं है। किसी ने कहा कि आयुर्वेदिक विभाग के डाइरेक्टर को कम तनख्वाह मिलती है और एलोपैथिक के डाइरेक्टर को ज्यादा तनख्वाह मिलती है। मेरा यह निवेदन है कि वह तनख्वाह अन्य जगहों के डाक्टरों से अधिक नहीं हैं। यहां अगर डाक्टरों को कम देते हैं तो वे दूसरे प्रांतों में चले जाते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे डाक्टर को यू० पी० गवर्नमेंट ने डेपुटेशन पर बुलाने की बात कही ज्यादा तनख्वाह देकर। वह बहुत अच्छा डाक्टर था इस लिए मैंने इस बात से मना कर दिया। वैसे हम किसी डाक्टर को जाने से मना नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे यहां पे स्केल ज्यादा नहीं हों हमारे यहां डाक्टर रहने वाले नहीं हैं। इसी प्रकार डाईरेक्टर को उसी हिसाब से तनख्वाह देनी पड़ती है। पहले हमारे यहां डाक्टरों को एम० बी० बी० एस० को स्टार्टिंग में १५० रु० देते थे फिर हमने कुछ बढ़ाया लेकिन अब भी ४०,५० जगह खाली हैं जहां के लिए डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं। तनख्वाह के लिहाज से आयुर्वेद की परवाह नहीं की जाती हो ऐसी बात नहीं है।

प्राकृतिक चिकित्सालय के बारे में कहा गया। अभी एक प्राकृतिक चिकित्सालय को जो कि जयपुर में है राजस्थान सरकार ने जमीन दी। वह फ्री देने के लिए सरकार की आज्ञा हुई है और सरकार उसे सहायता देने का भी विचार कर रही है।

मैं समझता हूँ कि और भी कई शिकायतें माननीय सदस्यों ने राजनगर के सिलसिले में और सांचोर के सिलसिले में की आयुर्वेदिक औषधालय हैं मगर वहां कोई वैद्य नहीं है, सांचोर में सरकार की ओर से कोई औषधालय नहीं खोला गया है इसलिये जरूरी है....

श्री भोपालसिंह—तीन साल से मंजूर हुआ था लेकिन अभी तक वहां कुछ नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जनता को ज्यादा राहत देने के लिए बहुत सी बातें कही गई। मैं समझता हूँ कि अगली पंचवर्षीय योजना बनी है इस सम्बंध में उसमें इस बात का ज्यादा ध्यान रखा गया है कि गांवों के भाइयों को ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाय।

इन शब्दों के साथ, यद्यपि कुछ और बातें कहना चाहता था लेकिन २,३० बज रहे हैं इसलिए बैठ जाता हूं।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मैंने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनमें से सब से ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव था उसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह कटौती का प्रस्ताव इस बात का था कि राजस्थान सरकार को कोई क्राइटेरिया निश्चित करना चाहिये कि किस आधार पर अस्पताल खोले जायेंगे।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—वह क्राइटेरिया निश्चित कर दिया गया है और उस आधार पर वे खोले जाते हैं। वह लम्बा-चौड़ा क्राइटेरिया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या ही अच्छा होता कि वह क्राइटेरिया सदन के सामने बतला दिया जाता जैसे कि शिक्षा मन्त्री जी ने स्कूलों को खोलने के बारे में निश्चित क्राइटेरिया बताया और उससे लोगों में सतोष हुआ। जो कुछ क्राइटेरिया बताया जाता तो पिछली शिकायतें जो की हैं उसके बाद में सरकार को निवेदन किया है और उसे दुरुस्त करने के लिए सरकार ने कोई निश्चित क्राइटेरिया तय किया है। खैर, नहीं बताना चाहते हैं......

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—(स्वायत्तशासन मन्त्री)—पोपुलेशन के बेसिस पर जितनी डिस्पेन्सरीज है, औषधालय हैं उनको डिवाइड कर दिया है, आयन्दा भी पापुलेशन पर ही खोले जावेंगे लेकिन संख्या कुछ घटा दी गई है। आयन्दा शिकायत नहीं होगी।

जहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की औषधालय हैं, मैं यह निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आलरेडी काम कर रहे हैं और थ्री फोर्थ उनको हम देते हैं। जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वहां खोलने की जरूरत नहीं है। २३ हजार पर दो औषधालय कायम करते हैं और इसी बेसिस पर आयन्दा खोलने का हो सकता है।

श्री चांदमल मेहता—अनुमति है कि जवाब दूं। माननीय मंत्रीजी अगर पोपुलेशन के फीगर्स बता देते तो इससे ही सन्तोष कर लेता।

दूसरे कटौती प्रस्ताव के विषय में माननीय मंत्रीजी ने गोलमाल जवाब दिया है और द्वितीय युद्ध में गये डाक्टरों के विषय में भी इसी तरह का जवाब दिया। भारत सरकार के सरकुलर्स हैं, क्लीयर हैं, उसी आधार पर किसी को रखा जाय। मेरी निगाह में एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं

[श्री चांदमल मेहता]

जिन्होंने दस पन्द्रह रिमाइन्डर्स सरकार को दिये, सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने के बजाय उनको जबाब तक नहीं दिया। जैसा चाहेगी सरकार करेगी, गोलमाल जबाब के बाद भी सरकार कार्यवाही करेगी।

दूसरे और जो कटोती के प्रस्ताव हैं, उनके बारे में भी कोई निश्चित बात नहीं कही गई है २००, २५० मरीज हैं, दवाईयां न पहुंचे, रेफरीजरेटर न पहुँचे इन सारी बातों के बारे में माननीय मन्त्रीजी ने गोलमाल जबाब देकर टाल दिया है। मैं यह मानकर कि गोलमाल जबाब में भी कोई रहस्य होगा, नहीं करना चाहेंगे इस बार और परीक्षण कर ले, इन बातों को कहते हुए मैं सारे कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृति)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने सारे कटोती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

डा० श्री मंगलसिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने जो उत्तर दिया है वह अच्छे से अच्छा उत्तर जैसी उनकी जैसी स्थिति है। दे सकते थे दिया है जो बातें कहीं है उन्होंने वे अपनी जानकारी के ऊपर से ही हैं। जो मैंने एकबात कही थी, चीन में पन्द्रह सौ या दो हजार वर्ष पहले की जो प्रथा चली आ रही थी उसके बारे में जिक्र करते हुए मैंने कहा था तो उन्होंने उसका उत्तर ऐसे हंसते हुए दे दिया कि कम्युनिस्ट टाइप की चीज़ है। उनकी जानकारी इससे ही मालूम हो जाती है कि कम्युनिस्ट नाम अभी थोड़े ही दिनों का है और पन्द्रह सौ वर्ष पहले चीन की चिकित्सा की प्रथा कम्युनिस्ट हो गयी और फिर कम्युनिस्ट शब्द से ही इतना डरते हैं इससे मालूम होता है कम्युनिस्ट कहते हैं कि नीचा से नीचा आदमी है वह भी बराबर होना चाहिए और नीचे से नीचे आदमी को ही ऊपर के हिस्से तक की गवर्नमेन्ट बनाना चाहते हैं परन्तु हमारे यहां की सरकार तो केवल ऊंचे के स्तर के लोगों की ही सरकार पसन्द करती है और दूसरा उसमें न घुस सके ऐसी स्थिति पैदा करना चाहती है तो मालूम पड़ता है जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा था कि यह गुटबन्दी की सरकार है और ये तो गुट की ही बातें करते हैं तो इसमें कुछ सत्यांश का आभास होता है। यह बात हुई दूसरी। कल पैदा हुए मार्क्स और लेनिन को १५०० वर्ष पहले जोड़ देना और फिर मैंने कब कहा कि यही प्रथा जरूर कर दी जाय। एक प्रथा थी यहां भी कोई योजना होनी चाहिये। और योजनानुसार चिकित्सा का प्रबन्ध हो यह मैंने कहा था। फिर भी मैं यह चाहता हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने उत्तर दिया व साधारणतया शिष्टाचार जनक है और इन शब्दों के साथ मैं अपने कट मोशन को वापिस लेने स्वीकृति चाहता हूं।

Page No 67

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डा० श्री मंगलसिंह—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—डर गये डॉक्टर साहब।

(हंसी)

डा० श्री मंगल सिंह—बावले से सब डरते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है उससे मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। माननीय मंत्रीजी ने यह फरमाया है कि इस पंचवर्षीय योजना में नहीं, उस अगली पंचवर्षीय योजना में नर्सेज का इन्तजाम किया जावेगा तो दस वर्ष तक बच्चे बच्ची होंगे ही नहीं।

(हंसी)

और नर्स का इंतजाम क्या करेंगे। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि गांवों में जो पुरानी दाईयां हैं उन्हीं को नौकर रख लिया जाय जब तक ट्रेंड होकर नर्सेज न आजांय तो यह बहतर होगा।

दूसरी बात है कि डाक्टरों का तबादला प्रशासनिक वजह से किया जाता है। यह तो ठीक है मगर जिन डाक्टरों द्वारा प्रजा पर अत्याचार किया जाता है, उनके खिलाफ दरख्वास्तें आती हैं और मंत्री महोदय तबादला तो कर देते हैं लेकिन अक्सर मंत्री महोदय दूसरे मंत्रियों के दबाव से तबादला स्थगित कर देते है और तबादला शुदा को कैंसिल कर देते हैं, यह नहीं होना चाहिए। यह मेरी प्रार्थना है। मंत्री महोदय मरुखंड से आये हैं और बड़े सज्जन हैं। मुझे विश्वास है कि ये पुराने दल दल, कीचड़ को साफ करने में दृढ़ रहेंगे इसी आश्वासन के साथ मैं मेरे कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।"

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह—मैं, मेरे कटौती का प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ।

श्री शम्भूसिंह—भीलवाड़ा जिले में सहाड़ा, रायपुर के विभिन्न गांवों में चिकित्सा और औषधियों का समुचित प्रबंध करने के सम्बंध में तजवीज है, इसलिये मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री शम्भूसिंह—मैं अपना कटोती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री गौरीशंकर आचार्य ।

श्री गौरीशंकर आचार्य—माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय ने आयुर्वेद के बारे में जो कुछ कहा उस संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि आयुर्वेद के प्रति जो सरकार की नीति है, उत्साहवर्धक तो है लेकिन मैं यह चाहता था कि सरकार आंकड़ों से साबित करे कि इसका विस्तार बढ़ाया जा रहा है । सरकार की जैसी नीति है उसके अनुसार उसका आचरण हो तो अच्छा है लेकिन जो कुछ कहा गया उसके आधार पर मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री गौरीशंकर आचार्य—मैं अपना कटोती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—श्री कस्तूरचंद ।

श्री कस्तूरचन्द—माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में शांतिपूर्वक बताया उसके लिए हमें संतोष है और मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे कटोती प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री कस्तूरचन्द—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री भैंरू सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुदयाल।

श्री प्रभूदयाल—अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव में दो बातें विशेष थीं। एक तारानगर अस्पताल में चार बेड्स की और कमरा बढ़ाने की थी, और दूसरी टी. बी. होस्पिटल के बारे में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बता दिया कि ४०० बेड्स बढ़ा रहे हैं लेकिन तारानगर के लिए इतना एश्योरेन्स नहीं दिया कि इसमें इतने बेड्स बढ़ा देंगे तो मुझे संतोष हो जाता। लेकिन फिरभी यह कमी माननीय मंत्री जी के ध्यान में आगई है इसलिए मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री प्रभूदयाल—मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरवलाल।

श्री भैरवलाल—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री भैरवलाल को अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री भैरवलाल—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री श्रीदास गोयल—मैं भी अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्रीश्रीदास गोयल को अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री श्रीदास गोयल—मैं अपना कटोती का प्रस्ताव लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो ६ कटोती के प्रस्ताव श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

कटोती के प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि कटौती का प्रस्ताव जो श्री भैरूसिंह लाचिरियावास ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो मांग मेडिकल विभाग के बारे में श्री बद्रीप्रसाद गुप्त ने रखी है स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(करतल ध्वनि)

[श्री अध्यक्ष]

शेष मांगों पर मत-दान

अब गुलेटीन लगाकर सब मांगें एक साथ ली जाती हैं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ४०-कृषि के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ६०, ४०, ८०० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,१०,०८,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २९-पुलिस के संबन्ध में ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३,०१,०८,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत

[श्री अध्यक्ष]

के संबन्ध में ३१ मार्च, १६५७ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ६४,२०,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७१-कृषि सुधार व अन्वेषण परियोजनाओं पर पूंजी की लागत के संबन्ध में ३१ मार्च, १६५७, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ७,००,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निर्वाह निर्माण कार्य वाणिज्य के संबन्ध में ३१ मार्च, १६५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ८,६२,२८,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३७, मुख्य शीर्षक ८१- विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबन्ध में ३१ मार्च, १६५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,८६,६१,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकर की गई।

(विराम)

Page No 73

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक-राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम धन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २,७१,३८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६३-ख सामुदायिक विकास योजनाओं आदि के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,४०,४०,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५६-लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमान् राजप्रमुख को ४०,५०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४७-विविध विभाग के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,०६,६४,००० रु० तक की राशि प्रादान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १५ ९५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू राजस्व के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २,८४,१७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे,

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक ८-राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमान् राजप्रमुख को ३०,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ९-स्टाम्प्स के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २,८८,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०- वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ४३, ६३,००० रु० तक की एक राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक ११-पंजीयन के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,५८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६, मेजर हेड १२-मोटर गाड़ी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २१,६१००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७, मुख्य शीर्षक १३-अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३७,३२,००० रु० की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ८, मुख्य शीर्षक १७-सिंचन निर्माण कार्य आदि के संबंध मे ३१ मार्च, सन् १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ५६,८०,००० रु० की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार हुई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक, २७-न्याय प्रशासन के संबंध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमान् राजप्रमुख को ३२,८८,००० रू० की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २८-कारागृह तथा वन्दी बस्तियों के संबंध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २६,१२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३९ जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ५७,०९,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार हुई।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४० का—ग्राम विकास के संबंध में ३१ मार्च, सन् १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन राजप्रमुख को १,०१,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ४१—पशु चिकित्सा के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३७,२७,००० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत).

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ४२—सहकारिता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १८,२१,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ५१ ख—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के संबंध में अन्य राजस्व व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जानेवाले व्ययके निमित्त श्रीमान् राजप्रमुख को २१,६१,००० रू. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३१,०१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५४ ख—भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १२,३६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५५—अधिवार्षिकी भत्ते और निवृति वेतन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ५२,४८,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७२-औद्योगिक विकास पर पूंजी को लागत के संबंध में ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १८,२३,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

Page No 79

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी लेखे के संबंध में ३१ मार्च, सन् १६५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३,४१,१६,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ८२-राजस्व लेखे से बाहर राज्य के अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के संबंध में ३१ मार्च, १६५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ५,७१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ८३-निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान के संबध में ३१ मार्च, १६५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ६०,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ८७-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १६५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ६,५०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६५६ (पुरःस्थापन, विचार विमर्श एवं पारण)

बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या इसके लिए सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ विराम के अनन्तर)

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६५६, विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या वित्त मंत्रीजी कुछ समझायेंगे नहीं ?

श्री अध्यक्ष—समझते हुए तो १५ रोज हो गये हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—There is a hankering for speaking.

श्री भैंरूसिंह (डि० नं० १६)—माननीय अध्यक्ष, माननीय वित्त मंत्री जी ने राजस्थान का सन् १६५६-५७ का आय व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के बाद विनियोग विधेयक इस सदन के सामने स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया। किसी भी सरकार का बजट जिस समय सदन के सामने विचारार्थ आता है उस समय इस बात की परंपरा है कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस बजट के विषय में और इस बजट के कारण से राजस्थान में या किसी भी प्रान्त में जिसका कि बजट प्रस्तुत किया गया है, उसकी आमदनी और उसका खर्च इस विषय के अंदर अलग-अलग मदों के बारे में, जो असर पड़ेगा, उस पर अपनी राय प्रकट करें, मैं समझता हूं अलग अलग विषय पर अलग-अलग मदों के बारे में जो असर पड़ेगा उस पर अपनी राय प्रकट करने का समय कटमोशन्स द्वारा या बजट की जनरल डिबेट पर सारा समाप्त हो गया। लेकिन इस बजट के विषय में मुझे थोड़ी सी बातें अर्ज करनी है और मैं

[श्री भैरूसिंह]

समझता हूँ इस एक बात के कारण इस बजट को स्वीकार करने के पूर्व हमें एक बार फिर विवश होना पड़ेगा। हम एक बार और सोचें इसे स्वीकार करने से पूर्व।

बजट के दूसरे पेज पर एक रुपया बनाया गया है, उस रुपये के ऊपर लिखा है। इस रुपये का मतलब राजस्थान की आमदनी और खर्च से है। इस पर लिखा है, वेअर इट कम्स फ्रोम। यह गोल चक्र बनाकर अलग अलग मद एक रुपये में विभक्त करके बताया गया है, कि सरकार की आमदनी एक रुपये के हिसाब से कितनी कितनी किस किस मद में है।

यदि इस गोल चक्कर को उठा कर देखें तो उससे हमें पता लगेगा कि लेन्ड रेवेन्यू की आमदनी ३ आ.६ पा. है। बाकी की सारी जितनी आमदनी है उस आमदनी में २ आ. ६ पा. के अलावा सारी आमदनी है, वह जनता के ऊपर लेन्ड रेवेन्यू के अलावा टेक्सेज की आमदनी है। आज आप एक तरफ तो ऐसा कहे कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा देश है, हमारा देश कृषि प्रधान होने के कारण हमारी आमदनी का मुख्य स्रोत लेन्ड रेवेन्यू ही हो सकता है। लेन्ड रेवेन्यू से जितनी हमारी आमदनी है वह इस बात का आधार हो सकती है कि राजस्थान के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है? यह इस एक रुपये के हिसाब को देखें तो हमें पता चलेगा कि लेन्ड रेवेन्यू की आमदनी ३ आ. ६ पा. और बाकी की १२ आ. ३ पा. दूसरे टेक्स जिसमें से २ आ. ६ पा. अलग निकाल दिये जायं, १० आने फी रुपया जनता पर टेक्स की आमदनी है मैं समझता हूं यह जनता पर विशेष प्रकार का बोझ है। इस बोझ को हल्का करने के लिये चाहिये तो यह था कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें प्रदान करते। बदकिस्मती से इस बजट के अन्दर लाखों रुपये की टेक्सेशन लगाने की योजना बनी है। इसका आधार राजस्थान सरकार ने यह माना है कि हम समाजवादी रचना की ओर प्रगति कर रहे हैं। बद किस्मती से आज हम बजट के प्रत्येक प्रस्ताव को अच्छी तरह उथल पुथल कर देखें तो हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जिसे हम यह कह सकें कि हम समाजवादी समाज की रचना की ओर प्रगति कर रहे हैं। वेतन वृद्धि की चर्चा यहां पहले ही काफी हो चुकी है मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता लेकिन इतना जरूर कहूँगा इस वेतन वृद्धि से राजस्थान में किसी भी व्यक्ति को किसी भी सदस्य को, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, किसी को भी सन्तोष नहीं है। कोई भी यह नहीं मान सकता कि वेतन वृद्धि में समाजवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसी प्रकार टेक्सेज के बारे में भी किसी को सन्तोष नहीं है। आज हम शिक्षा के ऊपर अध्यापन कार्य के ऊपर टेक्स लगा रहे हैं, एग्रीकलचर इनकम टेक्स की दरों को बढ़ा रहे हैं इस प्रकार से लिटीगेशन के रूप में जो छोटे छोटे मुकदमे पड़ते हैं उनसे गरीबों के ऊपर टेक्स का बोझ ज्यादा बढ़ रहा है। छात्रों के ऊपर स्कालरशिप का टेक्स बढ़ेगा जिससे गरीब लोग जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है, उससे भी उसी प्रकार शिक्षा शुल्क लिया जायगा। टेक्सेज में ज्यादा आमदनी वाले लोगों का ध्यान नहीं रखा गया, इनकम टेक्स एग्रीकलचर इनकम टेक्स आदि से

Page No 82

[श्री भैरूसिंह]

आमदनी की बातें हमने इस बजट के अन्दर की हैं। इससे यह पता चलता है कि बड़े आदमियों पर छोटे आदमियों की अपेक्षा टेक्स का भार कम पड़ा है। हमें चाहिये तो यह था कि इनकम टेक्स एग्रीकलचर इनकम टेक्स, इक्वल बेसिस पर लगाते। टेक्स लगाने में जिस मनोवृति को प्रोत्साहन दिया गया है वह ठीक नहीं है इसमें तो होना यह चाहिये था कि ज्यादा आमदनी वाले लोगों पर ज्यादा टेक्स लगे और कम आमदनी वाले लोगों पर कम टेक्स। उनका स्टेंडर्ड उतना ही ऊंचा बढ़ा दें ताकि लेवल बराबर हो जाय। राजस्थान की बदकिस्मती से राजस्थान में इस प्रकार का बजट आया जिसमें कई चीजें नहीं, गरीबों को ज्यादा सहायता देने उसके अभावों को दूर करने आदि के संबंध में किसी प्रकार की योजना नहीं। इसमें बड़े व्यापारी और बड़े आदमियों को सहूलियतें प्रदान की गई हैं। इन चीजों को समक्ष रखते हुए जिस बजट के अन्दर मूल आधार मूल श्रोत आमदनी का रेवेन्यू का ३ आ. ६ पा. है और बाकी की आमदनी १३ आ. दूसरे टेक्सेज हैं, वैसी सूरत में इस सदन के द्वारा पास करने लायक मैं यह बजट नहीं मानता और न यह शोभा की चीज है कि रुपये पर १३ आना टेक्स राजस्थान की गरीब जनता पर लागू करने के लिये हम कतई तैयार नहीं। इसलिये मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि इस १३ आने टेक्स वाले इस बजट को पारित नहीं किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय पर बोलना चाहता हूँ; मुझे कट मोशन पर भी नहीं बोलने दिया गया। जो आज राजस्थान सरकार का बजट पास हो रहा है उस बजट में घाटा बताया गया है, बनिस्पत घाटा बताने की इसमें आमदनी बतादी जाती तो ज्यादा ठीक रहता। जब से राजस्थान बना था उस वक्त पुरानी स्टेटों का करीब १६ करोड़ रुपया इस राजस्थान सरकार के पास आया, वह १६ करोड़ रुपया भी हम खर्च कर चुके और उसके बाद भी घाटा बताया जाता है। इस घाटे के बजट का कारण यह है कि आज राजस्थान में जितनी भी पंचवर्षीय योजना बनती हैं और दूसरी ओर एज्युकेशन मेडिकल और हैल्थ की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिये उतना नहीं दिया जाता और दूसरे दूसरे काम किये जाते हैं। उनकी बदौलत आज जनता को राजस्थान के भू-गर्भ में इतनी सम्पत्ति पड़ी हुई हैं जिससे बहुत सी इन्डस्ट्रीज चल सकती हैं उस ओर राजस्थान सरकार का ध्यान नहीं जाता। उस सम्पत्ति को काम में लगाकर हम राजस्थान की आमदनी को बढ़ा सकते हैं किन्तु उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, आज तो राजस्थान की जनता पर जितना ज्यादा टेक्स लगाया जाय उसी की ओर ध्यान जाता है। आज राजस्थान को इन चीजों को तरक्की की तरफ ले जा कर राजस्थान की जनता और टेक्स के बोझ को कम कर सकते हैं।

आज राजस्थान के अन्दर धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है मिनिस्टरों का खर्चा और दूसरे लोगों का एक एक महिने में दो दो बार ट्रान्सफर होना उनके टी. ए. डी. ए. का खर्चा रोजाना बढ़ता जा रहा है, मेरे अन्दाज से यह खर्चा करीब १ करोड़ का सालाना होता होगा। मैंने मुख्य मंत्रीजी से यह कहा था आप लोगों का ट्रान्सफर मत करिये जिस सर्किल के अन्दर जो लोग रहते हैं उनको वहीं रहने दिया जाय क्योंकि उनको दूसरी जगह जाने में जितना

[श्री भैरूसिंह]

खर्च पड़ता है वह सब सरकार पर ही पड़ता है। पुलिस के कर्मचारियों के तबादले, डाक्टरों के तबादले डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के तबादले, इनमें जितना खर्चा पड़ता है अगर उसको सरकार सोचे तो मैं यह मानकर चलता हूँ कि करीब एक करोड़ रुपये से ज्यादा खर्चा इसमें होता होगा। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को सोचें, यदि इस प्रकार से इन खर्चों को कम किया गया तो राजस्थान में जो डेढ करोड़ का घाटा है उसमें से एक करोड़ तो इस तरह से बच सकता है।

दूसरा टेक्स के बारे मेरा यह निवेदन है कि आज जो स्कूल के विद्यार्थियों पर जो टेक्स लगाया गया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि लड़कों के ऊपर पढ़ाई की फीस नहीं लगनी चाहिये। राजस्थान सरकार को यदि ये टेक्स लगाने ही हैं तो इनकम के आधार पर जो सरकार को इनकम टेक्स देते हैं उसी इनकम टेक्स के आधार पर फीस लगाई जानी चाहिये इसी से राजस्थान में सोशियल पेटर्न बन सकता है। हमें गरीब लड़कों की बिल्कुल फीस माफ करना देनी चाहिये उनका बेचारों का सुबह की रोटी है तो शाम की रोटी के लिये फिकर पड़ जाती है ऐसे लड़कों से हम क्या फीस लें यदि उन पर फीस लागू कर दी गई तो बेचारे आगे पढ़ने से भी वंचित रह जायेंगे। आज हमारे राजस्थान में ज्यादा लोग गरीब हैं वे कैसे पढ़ेंगे ? आज एक मजदूर को लीजिये जो रोजाना एक या डेढ़ रुपया कमाता है वैसे हम लोग जानते हैं, आज साधारण लोगों के पास पैसा नहीं हैं वे फिर पढ़ाई के लिये कहां से पैसा लायेंगे ? आज एक गरीब आदमी अपने बच्चे को मिडिल और मेट्रिक पास करा लेते हैं, क्योंकि फीस नहीं लगती अगर फीस लगने लग जायगी तो वे इससे भी वंचित रह जायेंगे। इसलिये मेरा यह कहना है कि शिक्षा पर किसी प्रकार की फीस नहीं लगाई जाय।

इसका कारण यह है कि माननीय चीफ मिनिस्टर साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, वे यह समझकर नहीं चले कि फीस किस पर लगानी चाहिये और किस पर नहीं। मैं बताऊं कि जिस आदमी पर इन्कम टैक्स ज्यादा लगता है, उसके लड़के से फीस ज्यादा ली जानी चाहिये। और जिस गरीब पर इन्कम टैक्स नहीं लगता उससे फीस भी नहीं ली जानी चाहिये। अगर ऐसा कर देते तो जनता का ज्यादा भला हो सकता था। इन्कम टैक्स के आधार पर ये फीसें होनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि डाक्टर वैद्यों की गांवों में जो उन्नति होनी चाहिये वह नहीं हुई।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—खतम कर दीजिये। बहुत बोल चुके आप।

श्री मुक्तिलाल मोदी—एक घन्टे का समय रक्खा और पांच जने बोलने वाले हैं। तो मै अभी तक बोला नहीं हूं। मुझे बोलने दीजिये। मैं आपको कहला दूं उन लोगों से कि वे अपना समय मुझे दे देंगे। आपको तकलीफ नहीं देंगे।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—आप अपना समय उनको दे दीजियेगा।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी—वे बोलेंगे नहीं, तो मैं कैसे दूंगा? पहले भी आपने नहीं बोलने दिया। राजप्रमुख के भाषण पर भी नहीं बोला। कट मोशन्स पर भी नहीं बोला। यह तो जरूरी है अब मुझे बोलने दीजिये। यह तो अब के आप माफ करो।।

(हंसी)

डाक्टर और वैद्य जो सरकार की नौकरी में हैं वे किसी से फीस न लें ऐसा रूल आप नहीं बनावेंगे तब तक गरीब लोगों का भला नहीं होगा। आप रूल बना दें कि एक पैसा भी फीस नहीं ली जावेगी। जैसे लेक्चरार, इन्जीनियर, और दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट के हैड लोग जब कि फीस किसी तरह की नहीं लेते हैं तो डाक्टर और वैद्य ही क्यों इस तरह की फीस लें। फिर ऐसा कानून बना देने में राजस्थान सरकार को क्या दिक्कत पेश हो सकती है? इससे जनता का भी भला हो सकता है। अगर आज आप ऐसा कानून नहीं बनाते हो तो राजस्थान में क्या सारे हिन्दुस्तान में दो साल पीछे पांच साल के बाद इस तरह का कानून बनाना पड़ेगा और जब तक इस तरह का कानून सरकार नहीं बनावेगी तबतक देश की उन्नति नहीं हो सकती क्योंकि डाक्टर और वैद्य लोभ के वशीभूत होकर दो रुपया वाले के यहां न जाकर पांच रुपया वाले के यहां जावेंगे। ऐसी हालत में राजस्थान की उन्नति कैसे होगी और गरीब जनता की उन्नति कैसे होगी?

दूसरी बात यह है कि आज राजस्थान के अन्दर........

श्री अध्यक्ष—दूसरी दूसरी ही बातें चलती हैं आपकी।

(घंटी एवं हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी—अच्छा तो तीसरी कह दूं।

(हंसी)

दूसरा कानून राजस्थान सरकार ऐसा नहीं बनावेगी कि जो शिक्षा संस्थाएं हैं और उनमें जो काम करने वाले हैं और जो औषधालय हैं, जिनको सरकार सहायता देती है और डाक्टर और वैद्य हैं सरकार की तरफ से वे लोग राजनैतिक कामों में भाग न लें और जबतक वे लोग राजनीति में भाग लेना बन्द नही करेंगे तब तक राजस्थान का भला नहीं हो सकता।

वे लोग आज सरकार से सहायता लेकर राजनैतिक कामों में एक गुट्ट को पूरी सहायता देते हैं, चुनाव में यह दूसरे कामों में। और मैं भी यह मानता हूँ। जबतक सरकार के तमाम

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

मुलाजिमों पटवारी, गिरदावर, मास्टर, वैद्य, या डाक्टर जो भी हैं उनके लिए राजनीति में भाग लेने से इन्कार करने का कानून नहीं बनेगा तबतक आज जो राजस्थान की हालत बनी ई हुहै; जैसेकल कौंसिल ऑफ स्टेट के वोट पड़े थे उससे ज्यादा हालत खराब हो सकती है , माननीय अध्यक्षजी, इस राजस्थान के अन्दर अगर कुछ उन्नति करना चाहते हैं........

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—अब आप ज्यादा बोल गये, कौंसिल ऑफ स्टेट की बात ज्यादा बोल गये।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी (जारी)—अभी साथ वालों का क्या हुआ ? माननीय अध्यक्ष जी, इस राजस्थान की उन्नति के लिये ये जो मैंने तीन चार बातें राजस्थान सरकार को, उसके माननीय मिनिस्टर साहब के सामने जो यहां बैठे हैं वही हैं वे बातें उनके दिमाग में आवेंगी तो राजस्थान सरकार की उन्नति होगी और उस देश की उन्नति होगी और वहां की जनता को खुशहाली मिलेगी। नहीं तो जैसे कानून राजाओं के शासन में और अंग्रेजों के जमाने में बने थे उन्हीं कानूनों के ढांचे के अनुसार चलेंगे और वही रूढ़ि पीटते रहेंगे तो राजस्थान की कैसे उन्नति होगी ?

दूसरी बात........

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—फिर वही दूसरी बात आ गई ?

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी—नहीं साहब, चौथी बात। माननीय अध्यक्षजी, जो असेम्बली में कानून बनाये जाते हैं जैसे बाल विवाह के हैं, नुक्ते के हैं और दूसरे टीनेन्सी कानून हैं, जमीन के कानून हैं, उन कानूनों का उधर बैठने वाले और इस सदन के दूसरे माननीय सदस्य जो हैं वे स्वयं पालन नहीं करेंगे और वे जबतक उनका पूरा पालन करके जनता के सामने अपना एक इस तरह का उदाहरण नहीं दिखावेंगे तो जनता उनका कैसे पालन करेगी ?

माननीय अध्यक्षजी, पुलिस के बारे में एक दो शब्द मुझे कहने हैं। इसके बारे में जो आज राजस्थान सरकार ने इतना रुपया बजट में रक्खा है वह तो बहस करने की बात है। परन्तु उन अधिकारियों के जो कि डाकुओं के द्वारा और दूसरे तरीके पर जो मारे जाते हैं, बाल बच्चों के लिए राजस्थान सरकार को एक कानून बनाना चाहिये जिससे सरकार उनको सहायता दे जैसा कि देवस्थान विभाग में है। अगर कोई आदमी मन्दिर की पूजा करता है और मर जाता है तो उनके बालबच्चों

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

के लिये हमेशा सरकार प्रबन्ध करती है इसी तरह से पुलिस के अफसरों के लिये भी कानून बनाना चाहिये। राष्ट्रपति से लेकर बड़े से बड़े

(हंसी)

अफसरों के लिये पूरी तरह से उनके बच्चों के लिये सरकार मदद करे।

(घंटी)

इतना कहकर समाप्त करता हूं।

श्री मानसिंह महार—बजट का सक्रिय विचार ....

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर, सर, यह विधेयक पर विचार हो रहा है पर इसकी कापी तो है नहीं हमारे पास।

श्री अध्यक्ष—अभी आप थे नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कापी मिलनी तो चाहिये, साहब।

श्री अध्यक्ष—मिल जावेगी विधेयक की कॉपी, धीरज रखिये।

श्री मानसिंह महार—एप्रोप्रियेशन विधेयक के तृतीय वाचन पर बोलते हुये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने हमारे समक्ष एक ऐसा बजट रखा है कि जिसने कांग्रेस के समाजवादी सिद्धान्त को उच्चतम शिखर पर पहुँचा दिया है।

यह सरकार बधाई की पात्र है और लोगों को इस सरकार के पीछे आंख मींचकर चलते हुये, हाथ उठाकर इस बजट को पास करना चाहिये क्योंकि इस बजट में समाजवादी पेटर्न का सच्चा लक्ष्य सामने रखकर और इसे हमारे सन्मुख प्रस्तुत किया गया है।

इसके बारे में अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा न बोलकर कुछ बातें जो कि हम पहले नहीं कह चुके हैं, उनकी ओर इशारा करना चाहूंगा।

राजस्थान के अन्दर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि ट्रान्सपोर्ट एक ऐसा विभाग है जो कि धांधलेबाजी से ओतप्रोत है। उसके अन्दर भी अगर मंत्री महोदय सोशलिस्टक पेटर्न लाने की कोशिश करेंगे तो पहले बजट के मुकाबले में अब के सुधार हुआ है उसी तरह शायद उसमें भी सुधार हो सकेगा। वह एक ऐसा विभाग है कि जिसके अन्दर आज्ञाएं दी जाती हैं

[श्री मानसिंह महार]

आर्डर इशू किये जाते हैं लेकिन वे आर्डर्स महज इस नियत से किये जाते हैं कि कुछ अफसरों के आदमियों को, कुछ बड़े तबके आदमियों को लाभ पहुँचा सकें और दीगर आदमी उससे नुकसान उठायें। इस तरह के आदेश दिये जाते हैं। उस विभाग में लारियां पास करते हुये सर्विस बस पास करते हुये एक कानून यह है कि एक के चेसिस बोडी पर बनी हुई लारियां न पास की जावें, लेकिन जिस समय मोटर पास करने का मामला आता है तो जो कुछ कृपापात्र लोग होते हैं उनके लिए लारियां पास करते समय यह एक के चेसिस वाली बात इग्नोर की जाती है, और कुछ आदमियों को जिन्हें परमिट नहीं देना होता है उन गरीबों की खातिर वह कानून अमल में लाया जाता है और उनकी लारियों को उस ग्राउन्ड पर डिसअलाऊ कर दिया जाता है। यह एक खास बात है। यह आशा देते हुए जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में २५ परसेन्ट बसें ऐसी हैं जो कि ट्रकों के चेसिस पर बनी हुई हैं। अगर इस प्रकार की बात है तो मैं यह कहूँगा कि सरकार को इस बात की ओर जरूर ध्यान देना चाहिये।

वह एक ऐसा विभाग है कि जिसके अन्दर परमिटों के अन्दर इतनी अव्यवस्था होती है कि जिससे आर. टी. ए. में खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार होता है इसी धूप के नीचे। वह एक ऐसा विभाग है कि जिसके अन्दर कि, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि परमिट देने के अन्दर इतनी गड़बड़ियां की जाती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं होती। वहां पर ऐसे आदमी मौजूद हैं कि एक आदमी का स्टेटस यह है कि उसको १००, १५० गाड़ियों के परमिट दिये जाते हैं। वह जिसको चाहता है उसको परमिट दिलाता है। इसके लिए इस जलेबी चौक में उनका नाम परमिट मेगनेट है। यह मसल है कि आप चले जायं और वह सिफारिश कर देते हैं तो परमिट मिल जाता है। वह सिफारिश किस तरह होती है, मैं नहीं जानता। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। हां, यदि मन्त्रीजी पूछेंगे तो मैं नाम बताने को तैयार हूं। यह वह मेगनेट हैं कि जिस तरह चुम्बक लोहे को खेंचता है उसी तरह आपकी पूरी आर. टी. ए. उनकी ओर खिंच जाती है और परमिट इशू हो जाते हैं। वह जिस गाड़ी का चाहते हैं परमिट दिला देते हैं। उसमें कोई चीज की जरूरत नहीं होती है। यह एक ट्रांसपोर्ट का छोटा सा नमूना मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत करा। इस विभाग के अन्दर की बदइन्तजामी पर ज्यादा न कहते हुए इतनी सी छोटी बात कह कर मैं, माननीय अध्यक्ष, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही गलत परम्परा है। इस विभाग के अन्दर धांधलियां हो रही हैं। उनके अन्दर ध्यान नहीं दिया गया तो जनता का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है।

दूसरा विभाग जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा वह है कृषि विभाग। यह एक ऐसा विभाग है कि जो ग्रामीण जनता के अन्दर घुसा हुआ है। यह विभाग हमारे जीवन और मृत्यु का विभाग है। अगर कृषि विभाग सही तरीके से काम करे तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूँगा कि राजस्थान की ६० प्रतिशत जनता का इतना लाभ हो सकता है कि और कोई राजस्थान का विभाग उतना फायदा नहीं पहुँचा सकता है। लेकिन इस विभाग के आंकड़े देखेंगे तो कहेंगे कि इस विभाग में ऐसी क्या बात है कि कुछ पार्टीक्यूलर क्षेत्र ऐसे मिलेंगे कि उन पार्टीक्यूलर क्षेत्रों

[श्री मानसिंह महार]

के अन्दर इस विभाग का विशेष ध्यान आकर्षित होता है और बाकी के क्षेत्र ऐसे मिलेंगे कि जिनको बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। यह विभाग किसानों के फायदे के लिए है लेकिन मैं दावे के, साथ कहता हूं कि इस विभाग में जितना रुपया खर्च होता है ५ प्रतिशत से ज्यादा किसानों के फायदे लिए कतई नहीं लगता है। यह मैं बिल्कुल फेक्ट अर्ज कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग के द्वारा बीजों का वितरण होता है उसके अन्दर पक्षपात है। बीज के लिये जो अनाज खरीदा जाता है उसके अन्दर पक्षपात है। इस विभाग के अन्दर मैं जयपुर डिस्ट्रीक्ट के लिये निवेदन करूंगा, कि कुछ पर्टीक्यूलर आदमी इस प्रकार के एजेन्ट के तौर पर बने हुए हैं कि जिस वक्त बीज खरीदा जाता है, गेहूँ आदि का तो वह उन्हीं आदमियों से खरीदा जाता है, दीगर आदमियों से नहीं। उन्हीं पर्टीक्यूलर आदमियों से बीज खरीदा जाता है, वितरण में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जो सरकार के ज्यादा कृपा पात्र हैं उनको सुविधा होती है। वे फौरन खरीद ले जाते हैं। वह आकर ले लेते हैं। लेकिन जो दूसरे ग्रामीण गांवों से आते हैं बीज के लिए वे सरकार में अर्जियां देते हैं तो उनके मार्ग में इस प्रकार के रोड़े अटकाये जाते हैं कि बीज के लिये एक दिन पड़े रहते हैं, दो दिन पड़े रहते हैं, तीन दिन पड़े रहते हैं। फिर वह देखते हैं कि इस प्रकार से पड़े रहे तो फसल ही नहीं होगी। इस लिये हमको तो जिस तरह से भी हो गांव में से ही बीज लेकर काम चलना चाहिये।

यह एक नमूना है इस विभाग का। इस विभाग का दूसरा नमूना है कि पहले जो हमें एग्रीकलचर विभाग में जो अच्छे पेम्फलेट दिखाई देते थे वह पेम्फलेट गांवों में बांटे जाते थे, लेकिन अब पेम्फलेट नाम की कोई चीज रही ही नहीं है इस विभाग में। अगर कोई पेम्फलेट होंगे तो मैं यह समझता हूं कि वह पेम्फलेट एग्रीकलचर के दफ्तर में पड़े रहते हैं या मंत्री जी के दफ्तर में ही बांटे जाते होंगे। मगर आम जनता में, जमुआ रामगढ और आमेर इन तहसीलों के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई पेम्फलेट कभी नहीं बंटा है। तो इस प्रकार की मैं बात एग्रीकलचर विभाग के बारे में कहना चाहता हूं।

मैं एक बात फिर इस सदन में दोहराना चाहता हूं वह इसी एग्रीकलचर विभाग के सिलसिले में हैं। वह है वेटरनरी विभाग। वेटरनरी विभाग का ऐसा हाल है कि, अध्यक्ष महोदय, कि इस डिपार्टमेंट में जयपुर डिवीजन को इतना इग्नोर किया गया है जिसकी कोई हद नहीं। जितना काम हो रहा है वेटरनरी का आज वह सब नागोर में और उधर ही हो रहा है। नागोर में बैलों की नस्ल बहुत अच्छी हैं इसलिए हो रहा है, या गायों की नस्ल बहुत अच्छी है इसलिए हो रहा है, लेकिन गायों और बैलों को कौन देखता है। लेकिन नागोर ने मंत्रीजी को चुनकर भेजा है इसलिए हो सब कुछ हो रहा है। बाकी के लिए यह कह दिया जावे तो अफसोस नहीं होगा कि और जगह इन कुर्सियों या

[श्री मानसिंह महार]

उन कुर्सियों पर बैठने वाले आ जाते तो अच्छा होता । नई वेटरनरी डिस्पेन्सरीज़ - जो खुल रही हैं उनका अगर कम्पेरीजन कर लिया जावे तो पता लगेगा कि जयपुर को कितनी कम मिल रही हैं। यह जयपुर के साथ अन्याय है । मैं आशा करूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये इस सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए, कि मंत्रीजी के द्वारा इस प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए ।

अब मैं पोलट्री फार्म के बारे में निवेदन करुंगा । मैं पोलट्री फार्म की बात को इसलिए ले रहा हूं कि आयन्दा वर्ष में इसमें सरकार बहुत पैसा लगाने जा रही है । लेकिन वह पैसा किस तरह से लगायेगी उसका मौजूदा जयपुर के पोलट्री फार्म का एक नमूना पेश करना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि यह कुर्सियां जिन पर कि मंत्री भाई बैठे हुए हैं वह किस प्रकार की हो गई हैं । यह समझ में नहीं आता है ।........

श्री अध्यक्ष—आपका दोष है ।

श्री मानसिंह महार—नहीं हमारे से तो दिमाग फिर ही जाता है ।

एक रोज मैं मंत्रीजी के पास चला गया । उनसे पोलट्री के बारे में बहुत देर तक बात की ! उन्हें एक कांक्रीट सजेशन दिया । सदन के अन्दर मंत्रीगण अकसर कहते हैं कि कोई कान्क्रीट सजेशन दें । मैंने उनको कहा कि जयपुर के अन्दर आप फर्टाइल एग्ज ६ आना अंडा बेचते हैं और नान फर्टाइल एग्ज़ तीन आने अंडा बेचते हैं । मतलब यह है कि आप लोगों को खाने के लिए ३ आने अंडा देते हैं और बच्चे निकाल कर नस्ल सुधार सकें उनको ६ आने अंडा देते हैं। यह पालिसी बहुत गलत है । फर्टाइल और नान फर्टाइल की पैदाइश में और खर्चे में कमीबेशी की बात नहीं है । वह एक ही तरीके से पैदा होते हैं । उसमें डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा खर्चे का प्रश्न नहीं है । लेकिन फिर भी मंत्रीजी को बताया और उन्हें मनाया कि इस प्रकार की हिदायत दी जाय । यह एक ज्यादती हो रही है । इस प्रकार से इस विभाग को कमर्शियल बेसिस पर नहीं चलाना चाहिए । यदि चलाना चाहते हैं तो उस विभाग से काम कराइये । वे कहते है कि सोचेंगे । सोचते सोचते उन्हे दो महिने तो होगये और उनके ब्रीडिंग का बेस्ट सीजन था वह भी निकल गया । (हंसी) अब तो आपका सोचना अगले वर्ष जब कुछ होगा तब देखा जायगा । जब तक चुनाव आजायेगा । क्या मालूम कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा और मंत्रीजी इतने दिन अपने दिमाग को उस ओर जरूर लगायेंगे और उसको क्रियान्वित कर सकेंगे या नहीं ? यह मैंने एक कान्क्रीट बात निवेदन करी है । मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें कुछ न कुछ करने की बात करेंगे ।

अब एक पासिंग रेफरेन्स मैं हमारे पुलिस विभाग का देना चाहूंगा । इस विभाग का सौभाग्य रहा कि कटोती प्रस्ताव पर बातचीत नहीं हो सकी । लेकिन इन तीन चार दिनों में श्री गोविन्ददेवजी के मन्दिर में जो चोरी हुई उसको सुनकर बड़ा भारी आघात पहुंचा । अध्यक्ष महोदय, आज जयपुर शहर में पुलिस का इन्तजाम किधर जा रहा है उसकी तरफ ध्यान देना है ।

[श्री मानसिंह महार]

जयपुर पुलिस का इतना बदइन्तजाम है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ कि अभी कहा जायगा कि चोरी हुए अभी तीन चार दिन ही हुए हैं, तफतीश जोरों से हो रही है, हम माल बरामद करालेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि जो माल ३-४ दिनों में भी बरामद नहीं हो सका वह चार साल में भी नहीं हो पावेगा। पिछले साल जयपुर में गोपीनाथजी के मन्दिर में ५० हजार की चोरी हो गई थी। भगवान के जेवरात तक चोर ले गये थे। भगवान के जेवरात चले जांय तो चले जांय। पर यदि किसी मंत्रीजी के घर में चोरी हो गई होती तो रात दिन एक कर देते, जमीन आसमान एक कर दिया जाता, लेकिन भगवान के मन्दिर में चोरी होती है तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सेकुलर स्टेट के नाम पर धर्म पर इस प्रकार का आघात करते हैं तो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। यही नहीं, एक और खिलवाड़ हुआ। हमारी सरकार ने देखा कि महन्तजी कहीं चीं चपड़ नहीं करें इसलिये महन्तजी से कहा कि महन्तजी और भाई आपस में लड़ते हैं इसलिए इस पर सरकार का कब्जा होना चाहिये और उस पर सरकार ने कब्जा कर लिया। सरकार के कब्जा करने से पहले वहां एक कामदार महन्तजी की तरफ से रहते थे ताकि व्यवस्था ठीक तरह से चलती रहे। सरकार के कब्जा कर लेने पर महन्तजी हाई कोर्ट में गये और रिट लाये कि कब्जा करना गैर कानूनी है। सरकार को अपना स्टेप रिट्रीट करना पड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि कामदार को निकाल दिया गया। आज वहां की अव्यवस्था चरम सीमा तक पहुंच गई है। कोई रोक टोक नहीं है, यदि वहां कुछ भी किया जाय! यदि आप हमारे धर्म स्थानों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं तो मैं आपको बधाई का पात्र नहीं मानता।

धार्मिक प्रसंग में एक छोटीसी बात और कहूँगा। जागीरों के मन्दिरों के बारे में सरकार लंबे चोड़े वादे करती है और कहती है कि हम जागीरदारों को ये सहूलियतें देंगे, वो देंगे। जागीर रिज्यूम किये डेढ़ दो साल हुए लेकिन वहां के मन्दिरों का अब तक कोई इन्तजाम नहीं हो सका। जागिरदार मंदिरों के खर्च के लिए कैश पेमेंट करते थे लेकिन जागीरें रिज्यूम होने के बाद उन मन्दिरों में भोग आदि का आज तक इन्तजाम नहीं हुआ है, यह बात यदि किसी सिक्खों के गुरूद्वारे या मसजिद में होती तो न जाने क्या क्या होता? हम हिन्दु सो रहे हैं इसलिए डेढ़ वर्ष से हमारे मन्दिरों का कोई इन्तजाम नहीं हो सका। मैं पर्सनली उच्चाधिकारियों के पास जाकर हाथ जोड़ता हूं कि मन्दिरों के लिए कुछ करो। मैंने खुद ने अपनी जागीर में ६ मन्दिर संभलाये थे। मैं वहां के पुजारियों को हाथ जोड़ कर और यह कह कर काम चला रहा हूं कि तुम पूजा आदि करते रहो, सरकार तुमको देगी और यदि नहीं देगी तो मैं अपने जेब से दूंगा। मैं आशा करूंगा कि सरकार इस बारे में शीघ्र घोषणा करेगी और हमारी भावनाओं की कदर करेगी। आपने हमारी जागीरें ली हैं, धर्म नहीं लिया है, आपको यह सोचकर चलना चाहिये। हमारे धार्मिक स्थानों की कदर करनी चाहिये और जो अन्याय हो रहा हो उसको दूर करके लम्पसम प्रोविजन करके पुराने १॥ वर्ष का पैसा दीजिये और फिर डिपार्टमेंटल कार्यवाही कीजिये। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो खतरनाक बात होगी। हमारी धार्मिक भावनाओं पर आप कुठाराघात नहीं कर सकते। यह एक बात हुई।

[श्री मानसिंह महार]

पुलिस विभाग के बारे में दूसरी बात मैं निवेदन करदूं अध्यक्ष महोदय, पिछली दफा मैंने कहा था कि जयपुर शहर में पुलिस विभाग की अव्यवस्था का मुख्य कारण यहां का डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट ऑफ पुलिस है। यह निश्चित बात है। मैं इसे दावे के साथ रिपीट करता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि जो कुछ यहां कहूं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिये और जिम्मेदारी के साथ ही कहता हूं, कि जयपुर शहर के डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट ऑफ पुलिस बदमाशों के साथ मिले हुए हैं। चोरियों में उनको निश्चित परसेन्टेज मिलता है। मेरी चोरी का माल बरामद हो चुका है। डेढ़ साल हो गया सदन के सम्मुख फिर कहना चाहता हूं कि एक भी पैसा मुझे नहीं मिला। तकदीर से फतहपुर में माल बरामद होगया लेकिन क्योंकि खुद इन्ट्रेस्टेड हैं, परसेन्टेज जो लिया था वापिस देना पड़ता है, होम मिनिस्टर साहब यहां उपस्थित नहीं है नहीं तो वे खुद सुन लेते, वित्त मंत्रीजी से आशा करता हूं कि वे कुछ फरमायेंगे।

वन विभाग अछूता रह गया है। आज राजस्थान में वन जिस तरह से काटे जा रहे हैं उस तरह से कटते रहे तो बड़ा भारी नुकसान होगा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम नये वृक्ष लगा रहे हैं और दूसरी तरफ होता क्या है कि १०० रू. में या २०० रू. में लेकर हजारों रुपयों की कीमत का वन बेच दिया जाता है और राजस्थान में हजारों वृक्ष काटे जाने के कारण वन की कमी आ रही है, यदि आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो देश को बड़ा भारी नुकसान होगा। आप ऊंची से ऊंची तनख्वाह दीजिये, बाहर से कर्मचारी बुलाईये लेकिन वन को इस तरह नष्ट मत होने दीजिये। इस विभग में भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा हैं। मैं आशा करता हूं कि इस ओर आप ध्यान देंगे।

एक बात वित्त मंत्रीजी से मैंने कही थी, उनको उस दिन बताया था और मै जानता हूं आज भी गोलमाल करेंगे। रामनारायण यादव मंत्रीजी के कृपा पात्र हैं। जयपुर जू में उन्होंने उनको रखा। मैंने इस बात का स्पेसिफिक तौर पर ध्यान रखा है? मंत्रीजी में यदि हिम्मत हो तो कहेंगे कि उनको जयपुर जू में रखने के बाद उन्होंने एल. एल. बी. का इम्तिहान दिया या नहीं यदि दिया है, तो उनके खिलाफ क्या आपने कोई एक्शन लिया है। मैं आशा करता हूं कि ८ दिन का समय देने के बाद भी आज गोलमाल नहीं करेंगे। मुझे चंद बातें और कहनी हैं। समय ज्यादा हो गया हैं और बहुत से लोग उत्सुक हैं इसलिये मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा। मुझे खासकर के ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ कहना है, वहां जो गड़बड़ियें हो रही हैं, ठीक तरह से काम नहीं हो रहा है, यदि ये ठीक नहीं हुई तो राजस्थान के हित में बहुत खराब बात होगी।

एक बात और कहना चाहता हूं ट्रान्सपोर्ट के सिलसिले में। लोगों की धारणा होगी कि या तो मेरे किसी सिफारशी का परमिट कैंसिल हो गया होगा या उसकी गाड़ी पास नहीं हुई होगी। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने आज तक ट्रान्सपोर्ट विभाग में पांव तक नहीं दिया है हालांकि कर्नल बहुरन सिन्हा मेरे खास मिलने वाले हैं फिर भी मैंने वहां जाकर पैर

[श्री मानसिंह महार]

नहीं दिया है। परमिट की लेन देन और सौदाबाजियों के किस्से से मैं हमेशा दूर रहा हूं फिर भी मै जानता हूँ कि इस में रिश्वत का बोलबाला है, पूंजीवाद है, पैसावाद है। मैं आशा करता हूं कि इस विभाग को ठीक करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस ट्रान्सपोर्ट के महकमे को तोड़ दीजिये और जिस प्रकार से पहले काम होता था उसी तरह से होने दीजिये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तोड़ने से काम आज की बनिस्पत ठीक ढंग से चलने लगेगा।

आखिर में मैं सरकारी कर्मचारियों के वेतन के बारे में कहना चाहूंगा। हम यह चाहते थे कि वेतन के मामले में समाजवाद आये। ऊंचे से नीचा लाया जाय और नीचे से ऊँचा ले जाया जाय, लेकिन हुआ उल्टा। सरकार ने सच्चा समाजवाद हमारे सामने रखा। गरीब चपरासियों सिपाहियों, और १००रू.से कम पाने वाले दूसरे कर्मचारियों में से किसी का १ रू. बढ़ाया किसी का आठ आने बढ़ाया और किसी को कुछ नहीं मिला। इससे इन कर्मचारियों को इमिजियेट रिलीफ कुछ भी नहीं मिला। उधर ऊपर वालों को और ऊंचे उठा दिये हैं और मोटे बना दिये हैं और यह कहा जाता है कि यह तो टेक्निकल स्टाफ है। मैं यह कहूँगा कि जिनके चारों तरफ से आमदनी का जरिया खुला था उनको आपने और ऊपर बढ़ा दिये। मैं यह कहूंगा कि हम गांव वालों का डाइरेक्ट संबंध आर. ए.एस वाले से है अगर आप उनको अच्छा वेतन देंगे तो वे लोग हमको अच्छा न्याय देंगे और जनता को इससे लाभ होगा और भ्रष्टाचार मिटेगा। मगर इस पर सारे मंत्री चुप हो गये जब कहा गया। जब छोटे वेतन पाने वालों के कर्मचारियों का जिक्र आया तो कहा गया कि फलां जगह से ज्यादा अच्छा कर दिया फलां जगह से अच्छा कर दिया, गया। मगर मैं आपको यह कहूंगा कि आप दूसरी जगह की बुराइयों को ही क्यों देखते हैं। वहां की अच्छाइयों की तरफ भी नजर डालें। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा है। आप उसके मुकाबले में अपना एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिये और देख लीजिय कि वह कैसा है। वहां पर कितनी निष्पक्षता से काम होता, है वह भी आप उसके साथ लीजिये। यहां पर जहां देखेंगे पग पग पर पक्षपात का बोल बाला है। मैं इस बात को चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अगर आप इसमें कोई सुधार कर सकते हैं तो करें लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप इसमें कोई सुधार नहीं कर सकते। यह तो गरीबों का गला दबोचना ही है और यह कहना कि फलां जगह कम वेतन है और हमने यहां पर ज्यादा वेतन कर दिये, यह एक उचित दलील नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप स्टाफ में एफिसियेन्सी लाना चाहते हैं तो दुबारा ग्रेडस को रिवाइज करें। डेमोक्रेटिक सरकार द्वारा कोई गलती हो जाय तो उस सरकार को उस गलती को अंगीकार करना चाहिये और कम वेतन पाने वालों को जितनी सहूलियतें दी जा सकें देनी चाहिये। मगर आप यह समझते हैं कि बहुमत हमारा है, यह बजट तो पास हो ही जावेगा और हमको तो इसका समर्थन करना ही पड़ेगा और फाइनेन्स मिनिस्टर यह समझते हैं कि एप्रोप्रियेशन बिल पास हो ही जावेगा चाहें इसमें कितनी ही खामियें क्यों न हो। लेकिन मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि अक्टूबर में मध्य प्रदेश में चले जावेंगे और हमसे उन लोगों का भला हो

[श्री मानसिंह महार]

सके तो करना चाहिये वर्ना छोटे तबके वाले लोग यह कहेंगे अच्छा हुआ चले गये हमारे पेट पर छुरियें चलाते थे। मध्य प्रदेश में मंत्री पद तो गया सो गया ही मगर एक कोने में रखे हुए होंगे और कोई नहीं पूछेगा। इस लिये आज आपको चाहिये कि कोई कांक्रीट बात रखें। मेरी तरफ बैठने वाले हैं उन्हें तो एन केन प्रकारेण इसका समर्थन करना ही है। वह बात कह कर मैं आशा करता हूं कि हम लोग की आलोचना को ध्यान में रखते हुए कुछ सुधार करेंगे। हम लोगों की आलोचना से ही कुछ सुधार हो तो बहुत अच्छा है। इतना कह कर मैं इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, आज हमारे इस विधान सभा के बजट का आखिरी दिन है और मैंने भी सोचा कि मैं भी दो चार शब्द इस पर कहूं। बजट के इस स्टेज पर बोलने के लिये बहुत कम आवश्यकता रह जाती है लेकिन क्योंकि हमारे मित्र इस लिये इस पर बोले हैं कि बहुत से मुद्दों पर डिटेल्स में कहने का उनको मौका नहीं मिला और इसी भावना से प्रेरित होकर मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि इस बिल के दायरे में कुछ कहने की गुंजाइस रही है। कन्वेन्शन्स के माफिक तो कोई बात रही नहीं है। लेकिन बहुत कुछ ऐसे मुद्दे रह गये जिसके बारे में डिटेल्स में जो बातें सरकार के सामने आनीं चाहिये थीं नहीं आ सकीं और ग्लोटिन से मांगे पास हो गईं। इस लिये मैं थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी हम लोगों के सामने जो वेतन के ग्रेड्स का वादविवाद हुआ है उस पर शुरू से जब राजप्रमुख का भाषण हुआ था तब से लगा कर आज तक इस सदन में इस पर काफी कहा जा चुका है और ट्रेजरी बैंचेज की तरफ से जो कुछ कहा गया उससे पता लगता है कि उनके दृष्टिकोण से जो कुछ उन्होंने किया वह काफी पाया और दूसरी रियासतों में छोटे मोटे कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है उससे किसी तरह से कम नहीं दिया गया बताया। हम लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, हम लोगों की ऐसी सलाह है कि छोटे कर्मचारियों के लिये वेतन वृद्धि नहीं के बराबर है। इसके अलावा मैं अपने मित्र फाइनेन्स मिनिस्टर से यह कहूंगा कि यहां जितनी नियुक्तियों पर वाद विवाद हुआ है उससे मेरे खयाल से कुछ ऐसे कर्मचारी और अधिकारी रह गये हैं जिनके लिये कुछ भी नहीं किया गया और जैसा पहले थे वैसे के वैसे हैं। मैं नहीं समझता कि जानबूझ कर उन्हें छोड़ दिया गया है या गलती से उनके प्रश्न रह गये हैं। मैं खास तौर से उन अधिकारियों के बारे में कहना चाहूँगा कि जो टेक्नीकल स्टाफ है जैसे फोटोग्राफर, ड्राफ्टस मन, आर-टिस्ट आदि २ जो जो ग्रेड सदन के सामने रखें हैं और उन पर सरकार की ओर से स्पष्टिकरण किया गया है लेकिन इन टेक्नीकल स्टाफ के बारे में मुझे कहीं पर भी कुछ देखने को नहीं मिला जिसका खास तौर से मैंने जिक्र किया है। अगर आया है तो मैं जानना चाहूँगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उनको इसी तरह से छोड़ना है या उनमें वेतन वृद्धि और ग्रेडस बढ़ाना है? जब से इन्टीग्रेशन हुआ तब से उपर और नीचे वालों के ग्रेडस फिक्स हो गये और ये लोग रह गये। इसके लिये मैं स्पष्टिकरण चाहूंगा कि यह क्या बात है?

[कुं० श्री जसवन्त सिंह]

दूसरा विषय जिस पर कि मैं निवेदन करना चाहूंगा वह है आबकारी, कि हमें ऐसा कहा गया और बताया गया है कि हम समाजवादी ढांचे के अनुसार कार्य कर रहे हैं जैसा कि कांग्रेस द्वारा मंजूर किया गया है और सोशियल पेटर्न कायम करना चाहते हैं। मैं तो कांग्रेस में नहीं हूं और न आशा ही करता हूं कि कांग्रेस में जाऊं और न कांग्रेस में होने के योग्य योग्यता रख सकता हूं क्यों कि मैं इतने गुण प्राप्त नहीं कर सकता जितने की कांग्रेस मेन के लिये होने जरूरी हैं इसलिये मैं तो अपने आपको कांग्रेस में होने के अयोग्य समझता हूं। फिर भी मैं यह समझ नहीं सका कि आप सोशियल पेटर्न कायम करने जा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति कोमन सेन्स से देखे तो वह इसका मतलब यही लेता है कि सोशियल पेटर्न में छोटे को अवसर हर काम में बराबर मिले और बहुत गरीब और बहुत अमीर में फर्क नहीं रहे। अगर ज्यादा धनवान हो उसकी आर्थिक स्थिति उनको कम की जावे और ज्यादा गरीब हो उसकी आर्थिक स्थिति सुधारी जावे। इसका मतलब यह होता है। इसके लिये मुझे ऐसा सुनने में आया है कि फर्स्ट अप्रेल से होटल व रेस्टोरेन्टस में शराब बन्दी के मुतालिक अंग्रेजी शराब होटल और रेस्टोरेन्टस में किसी को नहीं दी जाए।

श्री अमृतलाल यादव—अंग्रेजी और देशी शराब सब के लिये है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि होटल और रेस्टोरेन्ट में कौन लोग जाते हैं, किस प्रकार के आदमी जाते हैं और वहां किस प्रकार की शराब दी जाती है। आप जब दूसरी ओर शराबबन्दी करना चाहते हैं, आप गरीब आदमियों को फिजूलखर्ची से रोकना चाहते हैं, तो आपके सामने आर्थिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण सामने रखना होगा। पहले हमें यह सोचना चाहिये कि प्रोहिबिशन कहां से शुरु करनी चाहिये? इससे जिन लोगों की ज्यादा हानि होती है वह लेबर क्लास है जो शराब पीने के आदी होते हैं, पैसा ज्यादा खर्चा करके अपने जीवन को ऊंचा उठाने के बजाय अध: पतन की ओर अपने को लेजाते हैं, उन लोगों के लिये हमें प्रोहिबिशन लागू करना चाहिये। अगर हम समाजवादी सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो हमें इस प्रोहिबिशन को भी वहीं से शुरु करना पड़ेगा। आज शराब की ऐसी दुकानें हैं जहां हजारों रुपये की रोजाना शराब बिकती है। हजारों गरीब आदमी यहां तक उनको जितना भी वेतन मिलता है, आप कृपा कर जाकर देखें उन दुकानों को तो आपको पता चल जायगा कि किस प्रकार मजदूर वर्ग अपनी कमाई का पैसा किस प्रकार बेखबर होकर खत्म कर देता है, फिर चाहे उनके पीछे जो स्त्री बाल बच्चे हैं उनकी चाहें कुछ भी हालत हो वह चाहे भूखों मरे किन्तु वह अपनी सारी की सारी तनखा इस शराब खोरी में फूंक देता है। जिनको अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिलते, शिक्षा का स्तर ही कहां ऊपर उठेगा जहां खाने और पहनने को नहीं वहां शिक्षा की बात तो दूर रही। अगर हम सच्चे मायने में समाजवादी सोसायटी बनाने चाहते हैं तो हमें इस कदम को भी वहां से उठाना चाहिये। होटलो और रेस्टोरा में गरीब आदमी तो जाता नहीं वहां मामूली शराब तो आती नहीं इम्पोर्टेड लिकर आती है। मेरे जैसा आदमी जो नीरोज में जाकर खाना खायगा तो पहले तीन चार पेग व्हस्की के पीयेगा ही यदि इस प्रकार जाकर मैं खर्चा ज्यादा भी कर देता हू तो उस खर्चे को बरदाश्त कर सकता हूँ। एक गरीब आदमी

[कुं० श्री जसवन्त सिंह]

जो महीने भर की कमाई एक दिन में शराब में फूंक देता है, डेलीवेज पर काम करने वाले मजदूर जब उनकी सटरडे नाइट होती है तो उनका क्या हाल होता है यह तो आप उन दुकानों पर जाकर ही देख सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि यह जो स्टेप लिया गया है न तो उसमें सरकार को ही किसी प्रकार का फायदा है, आर्थिक दृष्टि से है। लेकिन हम जिनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिनकी खराब आदतों को सुधारना चाहते हैं, वे इस तरह से नहीं सुधर रही हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको तो इस बात की कहने की आवश्यकता नहीं, उनको तो आप बन्द करने के लिये तैयार होगये हैं मैं यह पालिसी गलत समझता हूं। प्रोहीबिशन के तौर पर जिस प्रकार कलकते में हफते में एक दिन दुकानें बन्द रहती हैं उन्होंने एक दिन मुकर्रर कर रखा है कि वृहस्पतिवार को खुले आम शराब नहीं मिल सकती। दिल्ली में मगलवार को शराब नहीं मिलती। अगर हमें भी इस ओर कदम बढाना है तो व्यवहारिक तौर पर कदम रखना चाहिये केवल एक स्लोगन के रूप में सुधार करना चाहें तो मैं उसे समाजवादी सोसायटी नहीं कह सकता। इससे गरीब लोगों को किसी प्रकार फायदा नहीं पहुँचेगा। यह जो स्टेप लिया गया है, मैं उसे गलत समझता हूँ। मैं समझता हूं इस बारे में माननीय वित मंत्री स्पष्टीकरण करें तो यह ज्यादा ठीक रहेगा।

एक विषय और है अध्यक्ष महोदय, जिसका संबन्ध मेरे माननीय मित्र पंड्याजी से है। मैं उनसे जाना चाहता हूं, उनके महकमें के बारे में थोडा सा कुछ लोगों में असन्तोष है वह है माईन्स के मुतल्लिक, जैसा कि यह आपको विदित है कि नीबला आयरन ओर का प्रोस्पक्टिंग पिछले तीन चार साल से सरकारी महकमें द्वारा किया जा रहा था, हाल ही में यह तय किया गया कि इसका प्रोस्पक्टिंग से दिया जायगा। १५।१०। ५५ को माइनिंग डिपार्टमेंन्ट द्वारा आवेदन पत्र आमन्त्रित किये और उसके मुताबिक कई एप्लीकेशन्स आई। जैसा कि मुझे खयाल है कायदे के माफिक रूल नंबर ३२ ए मिनरल रूल्स के मुताबिक यह है कि जिसकी प्रायरिटि एप्लीकेशन आयगी उसी तरह से विचार किया जायगा। लेकिन एक मिसाल जयपुर मिनरल सिन्डीकेट ने एप्लीकेशन समय के निकलने के बाद दी और जैसी मेरी जानकारी है उसके अनुसार मैं यह रखना चाहता हूँ उनकी एप्लीकेशन दो दिन के बाद में आई फिर भी सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट को रिकमन्ड की गई और उन्हीं की एप्लीकेशन को रिकमन्ड किया गया आपके डिपार्टमेंन्ट की ओर से। और यहांतक भी सुनने में आया है कि केन्द्रीय सरकार की अभी तक स्वीकृति भी नहीं आई है फिर भी इस जयपुर मिनरल सिन्डीकेट ने वहां पर कार्य करना भी शुरु कर दिया, यह गलत है तो मुझे कुछ कहना नहीं लेकिन अगर सही है तो इसमें बहुत कुछ सुधार करने की बात है। यह ऐसी बाते हैं जिनसे रूल्स और नियमों की पाबन्दी नहीं होगी तो जनता में असन्तोष फैलेगा ही।

इसके आलावा एक विषय और रह गया है जिसके विषय में भी निवेदन कर देना उचित समझता हूं। हमारे यहां डिस्टिंग्विश विजिटर्स जो आते हैं वे हमारी सरकार के अतिथि समझे जाते हैं, जिन पर सरकार द्वारा ही खर्च होता है। उनके लिये जो प्रबन्ध यहां हमारे यहां होता है उसमें बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। खास तौर से एक सवाल के जवाब में मैंने एक

[कुं० श्री जसवन्त सिंह]

सप्लीमेंटरी किया था कि हमारे यहां हाल ही में बड़े रूसी नेता अतिथि आये थे, उन पर कितना खर्च हुआ। उस पर बताया गया कि करीब ढाई लाख रुपया खर्च हुआ है। मैंने जब यह सवाल पूछा कि भोज (Banquet) में कितना खर्च हुआ तो यह कहा गया कि वह तो राजप्रमुख द्वारा दिया गया था। उस पर मुख्य मन्त्री कुछ जवाब नहीं दे सके। मैं तहकीक तो नहीं कह सकता वह खर्चा किस पर पड़ा। जहां तक हम लोगों की जानकारी है यदि वह राजप्रमुख का निजी खर्च था तो हमें कुछ कहना नहीं लेकिन जब यह सरकार की तरफ से सब खर्च होता है और जैसा कि बताया गया कि वे गवर्नमेंट के अथिति थे तो यह बात ठीक है कि सरकार का ही खर्च हुआ होगा।। ऐसे अतिथि जो होते हैं उनका खर्चा सरकार पर ही रहता है अगर उसमें राजप्रमुख या गवर्नर को उस खर्च में शामिल किया जाय तो वह ठीक भी प्रतीत नहीं होता। जिम्मेवारी आखिरकार सरकार की आ जाती है कि उनका अतिथि सत्कार ठीक तरह से नहीं हुआ। अब मुझे बैंक्वेट के मुत्तल्लिक कुछ अर्ज करना है जो यह गवर्नमेंट की तरफ से खर्च हुआ वह सब इसलिये कि हमारे यहां बहुत बड़े अतिथि आये थे उनके सेवा और सम्मान में जो कुछ होना चाहिये वह सरकार द्वारा हुआ। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन कर दूं अगर कोई व्यक्ति किसी के यहां जोजन के लिये जाता है तो वह दो कारणों से जाता है। एक तो वह जाता है जो भूखा हो, दूसरा वह जाता है, जो मान सम्मान के लिये जाता है या प्रेम के वश जाता हो। इसी प्रकार का एक वर्णन महाभारत में मिलता है एक दफा श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों के बीच समझौता कराने के लिये गये तो वे जाकर विदुर के यहां ठहरे तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा आप विदुर के यहां क्यों ठहरे हैं, आपको हमारे यहां ठहरना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा मैं तो एक राजदूत की तौर पर आया हूं सो कहीं ठहर गया। आपके यहां तभी ठहरता या तो मैं भूखा मरता होता सो बात है नहीं या आपके दिल में प्रेम होता सो भी बात नहीं, इसी प्रकार यह जो बेंक्वेट हुआ उसके बारे में कहना चाहता हूं इस बेंक्वेट में बहुत से जयपुर के निवासियों को और बाहर वालों को बुलाया गया था। उसके लिये मैं कहूंगा कि जो लोग आये थे भूखे नहीं थे। वे अपने रूसी अतिथियों के सम्मान में आये थे और आशा करते थे कि उनके साथ भी आदर सत्कार का व्यवहार होगा।

इसके लिये मैं निवेदन करूं कि मेज पर बैठने के बाद में ४५ मिनट और एक घण्टे तक श्रीमन् राजप्रमुख और मुख्य महमान गायब। यहां तक कि मिसेज सुखाड़िया परसनल रूप से नहीं पर मुख्य मन्त्री की पत्नी के रूप में मिसेज सुखाड़िया से लेकर दूसरे जितने भी ४०—५० अतिथि थे वे अकेले मेज पर बैठे रहे और खाने की प्लेटें उनके सामने रख दी गई। पांच मिनट गुजरे, १० मिनट गुजरे, २० मिनट निकले, यहां तक कि करीब २ एक घण्टा गुजर गया और कोई लेना नहीं और कोई देना नहीं। और इसके बाद में जिनको वहां बुलाया जा रहा है और जो वहां प्रेम के लिये और मान के लिये गये हैं उनके साथ क्या बीती यह मैं बताता हूँ और उनके साथ जो वर्ताब किया गया वह अगर गवर्नमेंट का इन्तजाम था तो मुझे इसके प्रति सख्त ऐतराज है। और अगर गवर्नमेंट के इन्तजाम में राजप्रमुख ने कोई हस्तक्षेप किया तो इसके लिये भी ऐतराज है। हमें बीकानेर

[कु० श्री जसवन्त सिंह]

में खास तौर से अतिथि सत्कार का काफी मौका मिला है, और इस तरह के कामों के लिये बहुत बहुत मौके मिले हैं देखने के और स्वयं भी करने के। जयपुर में आज जिस तरह से बड़े बड़े अतिथियों को आना होता है उस तरह उस जमाने में हिन्दुस्तान के बड़े से बड़े अतिथि को बीकानेर आना पड़ता था। तो हमारी यह देखने की और करने की प्रेक्टिस रही है। तो यहां का मैं किस्सा आपको बता रहा था। आध घण्टे से ज्यादा समय तक अपने अपने स्थानों पर अतिथि बैठे थे, अपने अपने स्थानों पर उनके नाम लिखे हुए थे और नम्बर लिखे हुए थे और उनकी अपनी अपनी जगहों पर वैजीटेरियन और नान वैजीटेरीयज डिशें थीं और सब अपने अपने नाम और नम्बर के हिसाब से अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। आधा घण्टा करीब बैठे रहने के बाद बदकिस्मती यह होती है कि आधा घण्टे तक उनके सामने प्लेटें भी रक्खी रहीं पर महमान की अनुपस्थिति की वजह से किसी ने उन्हें छूआ नहीं, और बदकिस्मती से इसी बीच राजप्रमुख का स्टाफ आता है और कहता है कि आप यहां क्यों बैठे हो, किसने आपको यहां बैठने को कहा, यहां से हटिये। आपकेलिये यह ऊंचा स्थान नहीं है आपका स्थान नीचे है। ऐसी हालत में कौन भला आदमी होगा जो टेबल पर आवेगा। अपने यहां अजमेर के आये हुए महमान थे मुख्य मन्त्री महोदय और दूसरे मन्त्री बैठे थे। उनसे भी कहा गया कि आपको यहां बैठने को किसने कहा। उन्होंने कहा कि हमारे नाम और नम्बर यहां लिखे थे इसलिये बैठ गये हैं। तो उनको वापिस जवाब दिया गया कि यहऊंचा स्थान आपका नहीं है आपका स्थान नीचे है। और गनीमत यहीं तक नहीं रही। उनका हाथ पकड़ पकड़ कर ले जाया गया उनको पांच छः सीट नीचे। आपके मिनिस्टर महोदय श्री बद्रीप्रसाद जी को पकड़ कर दूसरी जगह ले जाया गया। और यह सब हुआ मेजों पर बैठने के आधा घण्टा बाद और शाह अलीमुद्दीन साहब भी नाम के हिसाब से बैठ गये थे उनको भी कहा गया कि इतनी ऊंची सीट पर क्यों बैठ गये, नीचे चलो।

अगर यह सरकार की पोजीशन थी और इस तरह का व्यवहार राजप्रमुख के यहां हो और सरकार इसमें इन्टरफीयर नहीं करे और राजप्रमुख पर सारा काम छोड़ दे, तो हमें इसमें सख्त ऐतराज है। यहां के सदस्यों की ही बात नहीं पर जो बाहर से आये थे उन हमारे महमानों के साथ भी इस तरह का अपमानजनक बर्ताव वहां किया गया।

राजप्रमुख रूसी मेहमानों को लेकर चले गये। मिसेज सुखाड़िया भी एक कौने में बैठी थीं और मुख्य मन्त्री दूसरे कौने में। यह कौन सी सभ्यता का काम है। मैं तो इसको सहन नहीं करूंगा। तो ये बातें मैंने सदन के सामने रखी हैं ....

श्री **अध्यक्ष**—एप्रोप्रियेशन बिल पर कही है ?

कु० श्री **जसवन्तसिंह**—इसलिये कही हैं कि इसका खर्चा पड़ता है सरकार पर। सरकार पर खरचा नहीं पड़ता तो इस मौके पर मुझे ये बातें कहने की जरूरत नहीं होती। राजप्रमुख के

Page No 98

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

खर्चे से यह काम हुआ तब तो माफी चाहता हूं। मेरे कहने का सवाल नहीं रहता। लेकिन स्टेट फन्क्शन में सब कार्य स्टेट के महमानों के प्रतिष्ठा के माफिक होना चाहिये।

अभी वन के मुतल्लिक कुछ बातें कहीं मेरे एक मित्र ने। और वन महोत्सव भी होते हैं। तस्वीरें और अखबारों में पब्लिसिटी सतर्कता से काम करती हैं। पौधे लगाने के समाचार बडे बड़े सुन्दर अक्षरों में और बड़े अच्छे अच्छे फोटोग्राफ में छपते है। पर मैं यह जानना चाहूंगा कि आखिर में यह खर्चा फोटोग्राफी में या पब्लिशिटी में ज्यादा लगता है या उन दरख्तों के लगाने में ज्यादा लगता है और यह भी जानना चाहूंगा कि आखिर वे दरख्त कहां लगे और कितने लगे? बीकानेर में तो खेजड़ी है या बंबालया है। वहां अगर देखें तो एक दरख्त बड़ा करने में जैसे बच्चे की परवरिश की जात है उससे ज्यादा परवरिश की जाती है। पर वहां वे ही सब दरख्त बड़ी बेरहमी से और बड़ी निर्दयता से काटे जा रहे हैं। डालियों से नहीं जड़ों से काटे जा रहे हैं। खेजड़ियों के ही वहां तो दरख्त हैं। वे सबसे मूल्यवान अगर कोई दरख्त हैं उनमें से दरख्त हैं और भी कई किस्म के जंगल में बड़ी मुश्किल से उगने वाले वृक्ष हैं, वे वृक्ष बेरहमी से काटे जा रहे हैं। अगर यही हालत रही तो मैं नहीं समझ सकता कि हमारे वन महोत्सव तो दूर रहे, मरुभूमि के ये अमूल्य दरख्त वहां की यह अमूल्य निधि खोकर उस मरुभूमि का क्या होगा यह सोचने की बात है।

तो इन शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि हम बजट तो पास कर रहे हैं और सभी रकमें भी स्वीकृति होंगी, पास भी होंगी पर ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिये कटोती के प्रस्ताव नहीं आ सके और जिन पर गिलोटिन लग गया। तो उन बातों को जो मेरी जानकारी में हैं ये कहां तक दुरुस्त हैं उन पर विचार करेंगे और ठीक करने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह जो बिल पेश किया गया है वह सदन द्वारा पास किया ही जावेगा इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम बजट को पास करने का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत हो चुका है।

वैसे तो अनुभव तो यह है कि जब बजट प्रोपोजल्स पेश होते हैं और इसके बाद अलग अलग मदों पर अलग अलग विभागों में चर्चा होती है तो कई बार सदन के माननीय सदस्यों के सुझावों के मुताबिक, पब्लिक ओपीनियन के मुताबिक परिवर्तन भी होता है। पिछले वर्ष केन्द्रीय बजट में कपड़े के सिलसिले में एक्साइज ड्यूटी का प्रश्न था। पर बाद में बहस के बाद केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने ऐलान किया कि सरकार इस प्रस्ताव को रद्द कर रही है। उसको संशोधन भी कर दिया गया। पर राजस्थान के बजट पेश करने वाले माननीय सदस्य में परिवर्तन होने के बावजूद यह परम्परा अलबत्ता कायम रही है और इस बार भी कायम है जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं वे के वे बगैर किसी तब्दीली और परिवर्तन के, जितनी बहस हुई, यह संभव है कुछ ज्यादातर नहीं समझ

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

में आई हों या ज्यादातर पसन्द नहीं आई हों पर यह विशेषता राजस्थान की रही है और आज भी मौजूदा वित मन्त्री उसे कायम रख रहे हैं कि जो प्रस्ताव बना लिये उनमें एक मद में, भी एक विषय में भी परिवर्तन करने की बात सोचने तक की शक्ति छोड़ कर फिर सदन में आते हैं और इस वजह से जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है वह यह बजट पेश होने के बाद से आज तक की बहस में कही गई सारी की सारी बातें जैसे चिकने घड़े पर पानी गिरकर चला जाता है बगैर ठहरे सारा का सारा वैसे ही, वे बहस की सारी चीजें चली गई ऐसा प्रतीत होता है। और इसलिये सम्भव है इसके प्रति भी इतनी देरी हुई। उन्होंने सोचा होगा कि बजट को पास वास करना है तो आप मानकर चलो कि पास करना है।

आज जब यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तब से विशेष स्थिति सी है। एक ओर अब यह बजट पास होने के नजदीक आया और दूसरी ओर तैयारियां चल रही हैं इस राजधानी में मन्त्रीगणों के संयोग से उनकी सलाह मशविरा से राजस्थान दिवस को मनाने की। राजस्थान दिवस आ रहा है। उस दिन वे इस प्रकार का आयोजन करेंगे अमुक अमुक प्रकाशन करेंगे, अमुक अमुक फन्क्शन मुकर्रर करेंगे और फैस्टीविटीज की तैयारियां चल रही हैं।

दूसरी ओर जब यह प्रस्तुत हो रहा है प्रस्ताव, उसी दिन ऐसी स्थिति है कि इस राजस्थान के बहुत बड़े शहर में १९ तारीख से आज पांचवां दिन है आम हड़ताल चल रही है। वहां के लोग एकाएक कारोबार बन्द करके, मैंने सुना है शायद कल बिजली विभाग के कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी और दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल होने की सोच रहे हैं, लाखों लोगों ने, वहां के रहने वालों ने, सरकार के एक अनुचित कदम का प्रतिकार करने के लिये एक हड़ताल का मार्ग अख्तियार कर रक्खा है। मेरा न सिर्फ साथ है लेकिन मेरी सहमति भी है। मेरा बस चले तो जब तक सरकार अपनी नीति न बदले तब तक इसी रास्ते पर चलने के लिए लोगों को राय दूं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। (हियर, हियर), क्योंकि मैं इस वजह से जिक्र नहीं कर रहा हूं कि यह एक घटना है। यह एक घटना नहीं है। यह इस बजट के रूप का प्रतिपादित स्वरूप है, एक पहलू है। जहां एक ओर फैस्टीविटीज की तैयारी हैं वहां उसके दूसरे पहलू से लोगों में एक हव्वा है कि हम पर एक बोझ बढ़ाया गया है। आज इस सदन में बैठकर यह पालिसी पास करते समय यह जोधपुर में नौबत आई है तो कल संभव है कि और जगह भी नौबत आयेगी। यह इस बजट की विशेषता है इसलिए उल्लेख किया है।

तो मैं यह अर्ज कर रहा हूँ कि दरअसल मैं किसी वजह से, पिछले दो दिन से जो रेडियो से समाचार प्रकाशित होते हैं उन पर भी सोचता हूं कि क्यों इन दो खबरों को एक साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा था। मैं नहीं समझता कि समाचार प्रसारित करने के लिए यह बात कही गई हो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

या वह अनायास ही हुई होगी। यह एक्सीडेंटल चीज नहीं हुई है। यह एक प्रतीक था जो कि बजट प्रस्तुत हुआ है उसका। वह एक प्रकार का उसका छायांकन है। जहां एक ओर उसमें उल्लेख है सिंचाई की कुछ योजनाओं का, एक ओर उसमें उल्लेख है राजस्थान परियोजना की शुरूआत का कि जिस राजस्थान केनाल परियोजना के बारे में मेरा ऐसा ख्याल है कि राजस्थान का रहने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित तौर पर न सिर्फ उसका स्वागत करेगा बल्कि यह सोचेगा कि अगर इस प्रकार की परियोजना हम साथ में कामयाब कर पाये तो निश्चित तौर से राजस्थान की आर्थिक उन्नति के काफी हद तक आगे बढ़ पायेंगे। एक ओर तो उसका समावेश है, उसका उल्लेख है और भी दूसरी चीजों का समावेश है, उल्लेख है जिनका, मेरे खयाल से, राजस्थान के लोगों को कुछ उपयोग मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि कई बातों का समावेश इसमें नहीं है। एक महत्वपूर्ण चीज है उद्योगों की। उसका समावेश इसमें नहीं के बराबर है। लेकिन इस पहलू को एक बार छोड दें तो जहां उस ओर कुछ कार्यों की ओर अग्रसर होने की दिशा का समावेश है वहां दूसरी ओर इसी बजट में परोक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से डरने की बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, एक करोड़ से ज्यादा का बोझ इस नये बजट में लोगों के सिर पर लादने की ओर प्रयत्न किया जा रहा है। ८४ लाख के नये टेक्सेज सिंचाई की दरों में वृद्धि करके, स्कूलों और कालेजों की फीस में वृद्धि के जरिये, सेल्स टेक्स की दरों में वृद्धि के जरिये होगा। यह बात वित्त मंत्री खुद अपने भाषण में स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन कई चीजें हैं जो उन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं की हैं। लेकिन एक बात उन्होंने यह कही है कि टेक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन के प्रस्ताव विचाराधीन है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि ८४ लाख तो यह होगये और १०, २० लाख के नये टेक्सेज के लिए बाद में तैयारी करके रखें क्योंकि सरकार के यह विचाराधीन है।

दूसरे, जिसका उन्होंने उल्लेख तो नहीं किया और जिस पर सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान मुमकिन है नहीं गया है। वह यह है कि सरकार द्वारा जो टेक्स लगाये जा रहे हैं, उनके अलावा इस बजट में इस बात के लिये ऐसी चालना है कि हम तो कर ही रहे हैं लेकिन स्थानीय संस्थाओं को चालना है कि चाहें पंचायतें हों, चाहें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हों और चाहे वे नगरपालिकाएं हों, आप भी यही मार्ग अख्त्यार करें और आज तक प्रति वर्ष बजट में नगरपालिकाओं के सहायता एवं कर्जे के रूप में जो राशि रखी जाती थी वह राशि इस बजट में से गायब कर दी गई है। इस तरह से कुछ पैसा बचत कर लिया और उनसे कहा कि अब यह आप वसूल कीजिये। नगरपालिकाओं को मजबूर करके या अगर नगरपालिकाएं न माने तो उन्हें बर्खास्त करके अपने एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करके उन लोगों से वसूल किया जाय कि जिनके ऊपर और बहुत से टेक्सेज का बोझ मौजूद है। तो यह दूसरी विशेषता है। इस बजट के प्रस्ताव में सीधे टेक्स लगाये हैं और नये लगाने की तैयारियां हैं और दूसरों को चालना है। और अभी अभी पंचायतों का बुलेटिन्स और गजट में शाया हुआ है, जब जैसा कि कहा गया है, नगरपालिकाओं को प्रोत्साहन है। इसलिए यह कोई आकस्मिक हुआ हो ऐसी बात मैं नहीं मानता कि जिस दिन यह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

विधेयक प्रस्तुत हुआ उसी दिन ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण शहर, जोधपुर में, जोधपुर के लोगों के सामने यह नौबत आगई कि वह इस नीति के प्रतिकार में कुछ राय व्यक्त करें। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के सिलसिले में कुछ जिक्र इस बात का हुआ है। आपकी आज्ञा से कुछ चन्द शब्द कहूंगा कि ऑक्ट्राय का मसला विशेषकर सारे राजस्थान का मसला है। उसके संबंध में और खास तौर से जोधपुर के संबंध में कुछ शब्द अर्ज करना चाहूंगा। वहां ऑक्ट्राय का है अथवा दूसरे विषयों का है परन्तु यह मसला नगरपालिकाओं के इतिहास में नया नहीं है। यह मसला बरसों से चल रहा है। राजाओं के जमाने से चल रहा है, और उस समय उधर बैठने वाले कई माननीय मित्र जब उन माननीय मित्रों की हुकुमत नहीं थी, वह नगरपालिकाओं के चेयरमेन अलबत्ता थे। मौजूदा स्वायत्तशासन मंत्री वह उस समय अलवर नगरपालिका के चेयरमेन थे, उधर बैठने वाले एक माननीय मित्र जो कि जोधपुर से आये हुए हैं वे जोधपुर नगरपालिका के चेयरमेन थे। जयपुर से आये हुए एक माननीय सदस्य जयपुर नगरपालिका के चेयरमेन थे, तब यह प्रश्न आया था।

एक माननीय सदस्य—जोधपुर से तो आप आये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य जोधपुर नगरपालिका के प्रेसीडेन्ट थे।

जब यह प्रश्न उस समय आया तब इस रूप में आया कि उस समय की सरकार ने यही प्रश्न उपस्थित किया कि आपको स्वायत शासन चाहिए तो स्वायत शासन आपको मिलेगा। आप उसके खर्चे के लिए टेक्स लगायें। और तब प्रत्येक नगरपालिका के उन सभापतियों ने जिनका कि उल्लेख मैंने किया है, और उन सभापतियो ने ही नहीं उनके अलावा बाहर से आने वाले और कई सभापतियों ने यह प्रश्न उठाया कि यह बात सही है, लेकिन जिस प्रकार केन्द्र के बीच में और राजस्थान के बीच में फेडरल फाइनेन्स इन्टीग्रेसन के जरिये रिलोकेशन आफ रेवेन्यूज का निर्णय होगया है उसी प्रकार नगरपालिकाओं के बीच और राजस्थान सरकार के बीच रिलोकेशन ऑफ रेवेन्यू का निर्णय आज तक नही हुआ है। यह निर्णय किया जाय। (समय समाप्ति सूचक घंटी) यह निर्णय इसलिए नहीं हो पाया हैं कुछ शब्द इसके बारे में अर्ज करूंगा। इसका जिक्र अभी तक आया नहीं है। यह एक करेन्ट घटना है....

श्री अध्यक्ष—अब तो फिनिश करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

रिलोकेशन का प्रश्न वैसा ही चलता रहा, और उसकी पूरी तफसील में न जाते हुए एक मिसाल आपको दूं। कल सदन के समक्ष मंत्री महोदय काफी जोर और जोश के साथ बोल रहे थे कि आखीर यह बात कब तक बर्दाश्त करें। मगर मैं आपसे अर्ज करुंगा कि ११॥ साल पहले

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जोधपुर में वाटर वर्क्स के द्वारा जो पानी पब्लिक को सप्लाई किया जाता था उनकी आठ आने हजार गैलन के बजाय १ रु हजार गैलन की दर कर दी गई। यह पैसा नागरिकों से वसूल होता है, और इतने दिनों तक हमें यह बताया जाता रहा हैं मंत्री महोदयों के लम्बे लम्बे भाषणों से कि वह घाटे में चल रहा है। बिजली घर में भी घाटा और वाटर वर्क्स में भी घाटा। लेकिन उसके बाद आडिट महक्मा आया और आडिट के महकमें में एकाउन्टस गये और एकाउन्टस आडिट हुए १९५३ के ३१ मार्च के अन्त तक के तो उस वर्ष के अन्त में २, ४६, ०००) रू का नेट प्राफिट हुआ यानी डेप्रिसियेशन निकाल और जो पूंजी लगी उस पूंजी की लागत पर जितना इन्ट्रेस्ट है उस व्याज की रकम को निकाल कर २, ४६, ००० रु की आमदनी हुई, नेट आमदनी हुई, नेट आमदनी उस वर्ष में हुई। इस वर्ष के आंकड़ें सामने नहीं आये हैं। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है पौने चार लाख तक वे आंकड़े पहुंच चुके हैं अब यदि कोई यह कहे कि आप पैसा तो देते नहीं हैं और विरोध करते हैं तो उन माननीय सदस्यों को जरा गंभीरता से वह भी सोचना चाहिये कि यह हवा से पैदा हुआ पैसा नहीं है। जो पूंजी सरकार की लगी है उस पर व्याज और डेप्रिशशियेशन चार्जेज काटकर यदि पौने तीन लाख रुपयों की आमदनी होती है और स्टेट रेवैन्यू में रहती है तो फिर यह कहना कि नगरपालिका पैसा देतो यह अन्याय की मात्रा ज्यादा है। ऐसे कई प्रश्न हैं लेकिन समय की कमी के कारण जिक्र नहीं करूंगा। इन सब के होते हुए आज यह स्थिति है। स्टेन्डर्ड भी यह है। जोधपुर जिस की आबादी डेढ या पौणे दो लाख होगी वहां पर ऑक्ट्राय की नई शिडयूल लगी है उससे ७ लाख की रेवेन्यू वसूल करने का इरादा है, उनका हिसाब है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि म्युनिसिपल टेक्सेशन के बारे में प्रश्न विचार में लाना है तो क्या यह सदन तैयार है कि उसके लिये एक कमेटी सरकार चाहे जैसी बैठा दे ? लेकिन केवल इसके लिये नहीं बैठावें कि अमुक टेक्स पर विचार करें, बल्कि म्युनिसिपल टेक्स और दूसरे टेक्स को रेगुलेराईज करने के लिये बैठावें। यह कोई आवश्यक नहीं कि केवल ऑक्ट्रोय के जरिये ही सारी डेफिसिट को पूरा करना है, यह कोई आवश्यक नहीं कि फलां इन्डस्ट्रीज पर टेक्स नहीं लगाया जाय, यह कोई आवश्यक नहीं कि वहां के बडे बडे मेहलातों पर टेक्स नहीं लगाया जाय, यह कार्य आवश्यक नहीं कि·······

श्री अध्यक्षः—अब समय होगया है।

श्री हरिकृष्ण व्यासः—मुझे ३ मिनिट और देने की कृपा करें। यह प्रश्न ऐसा है कि ३ मिनिट और दें।

श्री कंवरलाल जेलियाः—थोडा समय मैं भी लूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यासः— (जारी): इसकी पूरी तफसील में न जाकर यह कहूंगा कि यह द्रष्टिकोण सारा का सारा बजट का द्रष्टिकोण है। यह थोड़ा बहुत धीमी चाल से कुछ कार्य करने का

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जिक्र है। लेकिन तेज रफतार से लगाकर तेजी से दौड़ने का जिक्र है। यह हम लोगों के लिये और राजस्थान के आम लोगों के लिये बहुत चिन्ता और आशंका की बात है इस रूप में यदि सुधार नहीं हो सकता तो समाजवाद के नाम पर तालियां पीट पीट कर कहा जाय कि हमारे कार्य की सराहना करो तो वह सहराहना नहीं मिलेगी और न राजस्थान की जनता आप के धोखे में आनेवाली है।

इन्हीं चीजों के साथ बजट में जो गल्तियें रह गई हैं उनको दुरुस्त करने के लिये और यदि दुरुस्ती नहीं हो तो पूरी कार्यवाही पर अंकुश रखने के लिये मैं सदन से यही प्रार्थना करूंगा कि वित्त मंत्रीजी पर दबाव लावें और सदन के दोनों ओर बैठने वाले माननीय सदस्य अपना मत साफरूप से दें कि इस प्रकार का बजट पास नहीं किया जा सकता। मुझे ये ही शब्द अर्ज करने थे।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, बजट के तृतीय वाचन पर मैं दो बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बजट के समय पिछले वर्ष भी कहा गया और इस वर्ष भी दोहराया गया कि हम सोशलिस्टिक पेटर्न पर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ने का क्या तरीका होना चाहिये इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक मानता हूँ। और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में जब तक गृह उद्योगों की उन्नति की ओर कदम नहीं उठाया जायगा तब तक सोशलिस्टिक पैटर्न पर नहीं चला जा सकेगा। हम गृह उद्योगों की तरफ नहीं बढ़ सके उसके तीन मुख्य कारण हैं। एक तो यह कि उद्योग विभाग में अनुभवी और ईमानदार आदमियों की कमी है। दूसरी बात यह है कि इन छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई निश्चित नीति सरकार की नहीं है और तीसरी बात यह है कि लाल फीताशाही इस प्रकार से चल रही है कि जिस की वजह से जो कुछ सरकार टूटी फूटी योजना छोटे उद्योगों के लिये बनाती है वह कार्यन्वित नहीं हो पाती। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संबंध में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इसके लिये एक कमेटी बनाई थी, उसने इस काम के लिये एक योजना बनाई है। यदि मैं उनको दोहराऊं तो वक्त खत्म होगा इसलिये मैं इतना ही कहना चाहताहूं कि उनको सरकार को देखना चाहिये और उसको मद्दे नजर रखते हुए सोशलिस्टिक पैटर्न किस तरह से बढ़ सकता है और किस तरह से हम छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, इस के बारे में आगे बढ़ना चाहिये। इस संबंध में सरकार को जिला वाइज और तहसीलवाइज कमेटीज बनानी चाहिये जो गृह उद्योगों के लिये योजना बना सके और उनको बढ़ाने में मदद दे सकें।

दूसरी बात यह है कि यदि हमें सोशलिस्टिक पैटर्न की ओर बढ़ना है तो हमें सहकारिता को प्रोत्साहन देना होगा। यहां पर इस विभाग में जितना भ्रष्टाचार और गडबड़ियें है उतनी दूसरी जगह नहीं है। यहाँ पर योग्य और अनुभवी आदमियों की जरूरत है। बाहर से शिक्षा पाकर आनेवाले आदमी को रजिस्ट्रार नही रखा गया और दूसरे आदमी को काम सौंपा गया! ऐसे

[श्री चांदमल मेहता]

आदमी को रखना चाहिये जो इस विभाग का काम ठीक तरह से चला सके। ए. आई. सी. सी. की तजवीज के अनुसार यदि हम को काम चलाना है तो यहां का कोआपरेशन के बारे में जो कानून है उनमें अमेन्डमेन्ट करना होगा। ए. आई. सी. सी. द्वारा बनाई गई कमेटी ने जो तजवीज की है उस पर गौर करके सहकारिता कानून को तब्दील करना चाहिये। सहकारी समितियां ऐसी बनानी चाहिये कि अभी जो काम ठेकेदारों और दूसरे लोगों के द्वारा कराया जाता है वह उन सहकारी समितियां द्वारा किया जा सके। इसके लिये नियम बनाने चाहिये। मिसाल के तौर पर पी. डब्लू. डी. के ठेकेदारों के लिये यह रखा गया है कि उनमें से ए. बी. या सी. क्लास के जो ठेकेदार हैं उनको निश्चित रकम देनी पड़ेगी लेकिन सहकारी समितियां ये रुपिये नहीं दे सकतीं तो सरकार को यह करना चाहिये कि जो सहकारी समितियें यह काम करें उनको विशेष रियायतें दी जांय। और भी कई बातें है सहकारिता के बारे में। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दें और ए. आई. सी. सी. द्वारा नियुक्त कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उस पर सोचना चाहिये और उसके अनुसार काम करना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(मुख्य मंत्री) अध्यक्ष महोदय मैं ५ मिनिट बीच में जवाब देना आवश्यक समझता हूँ। माननीय विरोधी दल के नेता ने जो रूसी महमान आये थे उनको दिये गये भोज का जिक्र शायद पहले भी किया था और आज भी किया........

कु० श्री जसवन्तसिंह—पहले जिक्र नहीं किया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पहले यह पूछा था कि खर्चा कितना हुआ, कितना नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—पूछने का कारण बताया होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(जारी) मुझे जहां तक सूचना मिली है उसका खर्चा विशेष तौर से सरकार की तरफ के करने की बात तय हुई है, इसकी जानकारी अभी अभी प्राप्त हुई। रहा सवाल इन्तजाम का ऐसा खाने बीकानेर में और जगह भी होते रहे हैं। इसके बारे में सोचने की हमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूँ खाना काफी अच्छा था। मेहमान वहां गये उस समय की जिन बातों की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया हो सकता है वैसा पहले नहीं हुआ हो। लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से उपयुक्त समझ कर इन्तजाम किया था। इसके अलावा मैं आवश्यक नहीं समझता कि खाना किस प्रकार हुआ और किस प्रकार नहीं। इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

दूसरी बात मैं जोधपुर में लगनेवाली ऑक्ट्रोय के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। और उसके साथ साथ बिजलीघर और दूसरे कर्मचारियों के बारे में निवेदन किया गया। इसके

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

लिये कल भी प्रश्नोत्तर के समय काफी चर्चा हुई थी। लेकिन मैं समझता हूं ऑक्ट्रोय के प्रश्न को लेकर जिस प्रकार उलझने का प्रयत्न किया जा रहा है और बिजलीघर के मजदूरों को डालकर या नल कर्मचारियों को डालकर इसे उलझाने का प्रयत्न किया जारहा है, मैं समझता हूं यह उपयुक्त नहीं है।

जो मजदूर युनियनें हैं, जो इस प्रकार के कल कारखानों में काम करने वाले हैं उनके खुद के नियम होते हैं और उनके अनुसार ही मैं समझता हूँ कि जो कुछ सहयोग देने की बात इस ट्राइक में चल रही है, जो कोई कार्यवाही की जावेगी, की जावेगी ऐसा मैं मानकर चलता हूँ और मुझे आशा करनी चाहिए उन नियमों का उलघंन नहीं होगा ऑक्टाय के बारे में काफी चर्चा हुई और यह भी बताया कि म्युनिसिपेल्टीज के लिये जो सबसीडी रखी जाती थी वह इस वर्ष नहीं रखी गई है। उस प्रकार से सबसीडी नहीं रखी गई है लेकिन लोन में काफी प्रबन्ध किया गया है। यह सबसीडी में नहीं रखा गया यह केपिटल में रखागया है जिसका मतलब यह होता है कि जो हमने प्रोवाइड किया है वह महतरों की तनख्वाह चुकाने के लिए नहीं। राजस्थान की दो चार म्युनिसिपेल्टीज में कई वर्षों से यह सिलसिला चलता रहा है किउनको इसके लिए रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता रहा है। हमने इस तरीके को गलत समझा और म्यूनिसिपेल्टीज को अपने रात दिन के जो काम हैं उनके लिए टैक्सों से पैसा वसूल करके खर्चा चलाना चाहिए। इसके साथ साथ पहले जितनी रकम सब सीडी के रूप में मिल सकती थी उससे ज्यादा व्यवस्था की गई है और वह यह कि वह लोन ले सकती है लेकिन वह लोन मेहतरों की तनख्वाह चुकाने के लिए नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट सबसी डी देती जावे और वह सबसीडी न होकर लोन के रुप में हो यह भी हम नहीं चाहते। इस चीज को चालू नहीं रख सकते। अधिक तर म्युनिसिपेल्टीज अपना खर्चा चलाती है। और कुछ ही जगह पर ऐसी स्थति है उसको दूर करना है। क्योंकि आज के समय में कोई भी दूसरी म्यूनिसिपेल्टी यह बरदास्त नहीं कर सकती कि जो सेल्स टैक्स लगाती है उसको कम से कम रकम उपलब्ध हो और जो टैक्स नहीं लगाती उसको ज्यादा से ज्यादा रकम।

जहां तक जोधपुर की ऑक्ट्राय का सम्बन्ध है वहां के चैम्बर ओफ कोमर्स की एक्शन कमेटी द्वारा बार बार स्पष्ट की गई है कि जो चुंगी लगाई गई है, उस संबन्ध में गवर्नमेंट विचार करने के लिए तैयार है। आवश्यकता इस बात की है कि पहले आन्दोलन समाप्त कर दिया जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—आप घोषणा कर दें, पहले, आन्दोलन समाप्त हो जावेगा।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया:—इसके साथ साथ जो ऑक्ट्राय आज लगा हुआ है उस के लिए आप के कैश पेमेन्ट आज नहीं करना चाहते तो इसके लिए आप सिक्योरिटी देकर

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

सामान लेजा सकते हैं और जो आवश्यक सिक्योरिटी नहीं देना चाहे वह कैस पेमेन्ट कर सकते है। बाद में गवर्नमेंट जो कमेटी एपोईन्ट करेगी और वहजो अपना निर्णय देगी उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यानि १५ मार्च से अमल में लाया जावेगा। यहां पर हमने कह दिया कि विचार करेंगे अगर आप पहले पैसा न देना चाहें न दें सिक्योरिटी दे कर माल ले जावें यहां तक हमने कह दिया और बादमें जो कमेटी का फैसला होगा। उसके बाद आपको कोई शिकायत की बात नहीं रहेगी। लेकिन संघर्ष इस बात पर है कि जोधपुर में इतनी चीजों पर इतना ऑक्ट्राय क्यों रखा जाता है और जयपुर के ओक्ट्रय के मुकाबले में जोधपुर का ऑक्ट्राय अधिक क्यों है। ऑक्ट्राय उदयपुर,अलवर, कोटा बूंदी में है जहां पर मिनिमम इस वजह से है कि वहां पर हाउस टैक्स है और इसलिए कम लगाया गया है। वहां जोधपुर में हाउस टैक्स नहीं है। वहां पर हमें इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करनी है। वहां पर ज्यादा लगाया। इस पर पुनः विचार करने की बात आ रही है। आज जहां पर हाउस टैक्स आदि हैं इन बातों को ध्यान में नहीं रखा और केवल आन्दोलन करने की दृष्टि से चलाना चाहते हैं। आप एक तरफ तो यह कहते हैं कि जुल से मनाना चाहिए और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि टैक्स आ रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि हम टैक्स इस लिए लगा रहे हैं कि डेवलपमेंट ज्यादा हो। हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जल्दी से जल्दी और तेजी से पूरी करना चाहते हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पूरा होने और काम याब करने से २५ प्रतिशत के करीब राजस्थान की आम जनता का स्टेन्डर्ड ऊंचा होगा। इसके लिए टैक्स लगाये जाते हैं। पैसेवालों पर अगर हम टैक्स नहीं लगाते तो आगे बढ़ नहीं सकते। और इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए टैक्स लिये जा रहे हैं और बजट में प्रोविजन लाये हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने बीच में खड़े होकर यह बात कहना उचित समझी की गल्त फेहमी न रह जावे।

श्री व्रजसुन्दर शर्मा (वित्तमंत्री)—अध्यक्ष, माननीय मुख्य मन्त्री ने अभी जो बातें कहीं उससे मेरे ख्याल से इस सदन के सदस्यों को संतोष हुआ होगा। टैक्सेशन के बारे में जैसा उन्होंने कहा, मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे मित्र एक तरफ ज्यादा खर्च की बातें करते हैं, डेवलपमेंट की बातें करते हैं और दूसरी ओर यह कहना चाहते हैं कि टैक्स भी नहीं लगाये जावें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं तो यह कहता हूँ कि गरीबों से मत लीजिये अमीरों से लें।

I always said that take it from the rich, not from the poor आपको जवाब देना है तो सही बात का दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I did not disturb when my friend was speaking.

श्री अध्यक्ष—(हरिकृष्ण व्यास से) This is no way of addressing

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बड़े हमारे लायक दोस्त गरीबों के हामी यहां पर आकर गरीबों के हामी कहते हैं मैं तो यह कहूंगा कि राजस्थान अभी तक तो सारा गरीब है और हम मालदार बनने जा रहे हैं। हमको सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर। गरीब श्रमदान से सहयोग देता है और मालदार पैसे से इसके अलावा गरीब पर तो टैक्स पड़ता नहीं है। आप गरीब किस को कहेंगे। । राजस्थान में बहुत गरीब है। गरीब पर टैक्स नहीं लगता। मालदार पर लगना चाहिये।

मैं इस विवाद में न पडकर इतना ही कह देना चाहता हूं कि जो ८४ लाख रुपये का एडीशनल टैक्सेशन का बोझा हमारे सिर पर आया इस ८४ लाख में इरीगेशन चार्जेज भी शामिल है जैसे कि हमारे यहां नये तालाब बने सिंचाई साधन दुगुने मिलेंगे, इससे ज्यादा उन्नति होगी। इरीगेशन चार्जेज के करीब २५ लाख रुपये हैं, जो नई जमीन को पानी मिलेगा उससे यह प्राप्त होंगे। इस तरह से ८४ लाख रुपये अगर हम हर साल मान लेते हैं तो करीब चार करोड़ के रुपया होता है। बेटरमेंट आफ लेवी का १.३० लाख रुपया आने वाला है वह भी हमारी इस रकम में शामिल होगा। इस तरह से दोनों का योग मिलाकर हमने जो २ करोड़ रुपये का का टारगेट बनाया है रिसोर्सेस का, हम टारगेट पूरा कर लेंगे। इसमें किसी प्रकार की शक करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। जो हमारी पोलीसी है उसमें इधर उधर कुछ हेरफेर हो सकता है। हमें किसी तरह से आठ करोड़ रुपया पूरा करना है उसके लिए हमने यह आधार बनाया है।

इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें आई अध्यक्ष महोदय, जिनकी समय समय पर सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। शिक्षा के बारे में जो फीस की वृद्धि का सवाल है उस पर काफी सदन में विवाद हो चुका है जैसा कि हमारे विरोधी दल के नेता ने बताया कि कुछ टेकनीकल स्टाफ के लोग थे उनके पेस्केलल्स का रिवीजन नहीं हुआ। हो सकता है इतनी बड़ी लिस्ट में दो या तीन व्यक्ति न आ सकें हों जो आपने बताये उन पर अवश्य विचार किया जायगा अगर उनको पांच साल में किसी प्रकार की ग्रेड में वृद्धि नहीं हुई होगी तो हो सकता किसी वजह से यह रह गये हों, जान बूझकर तो रखे नहीं गये इस पर अब भी विचार किया जा सकता है।

श्री गोपीलाल यादव—हर एक की तनख्वाह आप कम से कम १०० रुपया कर दें। यह तो मेरे बूते से बाहर है। गत वर्ष जिस प्रकार की बजट की हालत थी, राजस्व से होने वाली आय की हालत थी वह आपके सामने हैं। पंचवर्षीय योजना का जो खर्च है वह भी आपके सामने है। उसको देखते हुये हम यह कह सकते हैं कि हमारी प्रगति संतोषजनक रही है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने भाषण में कहा केवल मात्र तनख्वाह बढ़ा देने से या वेतन स्केल्स में परिवर्तन कर देने मात्र से समाजवाद नहीं आ सकता। समाजवाद के लिये तो हमें जन साधारण की स्थिति अच्छी बनानी पड़ेगी। जन साधारण की हालत इस समय ठीक नहीं है। उसे हम ठीक करने के लिये डेवलपमेंट वर्क्स विकास योजनाओं आदि में प्रगति कर रहे हैं। ये

Page No 108

[श्री गोपीलाल यादव]

चीजें ऐसी हैं जिससे जन साधारण को फायदा होने वाला है, और इसीसे उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है । मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आगामी पंच वर्षीय योजना अच्छी होने वाली है । उससे हमारे हालात में भी परिवर्तन आने वाला है और निश्चय रूप में हम तरक्की कर पायेंगे । तो हम इन वेतन स्केल्स में भी परिवर्तन कर आगे बढ़ने वाले हैं । यह कोई परदा तो है नहीं जिसे उठाया कि झट सामाजवाद सामने आ गया या दूसरा केपिटलिस्टवाद । आज हम प्रगति की ओर चलरहे हैं । पहला स्टेप दूसरा-स्टेप इस प्रकार ज्यों ज्यों हम कदम आगे बढ़ेंगे हमेशा आगे बढ़ते हुए नजर आयेंगे और हम यह निश्चय पूर्वक समझते हैं, हम उस प्रगति की ओर तीव्र गति से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं ।

इसके अलावा हमारे विरोधी दल के नेता ने यह भी बताया कि एक अप्रैल से होटलों और रेस्टोरेंट में शराबन्दी होने वाली है और उनका यह कहना है कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मजदूर वर्ग जो इस तरफ बहुत नीचे गिर गया है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए । मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस तरफ हमारा अवश्य ध्यान है क्योंकि शराब खोरी ने मजदूर वर्ग को बिल्कुल बरबाद कर दिया है, हम उनको इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाना चाहते हैं इसीलिए हमने एक कदम उठाया है । जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मजदूर वस्ती में पे डेज़ को ड्राइ डे रखा गया है ताकि उनका वेतन कलाल के घर में न जा सके । इसी तरह से आपने जो सुझाव दिया है कि दूसरी जगह जैसे सप्ताह में एक दिन ड्राइ डे रहता है उसी प्रकार यहां भी रखा जाय, हम इस पर विचार करेंगे और विचार करके ही निश्चय कर सकते हैं, यह आवश्यक है । हम इस ओर कदम रख रहे हैं और आशा है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे ।

एक बात आपने वन के बारे में भी कही कि बीकानेर में जंगल काटे जा रहे हैं इस बात का अफसोस मुझे भी है कि लोगों ने लीज़ेज, ग्रांट की जागीरों के खत्म होने वक्त कुछ मुकद्दमे बाजियां भी हुई और उन मुकद्दमों में लोग हाईकोर्ट तक भी पहुंचे और उन्होंने हाईकोर्ट से इस प्रकार के अधिकार भी हासिल कर लिये । इस प्रकार की कार्यवाहियां जरूर हुईं । जागीरी रिजम्पशन के कारण जंगल कटे हैं । लेकिन अब हम डिमार्केशन कर रहे हैं उसके बाद सेटलमेंट कर रहे हैं और हर जंगल को ग्रूप्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि चालीस वर्ष के रोटेशन से वे काटे जायेंगे । आज तो हमें पूरी तरह से यह भी पता नहीं कि जंगल वास्तव में कितने हैं । इसके संबन्ध में रूल्स भी बने हैं । कुछ रूल्स मेरे पास भी आये थे । उसमें यह बात है कि किस किस प्रकार के पेड़ काटे जा सकते हैं । खेजड़ी के बारे में भी उन्होंने फरमाया, इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि खेजड़ी का जहां तक मुझे याद है इसको हम प्रोटेक्टेड ट्री घोषित किया है । यह घोषणा, बजट अधिवेशन होने के कारण इसमें कुछ देरी होगई होगी लेकिन यह जरूर है कि खेजड़ी को हमने प्रोटेक्टड ट्री घोषित कर दिया है ।

[श्री गोपीलाल यादव]

कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि पेड़ लगा तो दिये जाते हैं लेकिन किसी ने वहां जाकर देखा भी है कि कितने पेड़ बाकी बचे हैं । मैं इस संबन्ध में माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि वे गांधीनगर में जाकर देखें । वहां गत वर्ष प्लान्टेशन किया था, उसकी प्रोग्रेस को देखेंगे तो आपको सन्तोष होगा ।

श्री मानसिंह महार—आमानी शाह के नाले के बारे में भी फरमा दें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—नाले में भी एक्सपेरीमेन्ट किया गया । वहां ग्रास स्पेसीज़ लगाई गई थीं । उनमें से कुछ अब भी मौजूद हैं ।

श्री मानसिंह महार—उसमें से एक भी नहीं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आप भरोसा रखें, मैंने जांच की है । इसी तरह से टी. बी सेनीटोरियम के पास भी प्लाटेशन किया था वह भी काफी बची है । इसलिए यह कहना कि इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वे मतलब के होते हैं, ठीक नहीं है । अभी जोधपुर में भी प्लान्टेशन किया । जोधपुर और पाली में काफी तादाद में यानि ७५ प्रतिशत ट्री लिविग हैं । इसके अलावा आप गांधी नगर में जाकर देखिये ७५ से ८० प्रतिशत तक ट्रीज़ लिविंग हैं ।

श्री मासिंह महार—आपको अच्छे २ ही दिखाये जाते हैं, बुरे दिखाते नहीं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि मैंने जू में एक क्लर्क के स्थान पर किसी को रखवा दिया जो मेरा कृपा पात्र लड़का का है । मैं यह समझ नहीं पाया कि कृपा पात्र की डेफीनेशन क्या किया जाय । इससे तो यह कहा जा सकता है, सारे जयपुर में जितने भी जान पहचान के हैं वे सब लोग आपके कहने के मुताबिक कृपा पात्र हो गये । एक जगह पर एक लोअर डिवीजन क्लर्क को मुकर्रर करना और जिसकी योग्यता बी. एस. सी बोटोनी है उसको भी एक लोअर डिवीजन क्लर्क की जगह दे देना कृपा पात्र में आ जाता है । हां, यह हो सकता है कि इस बात का विरोध किया है वहां के लोगों ने । यह भी कहा गया कि फरवरी में उन्होंने एल एल. बी का इम्तहान भी दिया है । यह मैं मानता हूँ कि जो टेम्परेरी सर्विस में फरवरी में आता है अगर अप्रेल के महीने में वह इम्तहान देता है तो मैं कोई इसमें बेजा नहीं मानता और वैसे भी पूछकर के दिया है ।

श्री मानसिंह महार—क्या यह रूल्स के माफिक है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अगर इजाजत लेकर कोई इम्तहान देता है तो वह रूल्स के माफिक ही है । जिसने फरवरी या मार्च में नौकरी की है तो वह जरूर इम्तहान दे सकता है ।

[श्रीं ब्रजसुन्दर शर्मा]

तो यह ऐतराज भी आज आया है इस वजह से कि वहां के अधिकारी तो कई दिनों से कार्यवाही चालू रख रहे थे और करप्शन डिर्टमेन्ट में वह मामला भेज दिया गया है तो इससे लोगों को शिकायत का मौका मिला है।

एक सदस्य ने कहा उद्योगों के बारे में और इस पर बहुत जोर दिया। हां, एक बात विरोधी दल के नेता की ओर बताना चाहूंगा। अभी एक खान के बारे का जिक्र आया। इसमें सोप स्टोन के लिए एक पार्टी के पास वहां की लीज थी और उसकी लीज़ एग्रीमेन्ट में यह बात थी कि दूसरे मिनरल निकल जावेंगे अगर वहां तो पहले उसको अधिकार होगा कि वह पहले उसको मिले। जब उस पर एप्लीकेशनें मांगी गई तो उस वक्त पार्टी ने ऐतराज किया कि यह मेरे कान्ट्रेक्ट में है और इसलिए मेरा हक पहले है। इस पर उसका केस भारत सरकार के पास भेजा गया, जिसको भारत सरकार····

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो नये लीज के रूल्स बने हैं मिनिरल कन्सेशन रूल्स में उसके मातहत, यह नई लीज नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने भी एम. सी आर को पढ़ा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— Upto one year only.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—एम. सी. आर को मैंने ज्यादा पढ़ा है। मैं इसलिये माननीय सदस्य के बजाय उसे ज्यादा समझ सकता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो फिर यह गलत क्यों कहते हैं आप ?

श्री बृजसुन्दरशर्मा—खेद है कि माननीय सदस्य जो में कह रहा हूँ उसे मन्जूर नहीं करते। खुद कहेंगे वह सही और दूसरा कुछ कहेगा तो वह गलत हो जावेगा। यह कानूनी बारीकी का मामला है, अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्य से मैं ज्यादा समझने का दावा करता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह तो १६ तारीख को मालूम हो जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसमें कानूनी बारीकी नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा(जारी)—तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मंदिर के इंतजाम के बारे में हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि जागीरदारों के मंदिरों का इंतजाम नहीं हुआ। मैं सदन को यह सूचना दे दूं कि मंदिरों के इंतजाम के सिलसिले में

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

हर जगह से कागजात तैयार होकर आ गये हैं और उनके आधार पर सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि जैसे वे पहले चलते थे वैसे चलें और इस संबंध में जैसा मुझे मालूम हुआ है, माननीय सदस्य ने स्वयं ने डाइरेक्टर से बात भी कर ली है और उनको संतोष भी हो गया है।

श्री मानसिंह महार—संतोष तो मुझे होता ही नहीं है क्योंकि आश्वासनों को, सरकार के आश्वासनों को मैं मानता ही नहीं हूँ। इन आश्वासनों के पूरा होते होते इतना समय लग गया और पांच वर्ष और लग जावेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तो मैं निवेदन करना यह चाहूंगा कि गत वर्ष भी बजट मैंने पेश किया और सदन का सहयोग इसमें मुझे रहा। इस वर्ष भी पेश किया है। हमारे कुछ मित्रों की इच्छा यह है कि मैं मध्य भारत में जाकर बैठूं तो उनकी इल्लत कम हो जावेगी। पर ऐसा होने वाला नहीं है। मैं मध्य भारत में बैठने का इरादा नहीं रखता हूं। आइन्दा भी यही सदन रहेगा और यहीं आकर बैठने का इरादा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुश्किल है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यहां आकर बैठूंगा तो कुछ न कुछ काम करूंगा।

श्री मानसिंह महार—अक्टूबर से क्या इरादा है ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—टैकनीकल स्टाफ के बारे में क्या कहना है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—टेक्निकल स्टाफ के बारे में अर्ज किया कि गल्ती से रह गई है। उसकी ओर हमारा ध्यान है, कुछ केटेगरीज़ और आई हैं और हम उस पर उचित निर्णय लेंगे। पीछे रख दिया गया है, ऐसी बात नहीं है।

तो मैं निश्चित तौर से यह कह सकता हूं कि हमने प्रगति की है, आगे बढ़े हैं, विकास की तरफ इन पिछले सालों में बढ़े हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं और यह जो धन राशि आप और हम राजस्थान के निर्माण की तरफ खर्च कर रहे हैं वह निश्चित रूप से अपना फल देगी, वह भले ही आज हमें स्पष्ट रूप से मालूम न पड़ता हो। यह निश्चित है कि वह अपना फल देगी, फालतू नहीं जावेगी। इस निवेदन के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इसको पास कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग विधेयक, १९५६-५७ को विचारार्थ लिया जाय

(स्वीकृत)

प्रस्ताव विचारार्थ लिया गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस विनियोग विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६५६ को पारित किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं नहीं, ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—असल में कम से कम यह प्रस्ताव तो सब के सामने पास होना चाहिए साहब। सीटें खाली पड़ी हैं।

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विनियोग विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

श्री अमृतलाल यादव।

राजस्थान वित्त (कृषि आय-कर) विधेयक, १६५६ (पुरःस्थापन)

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान वित्त(कृषि-आयकर) विधेयक, १६५६ को सदन के सम्मुख पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रश्न यह है कि—

(विराम)

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। राजस्थान (वित्त कृषि आयकर) विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

Page No 113

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Now we adjourn upto 29th at 4 P. M- We will meet at 4 P. M.

(सदन की कार्यवाही ५ बजे सायं, दिनांक २९ मार्च, १९५६ को मध्यान्ह के ४ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२३ मार्च, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २०६ का उत्तर देखिये)

सूची सहकारी समितियां जिन्हें १–१–५५ के बाद अनुदान दियां गया

क्रम संख्या	नाम यूनिट	नाम समिति जिसे अनुदान दिया गया	रकम अनुदान दी गई	दिनांक रजिस्ट्रेशन	क्या प्रगति की
१.	अलवर	दी सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि० अलवर।	२०००)	१-५-४१	यह रकम बैंक के खर्चा चलाने हेतु स्वीकृत की गई थी। बैंक अपने कार्य क्षेत्र की कृषि ऋण दात्री समितियों को राजस्थान स्टेट कोप बैंक से अपनी स्वीकृत ऋण सीमा तक कर्जा लेकर ऋण देने में सफल हुआ है।
२.	,,	दी अलवर सेन्ट्रल कोप० इंडस्ट्रियल एण्ड मार्केटिंग फेडरेशन लि०, अलवर	३००)	२२-८-४६	यह रकम घाटे को पूरा करने हेतु दी गई थी मगर घाटा अधिक होने तथा कन्ट्रोल की वस्तुएं खुले बाजार में मिलने के कारण समिति प्रगति नहीं कर सकी है।
३.	,,	दी मौजपुर कोप० थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सो०, मौजपुर।	५००)	७-१२-४२	यह रकम बीज भंडार बनाने के लिए स्वीकृत हुई थी किन्तु रकम पर्याप्त नहीं होने के कारण समिति ने अगली फसल पर बीज गोदाम बनाने का निश्चय किया है।
४.	भरतपुर	भरतपुर सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि०, भरतपुर।	२०००)	७-८-५१	यह रकम बैंक को सुचारु रूप से कार्य चलाने हेतु दी गई थी। बैंक ने अपना काउन्टर लगा कर सुचारु रूप से कार्य प्रारंभ कर दिया है।
५.	,,	चर्म उत्पादक सहकारी समिति सागर पाडा धौलपुर।	२००)	१६-५-५४	समिति का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये इस रकम से अपने हिस्सों की पूंजी बढ़ाई है जो समिति की अधिकतम ऋण सीमा में वृद्धि करने में सहायक हुई है।

क्रम सं०	नाम यूनिट	नाम समिति जिसे अनुदान दिया गया	रकम अनुदान दी गई	दिनांक रजिस्ट्रेशन	क्या प्रगति की
६.	,,	बयाना कोवलर्स सहकारी समिति बयाना ।	२००)	१५-४-४१	,,
७.	,,	हरिजन हड्डी संग्रह सहकारी संघ, भरतपुर ।	३००)	२७-२-५४	इस रकम से समिति ने गाड़ी खरीद कर अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है ।
८.	कोटा	सहरिया बहुउद्देशीय सहकारी समिति, केलवाड़ा ।	२०००)	४-६-५४	सरा केवड़ा एवं खरखजूर का ठेका लिया है । अपने सदस्यों को दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं उचित मूल्य पर दिये जाने की व्यवस्था कर रही है ।
९.	,,	आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि०, ललावा ।	५००)	१-३-५४	सदस्यों की आर्थिक दशा ठीक नहीं थी यहां तक कि उनके पास प्रवेश शुल्क एवं हिस्सों की रकम भी अदा करने को नहीं थी । इस रकम में से कुछ रकम प्रवेश शुल्क जमा करवाने तथा हिस्सा क्रय करने में खर्च हुई । समितियों ने केन्द्रिय क्रय विक्रय संघ के हिस्से खरीदे, जिसके द्वारा सामूहिक टाल खुलवाई जाकर उससे उक्त समितियों के सदस्यों द्वारा लाई गई लकड़ियों की खरीद कर उचित मूल्य पर विक्रय किया-जाने की व्यवस्था की जा रही है ।
१०.	,,	बजरंग बहुधंधी सहकारी समिति लि०, रंगवाड़ी ।	५००)	१-३-५४	
११.	,,	श्री शंकर बहुधंधी सहकारी समिति लि०, कैंडा जगपुरा ।	५००)	६-३-५४	
१२.	,,	श्री अमर बहुधंधी सहकारी समिति लि०, सोपरिया ।	५००)	१-३-५४	
१३.	,,	दीनबन्धु सहकारी समिति लि०, नया गांव ।	५००)	१-३-५४	
१४.	,,	कोपरेटिव इन्स्टीट्यूट, कोटा ।	५००)	१८-८-५४	कुछ सहकारी साहित्य छपवाया एवं प्रकाशन की व्यवस्था की जा रही है ।

क्रम सं०	नाम यूनिट	नाम समिति जिसे अनुदान दिया गया	रकम अनुदान दी गई	दिनांक रजिस्ट्रेशन	क्या प्रगति की
१५.	,,	कोपरेटिव सीड स्टोर, अन्ता।	५००)	२०-३-२८	अपने सदस्यों की उचित भाड़ी पर बीज वितरण का कार्य कर रही है।
१६.	गंगानगर	दी सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि०, गंगानगर।	२०००)	१७-२-३०	यह रकम बैंक के खर्च को चलाने हेतु दी गई थी। बैंक सुचारु रूप से कार्य कर रहा है।
१७.	,,	गंगानगर चर्म उद्योग सहकारी समिति लि०, गंगानगर।	३००)	१-६-५४	प्रारंभिक काल में कार्य चलाने हेतु, कच्चा माल खरीदने तथा अपने सदस्यों को वितरण करने हेतु यह रकम मिली थी। समिति ठीक ढंग से कार्य कर रही है।
१८.	,,	गंगानगर कर्मचारी सहकारी समिति लि०, गंगानगर।	५००)	१५-३-५५	यह रकम समिति द्वारा विश्रांतिगृह खोलने के कार्य में ली गई, जो सुचारु रूप से कार्य कर रहा है।
१९.	,,	हरीदास की ढाणी जीवन सुधार सहकारी समिति लि०, हरीदास की ढाणी।	२००)	१-४-५४	सदस्यों के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये यह रकम उपयोग में ली गई।
२०.	,,	नवयुग जीवन सुधार सहकारी समिति लि०, गंगानगर।	२००)	१-४-५४	,,
२१.	,,	संगरिया हरिजन उत्पादक सहकारी समिति लि०, संगरिया।	३००)	३०-१०-५४	प्रारंभिक काल में कार्य चलाने हेतु यह रकम काम में ली गई।
२२.	,,	हरिजन बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि०, करणपुर।	३००)	२५-८-५४	,,
२३.	उदयपुर	दी भीलवाड़ा सेन्ट्रल कोप० बैंक लि०, भीलवाड़ा।	२०००)	२१-१-५३	यह रकम बैंक के खर्च के चलाने हेतु दी गई थी। बैंक सुचारु रूप से कार्य कर रहा है।

क्रम सं०	नाम यूनिट	नाम समिति जिसे अनुदान दिया गया	रकम अनुदान दी गई	दिनांक रजिस्ट्रेशन	क्या प्रगति की
२४.	उदयपुर	दी सेन्ट्रल कोप० बैंक लि०, बांसवाड़ा	२०००)	२१-३-५३	यह रकम बैंक के खर्च के चलाने हेतु दी गई थी बैंक सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।
२५.	,,	सनवाड़ बहुधंधी सहकारी समिति लि०, सनवाड़।	२००)	१३-६-५३	यह रकम समिति का खर्चा चलाने के काम में ली गई समिति ठीक ढंग से कार्य कर रही है।
२६.	,,	धरती देवी सहकारी समिति लि०, धरती देवी।	६२५)	१६-१-५१	यह रकम समिति को कार्य प्रारंभ करने के हेतु दी गई है। उन की प्रगति रिपोर्ट अभी इस कार्यालय में नहीं आई है।
२७.	,,	श्री आदिवासी बहुधंधी सहकारी समिति लि०, धारियावाद।	६२५)	१५-१२-५२	,,
२८.	,,	फला गेयरा बहुधंधी सहकारी समिति लि०, वारापाल।	६२५)	२८-६-५३	,,
२९.	,,	लसाड़िया बहुधंधी सहकारी समिति लि०, लसाड़िया।	६२५)	१७-३-५४	,,
३०.	,,	रुविया बहुधंधी सहकारी समिति लि०, रुविया।	६२५)	१७-३-५४	,,
३१.	,,	कोटड़ा वनवासी बहुधंधी सहकारी समिति लि०, कोटड़ा।	६२५)	३०-४-५४	,,
३२.	,,	सराड़ा आदिवासी बहुधंधी सहकारी समिति लि०, सराड़ा।	६२५)	३०-६-५४	,,
३३.	जयपुर	सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि०, जयपुर।	२०००)	२६-६-५१	इस बैंक की व्यवस्था खर्च के लिये सब्सीड़ी स्वीकृत की गई थी सब

क्र० सं०	नाम यूनिट	नाम समिति जिसे अनुदान दिया गया	रकम अनुदान दी गई	दिनांक रजिस्ट्रेशन	क्या प्रगति की
					सिड़ी स्वीकृत होने के पश्चात बैंक ने अपनी कार्य व्यवस्था में बहुत सुधार किया जिस के फलस्वरूप सदस्य सहकारी समितियों को ऋण सुगमता से तथा शीघ्रता से मिलने लग गया। बैंक की हिस्सों की पूंजी पिछले वर्ष से लगभग चार गुना से भी ज्यादा हो गई है।
३४.	,,	लछमन शाह कोपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी लि०,	१०००)	६-१-५४	समिति ने उत्तम बीज, खाद आदि सामूहिक रूप से क्रय किये हैं और सब सिडी से समस्त धन से मशीनरी की मरम्मत की गई है और उसके उपयोग से उपज में वृद्धि हुई।
३५.	,,	केलिको प्रिंटर्स सोसाइटी, सांगानेर	४००)	३१-८-४४	समिति ने सामूहिक रूप से रंग तथा ब्लॉकें आदि क्रय कर के सदस्यों को रंगाई के काम में अधिक दिलचस्पी लेने के लिये उत्साहित किया है जिसके फलस्वरूप सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
३६.	,,	कोपरेटिव इंस्टीट्यूट, जयपुर	५००)	१८-८-५४	सहकारी आन्दोलन के प्रचार हेतु इन्स्टीट्यूट ने विभिन्न प्रकार से जन-साधारण तक सहकारिता का सन्देश पहुँचाने का प्रयास किया है। जिस के फलस्वरूप जनता में सहकारिता की भावना उत्पन्न हुई है और कई ग्रामों में सहकारी समितियों का संगठन हुआ है।
३७.	,,	महाराजाज़ गर्ल्स पब्लिक हाई स्कूल सहकारी समिति लि०, जयपुर	२००)	३१-७-५२	इस सहकारी समिति ने गर्ल्स छात्राओं के लिये स्टेशनरी, पुस्तकें क्रय करने की सुव्यवस्था की है।
३८.	,,	कुटीर उद्योग सहकारी समिति लि०, जयपुर।	२५०)	११-६-५३	सदस्यों को समिति द्वारा कच्चा माल समय पर देने की व्यवस्था की गई और उन के द्वारा बने हुए माल की बिक्री का भी प्रबन्ध किया है जिससे सदस्यों की आर्थिक स्थिति में उन्नति हुई है।

क्र० सं०	नाम यूनिट	नाम समिति जिसे अनुदान दिया गया	रकम अनुदान दी गई	दिनांक रजिस्ट्रेशन	क्या प्रगति की
३६.	,,	आदर्श उद्योग सहकारी समिति लि०, जयपुर ।	२५०)	६-१२-४८	समिति द्वारा कच्चा माल सदस्यों को उपलब्ध हुआ है और इस तरह सामूहिक रूप से माल क्रय करने से सदस्य आर्थिक संकट से बचे हैं ।
४०.	,,	चित्रगुप्त कोपरेटिव सोसाइटी लि०, जयपुर ।	१०००)	१६-११-४६	समिति ने अपने सदस्यों के जिन में अधिकतर मध्यम श्रेणी के है सस्ते ब्याज पर रुपया ऋण देकर उनकी आर्थिक संकट को दूर किया है । और सदस्यों में बचत की भावना पैदा करने के लिये सेविंग बैंक सिस्टम प्रारम्भ किया है जिस में सदस्य मासिक अमानत के रूप में निर्धारित रकम जमा कराते हैं, समिति ने अपनी कार्य व्यवस्था में भी सुधार किया है ।
४१.	,,	केन्द्रीय सर्वोदय सहकारी संघ लि०, जयपुर ।	५००)	२३-१०-५१	यह खादी उत्पादक सहकारी समितियों का संघ है जो समितियो द्वारा उत्पादित खादी का विक्रय करता है । सरकारी प्राप्त सहायता से संघ की केन्द्रीय व्यवस्था में उन्नति हुई है ।
४२.	,,	सेन्ट्रल कोपरेटिव मारकेटिंग यूनियन लि०, सांगानेर	१५००)	२४-१२-४७	समिति ने लगभग ५००० की लागत का एक बीज घर बनवाया है जिस में आम बीज रखने की तथा सदस्यों द्वारा पैदा किये हुये अनाज को रखने का प्रबन्ध किया गया है ।
४३.	,,	सेन्ट्रल कोपरेटिव मारकेटिंग यूनियन लि०, बस्सी ।	१५००)	३१-१२-४७	समिति के सदस्यों को उत्तम बीज दिये जाने के लिये व्यवस्था की गई है इसके कारण सदस्यों की उपज में वृद्धि हुई है ।
४४.	,,	ढ़ाणी मीना कोपरेटिव विलेज बैंक, बसी	१०००)	२४-६-४७	इस सहकारी समिति ने सबसिड़ी मिलने के पश्चात उत्तम बीजों का क्रय किया है जिससे उपज में वृद्धि होकर समिति के सदस्यों की आर्थिक स्थिति में उन्नति हुई है ।

क्रम सं०	नाम यूनिट	नाम समिति जिसे अनुदान दिया गया	रकम अनुदान दी गई	दिनांक रजिस्ट्रेशन	क्या प्रगति की
४५.	,,	रेनवाल भाजी टेनर्स कोपरेटिव सोसाइटी लि०	२००)	१६-६-४५	सदस्यों को नये ढंग के औजार दिये गये हैं जिससे उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली में उन्नति की है ।
४६.	,,	बसवा टेनर्स कोपरेटिव सोसाइटी, बसवा ।	२५०)	२६-१-५३	समिति ने अपनी आर्थिक स्थिति में उन्नति की है जिसके फलस्वरूप समिति के सदस्यों को समय पर व अच्छा कच्चा माल दिलवाया जाता है ।
४७.	,,	बस्सी टेनर्स कोपरेटिव सोसाइटी लि०, बसी ।	२००)	२४-१२-५२	समिति ने सहायता मिलने के पश्चात सुधरे हुए औजार सदस्यों को दिये हैं ।
४८	,,	जयपुर चर्म उद्योग सहकारी समिति लि०, जयपुर ।	३००)	१६-१२-५२	समिति ने चमड़ा कमाने संबंधी उन्नति औजार खरीदे हैं और सामूहिक कार्य के लिये चमड़ा सीने की मशीन खरीदी है ।
४९.	,,	बड़ा गांव रेगर सहकारी समिति लि०,	२५०)	२२-२-४७	समिति सामूहिक रूप से कच्चा माल क्रय करती है और इस प्रकार सदस्यों की आर्थिक स्थिति में उन्नति हुई है ।
५०.	,,	मोहना हरिजन बहुधंधी सहकारी समिति ।	२५०)	११-६-४५	समिति ने उत्तम हल क्रय किये हैं और पंचायत घर बनाने के लिये विचाराधीन है ।
५१.	,,	सेवड़ा नया मौजा हरिजन बहुधंधी सहकारी समिति, चाकसू ।	३००)	७-४-५४	समिति द्वारा सदस्यों को सस्ते ब्याज पर रुपया उधार दिया है और सामुहिक रूप से कृषि संबंधी आवश्यकताओं को क्रय विक्रय करने का कार्य किया जाता है ।
५२.	,,	प्रमोद प्रिन्टर्स एवं पब्लिशर्स कोप० सोसाइटी लि०, जयपुर ।	१०००)	२४-११-५४	समिति ने आवश्यक मशीनरी आदि क्रय करली है और छपाई का काम सुचारु रूप से चलाने की अवस्था में हो गई है ।
५३.	जोधपुर	जोधपुर सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि०, जोधपुर ।	२०००)	२६-७-५१	व्यवस्था खर्च में खर्च की गई । संतोषप्रद उन्नति कार्य में हो रही है ।

क्र० सं०	नाम यूनिट	नाम समिति जिसे अनुदान दिया गया	रकम अनुदान दी गई	दिनांक रजिस्ट्रेशन	क्या प्रगति की
५४.	जोधपुर	राजस्थान टूल मेन्यूफैक्चरिंग कोपरेटिव सोसाइटी लि० ।	५००)	७-८-५४	व्यवस्था खर्च में खर्च की गई। संतोष प्रद उन्नति कार्य में हो रही है।
५५.	,,	खिवादी कोपरेटिव फार्मिंग सो० लि० ।	५००)	२६-३-५३	बीज व सुधरे औजार में खर्च की गई । खेती पहिले से अच्छी है।
५६.	,,	गंगा चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि० बोसलपुर ।	३००)	११-४-५४	यह रकम समिति को कार्य प्रारंभ करने के लिये दी गई है। प्रगति रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।
५७.	,,	बोरावड़ धोलिया रावतान बहुधंधी सहकारी समिति ।	६२५)	४-३-५४	
५८,	,,	सिरयारी बहुधंधी सहकारी समिति	६२५)	४-३-५४	
५६.	,,	गरासियान बहुधंधी सहकारी समिति	६२५)	४-३-५४	
६०.	,,	धानेरावे मील बहुधंधी सहकारी समिति	६२५)	४-३-५४	
६१.	,,	सादरी मीना बहुधंधी सहकारी समिति	६२५)	४-३-५४	
६२.	,,	भूला बहुधंधी सहकारी समिति	६२५)	४-३-५४	
६३.	जयपुर	राजस्थान स्टेट कोपरेटिव बैंक लि० जयपुर ।	२००००)	१४-१०-५३	यह रकम बैंक का प्रबन्ध चलाने हेतु स्वीकृत हुई थी। बैंक सुचारु रूप से कार्य कर रहा है। इसने अब तक ४१,३०६,२०) रु० केन्द्रिय बैंकों को ऋण के रूप में दिया है तथा १६,७०,६७६) अब तक उनसे वापिस वसूल किये हैं।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २१३ का उत्तर देखिये)

Statement containing the details of the staff employees for Accounts Training School from time to time.

1.	Principal	One	February 1, 1955	to January 31, 1956.
2.	Stenographer	"	February 1, 1956	continuing.
3.	L. D. Clerks.	"	February 1, 1955	"
4.	Peons.	Two	February 1, 1955	to January, 31, 1956.
5.	Cycle Sowar.	One.	February 1, 1955	to Juuary. 31, 1956.

Page No 123

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या २१४ का उत्तर देखिये)

उन सड़कों कीसूिच जो पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चित्तोड़ जिले में ली गई थी।

सम्बन्धः तारांकित प्रश्न संख्या २६ पी० डब्ल्यू० एम० दिनांक २-३-५६ जो राजस्थान विधान सभा में श्री सुगनचन्द एम० एल० ए० द्वारा प्रस्तुत किया गया ।

क्रम सं०	काम का नाम सड़कें	प्रथम पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित कार्य	काम जो समाप्त हो चुका है
१	२	३	४
१.	उदयपुर. चित्तोड़	२७ मील	१० मील
२.	नसीराबाद: निम्बाहेडा	३२ ,,	१८ ,,
३.	बूंदी : चित्तोड़	२० ,,	४ ,,
४.	सिंगोली : मिंचीर	४॥ मील	४॥ मील
५.	मंगलवार:निम्बाहेड़ा । ग्रेवल रोड़ ।	१६ ,,	६ ,,
६.	चित्तोड़ : कपासन	१० ,,	
७.	प्रतापगढ़: अरनोद: पीपलोदा	२ मील पक्की तथा २० मील ग्रेवल	२ मील
८.	छोटी सादड़ी: बडी सादडी	६ ,,	१ ,,
६.	लसरावन: निम्बाहेडा: मंगलवार एप्रोच	४॥ ,,	काम नहीं हुआ
१०.	गंगरार से गंगरार रेलवे स्टेशन । एप्रोच रोड :	१॥ ,,	१॥ मील
११.	बेंगु से कांटुडा । एप्रोच रोड	२ ,,	२ ,,
१२.	चित्तोड़: मानपुरा । एप्रोच रोड।	१ मील	१ ,,
१३.	बेंगु कांटुडा का अवशेष काम	२॥ मील	
१४.	मलासरा आलोट चेचट । ग्रेवल ।	१६ मील	कार्य नहीं हुआ ।
१५.	मलासरा कुवाखेड़ा कच्ची सड़क	७ मील	कार्य नहीं हुआ ।

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या २१६ का उत्तर देखिये)

List of places which are proposed to be electrified in the Second Five Year Plan.

Group.	Sl. No.	Name of Place.	Name of Disctrict.
I	1.	Jodhpur.	Jodhpur.
	2.	Bilara.	"
	3.	Sojat.	Pali.
	4.	Pipar road.	Jodhpur.
	5.	Kaparda.	"
	6.	Bhilwara.	Bhilwara.
	7.	Shahpura.	"
	8.	Bharatpur.	Bharatpur.
	9.	Deeg.	"
	10.	Mica mines near Shahpura.	Bhilwara.
II	1.	Kishangarh.	Jaipur.
	2.	Jhalawar.	Jhalawar.
	3.	Hindaun.	Hindaun.
	4.	Karauli.	"
	5.	Newai.	Tonk.
	6.	Tonk.	"
	7.	Dungarpur.	Dungarpur.
	8.	Sagwara.	"
	9.	Dholpur.	Bharatpur.
	10.	Bari.	"
	11.	Gundaria.	"
	12.	Kesarbag.	"
	13.	Bhilgawan.	"
	14.	Nibhi.	"

1	2		3
	15.	Kund.	Bharatpur
	16.	Salimabag.	"
	17.	Jaisalmer.	Jaisalmer.
	18.	Alwar.	Alwar.
	19.	Bharatpur.	Bharatpur.
	20.	Jaipur.	Jaipur.
	21.	Bikaner	Bikaner.
	22.	Kotah.	Kotah.
	23.	Jamsar.	Bikaner.
	24.	Dausa.	Jaipur.
	25.	Lalsot.	"
	26.	Didwana.	"
	27.	Bamanwas.	Sawai Madhopur.
	28.	Gangapur.	"
	29.	Phulera.	Jaipur.
	30.	Kuchaman City.	Nagaur.
	31.	Kuchaman Road.	"
	32.	Sambhar.	Jaipur.
	33.	Makrana.	Nagaur.
III	1.	Sriganganagar.	Sriganganagar.
	2.	Hanumangarh new town ship.	"
	3.	Hanumangarh Fort.	"
	4.	Chautala Road.	"
	5.	Pilibangan.	"
	6.	Suratgarh.	"
	7.	Suratgarh.	"
	8.	Sarupsar.	"
	9.	Jetsar.	"
	10.	Bijeynagar.	"

		2	3
III	11.	Raisinghnagar.	Sriganganagr.
	12.	Gajsinghpur.	,,
	13.	Karanpur.	,,
	14.	Kesrisinghpur.	,,
	15.	Prithirajpur.	,,
	16.	Rajgarh.	Churu.
	17.	Bhadra.	Sriganganagar.
	18.	Nohar.	,,
	19.	Pilani.	Jhunjhunun.
	20.	Jhunjhanu.	,,
	21.	Chirawa.	,,
	22.	Surajgarh.	,,
	23.	Khetri.	,,
	24.	Ratangarh.	Churu.
	25.	Sardarshahar.	,,
	26.	Churu.	,,
	27.	Ratannagar.	,,
	28.	Ramgarh.	Sikar.
	29.	Bisau.	Jhunjhunun.
	30.	Fatehpur.	Sikar.
	31.	Lachhmangarh.	,,
	32.	Sikar.	,,
	33.	Nawalgarh.	Jhunjhunun.
	34.	Rajaldesar.	Churu.
	35.	Momasar.	,,
	36.	Parsneu.	,,
	37.	Talchhapar	,,
	38.	Sujangarh.	,,
	39.	Bidasar.	,,
	40.	Sandwa.	,,

1	2		3
III	41.	Jaswantgarh.	Nagaur.
	42.	Ladnun.	"
	43.	Bikaner.	Bikaner.
	44.	Nal.	"
	45.	Kodamdesar.	"
	46.	Gajner.	"
	47.	Kolayat.	"
	48.	Gangashahar.	"
	49.	Bhinasar.	"
	50.	Udramsar.	"
	51.	Palana.	"
	52.	Desnoke.	"
	53.	Surpura.	"
	54.	Himmatsar.	"
	55.	Nokha.	"
	56.	Devikundsagar.	"
	57.	Napasar.	"
	58.	Dulchasar.	Churu.
	59.	Sudasar.	"
	60.	Dungargarh.	"
IV	1.	Kotah.	Kotah.
	2.	Bundi.	Bundi.
	3.	Lakheri.	"
	4.	Sawai Madhopur.	Sawai Madhopur.
	5.	Newai.	Tonk.
	6.	Banasthali.	"
	7.	Tonk.	"
	8.	Gangapur.	Sawai Madhopur,
	9.	Hindaun.	Hindaun.
	10.	Karauli.	

1	2		3
IV	11.	Jaipur.	Jaipur.
	12.	Phulera.	”
	13.	Sambhar.	”
	14.	Nawa.	Nagaur.
	15.	Makrana.	”
	16.	Dausa.	Jaipur.
	17.	Kuchaman.	Nagaur.
	18.	Bhilwara.	Bhilwara.
	19.	Kishangarh.	Jaipur.
V	1.	Bilara.	Jodhpur.
	2.	Sojat.	Pali.
	3.	Nagaur.	Nagaur.
	4.	Jaipur.	Jaipur.
	5.	Chittorgarh.	Chittorgarh.
	6.	Jalore.	Jalore.
	7.	Alwar.	Alwar.
	8.	Jaipur.	Jaipur.
	9.	Reengus.	Sikar.
	10.	Siwana.	Alwar.
	11.	Jilota.	”
	12.	Nimbahera.	”
	13.	Patan Mewan.	”
	14.	Shamka.	”
	15.	Ismailpur.	”
	16.	Khertal.	”

1	2		3
V	17.	Dantla.	Alwar.
	18.	Nangla Dungar.	„
	19.	Nangal Manjia.	„
	20.	Lissana.	„
	21.	Nurnagar.	„
	22.	Baskirpalnagar.	„
	23.	Kishangarh.	„
	24.	Gunj.	„
	25.	Tehnoli.	„
	26.	Jhirandia.	„
	27.	Sirmoli.	„
	28.	Milakpur.	„
	29.	Karoli.	„
	30.	Baldeoba.	,
	31.	Chikni.	„
	32.	Bahadurpur Taraf Pahari.	„
	33.	„ „ Joria.	„
	34.	„ „ Katra.	„
	35.	„ „ Kanungan.	„
	36.	„ „ Meron.	„
	37.	Kither.	„
	38.	Rata Khurd.	„
	39.	Rata Kalan.	„
	40.	Basai Jagta.	„
	41.	Basai Balan.	„
	42.	Naseerabad.	„

1	2		3
	43.	Sunerpur.	Pali.
	44.	Sheoganj.	Sirohi.
	45.	Didwana.	Nagaur.
	46.	Daulatpura.	„
	47.	Todbhim.	Hindaun.
	48.	Rajsamand.	Udaipur.
	49.	Kankroli.	„
	50.	Hundrasa.	„
	51.	Deotari.	„
	52.	Baran.	Kotah.
	53.	Sawai Madhopur.	Sawai Madhopur.
	54.	Taranagar.	Churu.
	55.	Jhunjhunun.	Jhunjhunun.